VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2023

(August 2022 to May 2023)

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय सूची

1. महिलाएं (Women) 6

1.1. कार्यबल में महिलाएं (Women in Workforce) 6

1.2. महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन (Permanent Commission for Women) 7

1.3. STEM क्षेत्रक में महिलाएं (Women in STEM) 8

1.4. केयर इकोनॉमी (Care economy) 9

1.5. विधायिका में महिला आरक्षण (Women's Reservation in Legislatures) 11

1.6. सरपंच पति (Sarpanch Patis) 11

1.7. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (Violence Against Women) 13

1.7.1. यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) 14

1.7.2. निर्भया कोष (Nirbhaya Fund) 16

1.8. महिलाओं के विवाह की आयु (Marriage Age of Women) 18

1.9. सरोगेसी (Surrogacy) 20

1.10. भारत में गर्भपात कानून (Abortion Law in India) 21

1.11. वाश एवं लैंगिक असमानता (WASH and Gender Inequality) 23

1.12. शहरीकरण और महिलाएं (Urbanisation and women) 25

1.13. मानव तस्करी (Human Trafficking) 26

2. बच्चे (Children) 27

2.1. बाल अधिकार (Child Rights) 27

2.2. बाल श्रम (Child Labour) 28

2.3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 {Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012} 29

2.4. बाल संदिग्धों का आंकलन (Assessment of Child Suspects) 30

2.5. भारत में बच्चों को गोद लेना (Child Adoption in India) 31

3. अन्य सुभेद्य वर्ग (Other Vulnerable Sections) 34

3.1. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDS) 34

3.2. भारत में वृद्धजन (Elderly in India) 35

3.3. ट्रांसजेंडर (Transgenders) 36

3.4. देशज लोग (Indigenous People) 38

3.5. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTGs) 38

VISION IAS

3.6. गैर-अधिसूचित जनजातियां (Denotified Tribes: DNTs) 41

4. शिक्षा (Education) 42

4.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 (National Education Policy, 2020) 42

4.1.1. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (Foundational Literacy And Numeracy: FLN) 43

4.1.2. प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा {National Curriculum Framework (NCF) for Foundational Stage} 45

4.1.3. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework For School Education: NCFSE) 47

4.2. विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools) 49

4.3. उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन/ मान्यता (Accreditation of Higher Education Institutions) 49

4.4. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF) 51

4.5. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University: NDU) 53

4.6. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान {Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India} 54

4.7. क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना (Promotion of Higher Education in Regional Languages) 56

4.8. शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता {Artificial Intelligence in Education (AIED)} 58

5. स्वास्थ्य (Health) 61

5.1.सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज {Universal Health Coverage (UHC)} 61

5.2. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) 62

5.3. डिजिटल हेल्थकेयर (Digital Healthcare) 64

5.4. ड्राफ्ट राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 {Draft National Medical Commission (Amendment) Bill-2022} 65

5.5. सार्वभौमिक टीकाकरण (Universal Immunisation) 66

5.6. लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health: SRH) 68

5.7. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (Mental Healthcare) 69

5.7.1. छात्र आत्महत्या (Students Suicide) 69

5.8. दुर्लभ रोग (Rare Diseases) 71

5.9. अंग प्रत्यारोपण संबंधी नए दिशा-निर्देश (New Organ Transplantation Guidelines) 72

5.10. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (Accredited Social Health Activist: ASHAs) 73

5.11. इच्छामृत्यु {Euthanasia} 75

6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition And Sanitation) 78

6.1. वैश्विक खाद्य संकट (Global Food Crisis) 78

6.2. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index) 79

VISION IAS

6.3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} 80

6.4. पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) अभियान {Poshan (Prime Minister's Overarching Scheme For Holistic Nourishment) Abhiyaan} 83

6.5. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System) 85

7. गरीबी एवं विकास से संबंधित मुद्दे (Poverty And Development Issues) 89

7.1. हाथ से मैला उठाना (Manual Scavenging) 89

7.2. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement) 92

7.3. वैश्विक जनसंख्या वृद्धि (World Population Growth) 94

8. विविध (Miscellaneous) 97

8.1. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (World Happiness Report) 97

8.2. सोशल मीडिया और समाज (Social Media and Society) 99

8.3. भारत में खेल (Sports in India) 100

9. परिशिष्ट 101

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2022 तक पूछे गए प्रश्नों (सामाजिक मुद्दे खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए थॉट प्रॉसेस को विकसित करने में मदद करेगा।	

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।
- इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:

इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टैटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:

इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें आप तेजी से रिवाइज कर सकें तथा अपने उत्तरों में आसानी से शामिल कर सकें, जिससे आपके उत्तर और आकर्षक व इंफॉर्मेटिव दिखेंगे।

डेटा बैंक

विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण डेटा को जानने और उन्हें रिवाइज करने में आपकी सहायता के लिए, अलग से डेटा बैंक डिजाइन कर उन्हें संबंधित आर्टिकल में जोड़ा गया है।

परिशिष्ट

जल्दी रिविजन के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की सूची

प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि आपको इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

विगत वर्षों के प्रश्न:

बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2024
सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
15 जुलाई
5 PM
इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय-वार समझ विकसित करना है।
तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
"टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफ़लाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श हेतु अवसर।
प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय-समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
ENGLISH MEDIUM also Available

ऑल इंडिया प्रारंभिक टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन
✓ सीसैट
for GS 2024: 9 July
सामान्य अध्ययन 2024: 9 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

1. महिलाएं (Women)

1.1. कार्यबल में महिलाएं (Women in Workforce)

कार्यबल में महिलाएं: एक नज़र में

भारत में वर्तमान स्थिति

- भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFRR) 2004–05 की 42.7% से **घटकर 32.8%** हो गई है। वर्तमान में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 77.2% है।
- भारत में **व्हाइट–कॉलर नौकरियों** (उच्च वेतन, उच्च कौशल वाली) और ब्लू–कॉलर नौकरियों (शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाली) में **महिलाओं का प्रतिनिधित्व** कम है। वहीं शिक्षण और आया (कम वेतन वाली) जैसी **पिंक–कॉलर नौकरियों में महिलाओं की अधिकता** है।

कार्यबल में महिलाओं का महत्त्व

- मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने से भारत की **वार्षिक जी.डी.पी.** में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, जिन घरों में महिलाएं कामकाजी हैं, उन घरों में **महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति** अधिक होती है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) जैसे **सामाजिक संकेतकों में सुधार** होता है।
- युवा महिला कार्यबल, भारत को **जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने में मदद** कर सकता है।
- इससे **भारत, अन्य देशों के समकक्ष** आ सकेगा **और भारत को वैश्विक प्रतिबद्धताओं**, जैसे– सतत विकास लक्ष्य (SDG)-1 (गरीबी का अंत), SDG-5 (लैंगिक समानता) आदि को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे कारण

- **महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंडों को पूरा** करना होता है।
- **परिवार की आय में वृद्धि होने के कारण** कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी आती है।
- महिलाओं की तुलना में **पुरुष अधिक पेशेवर/तकनीकी प्रशिक्षण** प्राप्त करते है, जिसके कारण महिलाओं के पास अवसरों की कमी होती है।
- भारत में **वेतन को लेकर असमानता** की स्थिति है क्योंकि भारत में पुरुष, श्रम आय (Labour income) का 82% प्राप्त करते हैं **{विश्व असमानता रिपोर्ट (World Inequality Report) 2022}**।
  - **वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Index)** 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है।
- कम वेतन, यौन उत्पीड़न आदि के रूप में **कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव होना।**
- **डिजिटल विभाजन की स्थिति क्योंकि** केवल 35% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु पहलें

- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के जरिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से **बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया** है।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions: COSHWC) 2020 के जरिए महिलाओं को रात्रि में भी कार्य करने की अनुमति दी गई है।
- **वेतन संहिता,** लैंगिक आधार पर भेद–भाव पर रोक लगाती है।
- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs), राष्ट्रीय ITIs और क्षेत्रीय ITIs के माध्यम से महिलाओं में कौशल का विकास किया जा रहा है।
- **मिशन शक्तिः** यह महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तीकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए** महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (PoSH) बनाया गया है।
- **महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन (G20 Alliance for Empowerment and Progression of Women's Economic Representation: G20 EMPOWER/ एम्पावर)** शुरू किया गया है।

आगे की राह

- **सूचना और तथ्यों के आधार पर नीतियों के विकास के लिए** श्रम बाजार के बारे में बेहतर व ठोस जानकारी होनी चाहिए।
- महिलाओं के लिए बेहतर वेतन, प्रशिक्षण, कौशल प्रदान और नौकरी में कोटा प्रदान करने वाले **नियोक्ताओं** को सरकार द्वारा **प्रोत्साहन** देना चाहिए, ताकि **महिलाओं को नौकरी पर रखने को बढ़ावा मिले।**
- महिलाओं को **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में अध्ययन करने तथा अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।**
- **महिलाओं को लेकर वर्तमान में प्रचलित रूढ़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने** की जरुरत है।
- नियोक्ता की जिम्मेदारियों का विस्तार कर उनमें **अनिवार्य "जेंडर पे ऑडिट्स" को भी शामिल** करना चाहिए। साथ ही, **ट्रेड यूनियनों की भागीदारी की मदद से अनुचित वेतन संबंधी भेद–भाव को समाप्त करने हेतु कार्य–योजना विकसित** करनी चाहिए।
- **महिलाओं की सुरक्षा** और महिला नेतृत्व वाली भूमिकाओं को बढ़ाने की जरुरत है। साथ ही, महिलाओं को उदार कामकाज की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- **नीति निर्माणः** सुविचारित नीतियों को विकसित करने के लिए श्रम बाजार की ठोस जानकारी आवश्यक है।

1.2. महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन (Permanent Commission for Women)

रक्षा बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशनः एक नज़र में

स्थायी कमीशन का अर्थ है– **सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति तक करियर। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, सेना में 4 वर्ष के विस्तार के विकल्प के साथ 10 वर्ष की सेवा की अनुमति है।**

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र ने रक्षा बलों में **महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया है।**

सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति

- थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः **केवल 0.56%, 1.08% और 6.5% महिला कार्मिक हैं।**
- **रूसी सशस्त्र बलों में 10% और अमेरिका में 16% महिलाएं** शामिल हैं।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति

- पुरुष सैनिकों के बीच **महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता** कम है।
- महिलाएं अपने **पुरुष समकक्ष की तरह शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं** कर सकती हैं।
- यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता, अलग शौचालय जैसी भौतिक बुनियादी सुविधाओं की कमी, आदि।

आगे की राह

- **महिला केंद्रित आवश्यकताओं को समायोजित करनाः** प्रसव के कारण लंबी अनुपस्थिति के बाद सैन्य सेवा में लौटने के यथार्थवादी तरीके सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- **महिलाओं के लिए कॉम्बैट विंग शुरू करनाः** यह रक्षा बलों में महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि करेगा और लैंगिक समानता के लिए एक प्रेरक बल के रूप में कार्य करेगा।
- **महिलाओं के लिए सेना को लाभप्रद बनानाः** रक्षा बलों की अनुभवी महिला कर्मियों को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि यह सेवा कितनी संतुष्टिदायक और सम्मानजनक हो सकती है।
- **सैनिक स्कूलों में बचपन से प्रशिक्षण प्रदान करने से लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और शारीरिक बाधाओं को दूर** किया जा सकेगा।

रक्षा बलों में महिलाओं का प्रवेश

- **1888:** भारतीय **सैन्य नर्सिंग सेवा** की स्थापना हुई।
- **1992:** महिलाओं को गैर–चिकित्सकीय भूमिकाओं के लिए शामिल किया गया।
- **2015:** भारतीय वायुसेना में **फाइटर पायलट** पद पर नियुक्ति की शुरुआत की गई।
- **2020:** सुप्रीम कोर्ट ने **सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया वाद** में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में निर्णय दिया।

महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में तक

- महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाना **समानता के अधिकार का उल्लंघन** है और इससे रूढ़िवादी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
- **पहाड़ी राज्य के सैनिकों को पहले से ही शारीरिक मानदंडों में छूट** प्रदान की गई है।
- किसी भी सेवा में **शामिल होने और पदोन्नति के लिए योग्यता मूल आधार** होनी चाहिए।
- महिलाओं को **कर्नल, ब्रिगेडियर आदि उच्च रैंकों पर नियुक्ति के लिए अधिक अवसर** मिलेंगे, क्योंकि ये केवल 14 साल की सेवा के बाद ही प्राप्त किए जा सकते थे।
- उच्च रैंकिंग में लिंगानुपात में सुधार के परिणामस्वरूप रक्षा बलों में **लिंग–संवेदनशील निर्णय** लिए जा सकेंगे।
- **महिलाओं के सामाजिक दर्जे** में वृद्धि होगी।

1.3. STEM क्षेत्रक में महिलाएं (Women in STEM)

STEM (स्टेम) में महिलाएं: एक नज़र में

STEM के बारे में

- STEM का तात्पर्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से है।
- **STEM की प्रासंगिकता:** आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, सामाजिक गतिशीलता (Mobility) को सुविधाजनक बनाता है, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है और नवप्रवर्तक बनाता है।

STEM में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक स्तर पर तृतीयक शिक्षा में 35% छात्रों के मुकाबले केवल 18% छात्राएं STEM अध्ययन कर रही हैं।
- **भारत में अलग-अलग विषय क्षेत्रों (स्ट्रीम) में महिला शोधकर्ताओं का प्रतिशत-**
  - **समग्र रूप से:** लगभग 18%
  - **इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में:** लगभग 14%
  - **प्राकृतिक विज्ञान और कृषि में:** लगभग 22%
  - **स्वास्थ्य विज्ञान में:** लगभग 24%

STEM में लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले कारक

- **दोहरी भूमिका सिंड्रोम:** महिलाओं के व्यावसायिक जीवन के निर्णय काफी हद तक उनकी घरेलू जिम्मेदारियों से प्रभावित होते हैं।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** संगठन में प्रबंधन/ नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व होने के चलते कार्यस्थल पर उन्हें प्रदर्शन मूल्यांकन में लैंगिक पूर्वाग्रह/ भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **लैंगिक रूढ़िवादिता:** STEM क्षेत्र को सामान्यतः पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस तरह की सोच भी विद्यमान है कि महिलाएं गणित और विज्ञान में बौद्धिक रूप से कमजोर होती हैं।
- **उपयुक्त कार्यस्थल** का अभाव अथवा यात्रा भत्ता, आवास और मातृत्व लाभ जैसे **अन्य लाभों का न होना** भी महिलाओं को STEM में करियर बनाने से रोकता है।
- STEM क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए लड़कियों के पास इस क्षेत्र से जुड़े **रोल मॉडल्स की कमी हैं।**

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **विज्ञान ज्योति योजना:** इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं के लिए हाई स्कूल के स्तर पर समान अवसर सृजित करना है ताकि वे उच्चतर शिक्षा में STEM का चुनाव कर सकें।
- **किरण/ KIRAN (शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी):** यह योजना महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने शुरू की है।
- **गति/ GATI (जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस) परियोजना:** यह यूनाइटेड किंगडम के एथेना स्वान चार्टर पर आधारित है।
- **CURIE/ क्यूरी (महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन):** यह KIRAN योजना का एक उप-घटक है। इसे महिला विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अवसंरचना विकसित करने के लिए शुरू किया गया है।
- **बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन प्रोग्राम (BioCARe):** 45 वर्ष तक की आयु की नियोजित/ बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए बायोकेयर की शुरुआत की गई है। यह ऐसी महिलाओं के लिए पहला एक्स्ट्रामुरल रिसर्च अनुदान है।
- **SHE STEM** एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन भारत में स्वीडन के दूतावास, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च द्वारा **STEM में महिलाओं का जश्न मनाने के लिए** किया जाता है।

आगे की राह

- महिला मंच या कामकाजी माता-पिता संपर्क के माध्यम से महिलाओं में **आत्मविश्वास की कमी को दूर करने** की जरूरत है।
- महिला वैज्ञानिकों, गणितज्ञों आदि की जीवनियां शामिल करके **शिक्षण सामग्री में लैंगिक पूर्वाग्रहों से जुड़ी समस्या का समाधान** करने की जरूरत है।
- **पितृत्व अवकाश की सुविधा दी जानी चाहिए।** इससे महिलाओं को प्रसव की वजह से करियर में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को पार करने में मदद मिलेगी।
- अनुसंधान कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयु संबंधी पात्रता मानदंड में छूट दी जानी चाहिए, कार्यस्थल पर सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कार्य परिसर में आवास की सुविधा दी जानी चाहिए आदि।
- गैर-लाभकारी STEM पहलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के **लैंगिक समावेशन निधि** स्थापित की जानी चाहिए और **निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी** को बढ़ाना चाहिए।

1.4. केयर इकोनॉमी (Care economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केयर इकोनॉमी के महत्त्व और 300 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने की इसकी क्षमता पर बल दिया है। इन रोजगारों में से 80 प्रतिशत का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है।

केयर इकोनॉमी के बारे में

- केयर इकोनॉमी से तात्पर्य **ऐसी गतिविधियों और संबंधों से है जो वयस्क, बच्चे, वृद्ध ,युवा, कमजोर और समर्थ व्यक्ति की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने** में मदद करते हैं।
- केयर इकोनॉमी के अंतर्गत अनेक क्षेत्रकों, जैसे- **शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और घरेलू कार्यों** को शामिल किया गया है।

देखभाल-कार्यों का महिलाओं पर प्रभाव

- **आराम के लिए समय की कमी होना:** नींद की कमी, सामाजिक अकेलापन आदि जैसे मुद्दों के कारण जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- **अवसरों से वंचित हो जाना:** देखभाल संबंधी कार्यों से महिलाओं को सक्रिय रूप से आगे शिक्षा जारी रखने में बहुत परेशानी होती है या वे अपनी पढ़ाई ही छोड़ देती हैं। इसके अतिरिक्त, वे रोजगार के अवसरों से भी वंचित हो जाती हैं तथा अपने कौशल के स्तर में वृद्धि नहीं कर पाती हैं।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** नियुक्ति और वेतन में भेदभाव के कारण महिलाएं अपने कौशल स्तर से नीचे के तथा उन क्षेत्रकों में रोजगार चुनती हैं, जो परंपरागत रूप से उनकी लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े होते हैं।
- **लिंग-आधारित भेदभाव को बढ़ावा:** देखभाल संबंधी कार्यों से परिवार में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति को कमतर आंका जाता है या उन्हें बहुत कम महत्त्व दिया जाता है। साथ ही, इससे लैंगिक असमानताओं में भी वृद्धि होती है। यह सब महिला सशक्तीकरण के लिए हानिकारक है।
- **अन्य मुद्दे:** पर्यावरणीय और आर्थिक परिवर्तनों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि होती है, जैसे कि **जलवायु संबंधी आघात, मितव्ययिता नीतियां, सामाजिक क्षेत्र के व्यय को कम** करना आदि।

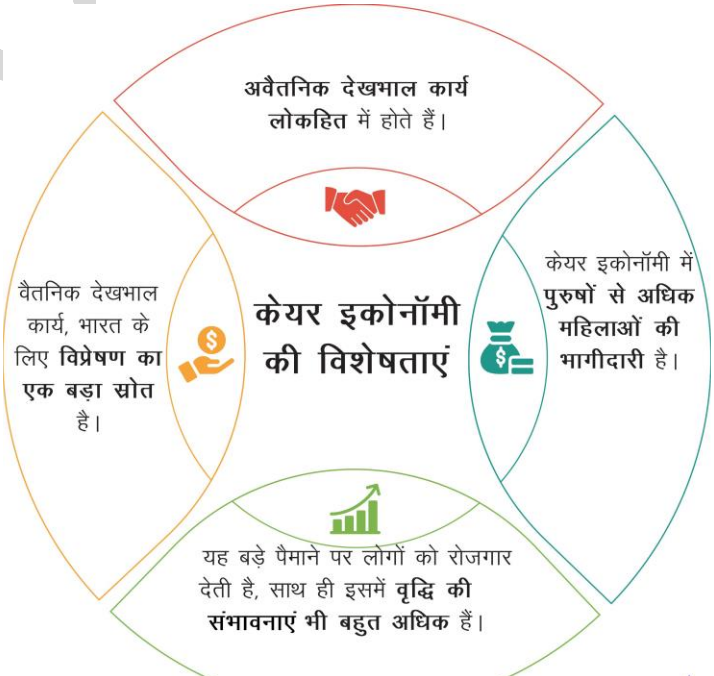

महिलाओं पर से देखभाल संबंधी कार्यों के बोझ को कम करने की दिशा में आगे की राह

- **मान्यता:** अवैतनिक कार्य का मापन और इसका मौद्रिक इकाइयों में आकलन किया जाना चाहिए।
- **सुविधाएं उपलब्ध करवाना:** देखभाल नीतियों और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ऐसा मजबूत सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करके, पारिवारिक भत्ते एवं संतान संबंधी लाभ प्रदान करके, तकनीकी परिवर्तनों में निवेश करने जैसे उपायों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

- **पुनर्वितरण:** लैंगिक रूप से पक्षपातरहित और सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित अवकाश नीतियों को लागू करना चाहिए। साथ ही, लचीले वर्क-शेड्यूल या टेलीवर्किंग को बढ़ावा देने सहित शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में बदलाव लाने जैसे उपाय किए जाने चाहिए।
- **देखभाल कर्मियों की पहचान करना:** देखभाल कर्मियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उनके लिए एक पहचान-तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए तथा उन तक आवश्यक लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें जॉब कार्ड आवंटित करने चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में ई-श्रम पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है।
- **केयर इकोनॉमी में निवेश करना:** यदि सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 प्रतिशत भारतीय स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्रक में निवेश किया जाए, तो 11 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजित हो सकते हैं।
- **भावनात्मक श्रम** से जुड़े मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

भावनात्मक श्रम

- यह शब्दावली पहली बार 1983 में रची गई थी। भावनात्मक श्रम किसी की व्यक्तिगत और पेशेवर भूमिका के हिस्से के रूप में दूसरों के साथ उसके भावनात्मक अभिव्यक्तियों को विनियमित या प्रबंधित करने को संदर्भित करता है।
  - उदाहरण के लिए, कर्मचारियों के साथ नियमित कार्यस्थल से भिन्न किसी अन्य जगह बैठक करना और सहकर्मियों के लिए कार्ड्स एवं उपहारों की व्यवस्था करना आदि।
- शारीरिक श्रम की तरह **भावनात्मक श्रम भी बार-बार किए जाने पर प्रयासों से युक्त और थका देने वाला** होता है।
- **लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण भावनात्मक श्रम का महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव** पड़ता है। इसकी वजह यह है कि महिलाएं अधिक सहानुभूतिपूर्ण या पालन-पोषणकर्ता होती हैं।
- **भावनात्मक श्रम के परिणामस्वरूप असमानता बढ़ती है,** क्योंकि इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

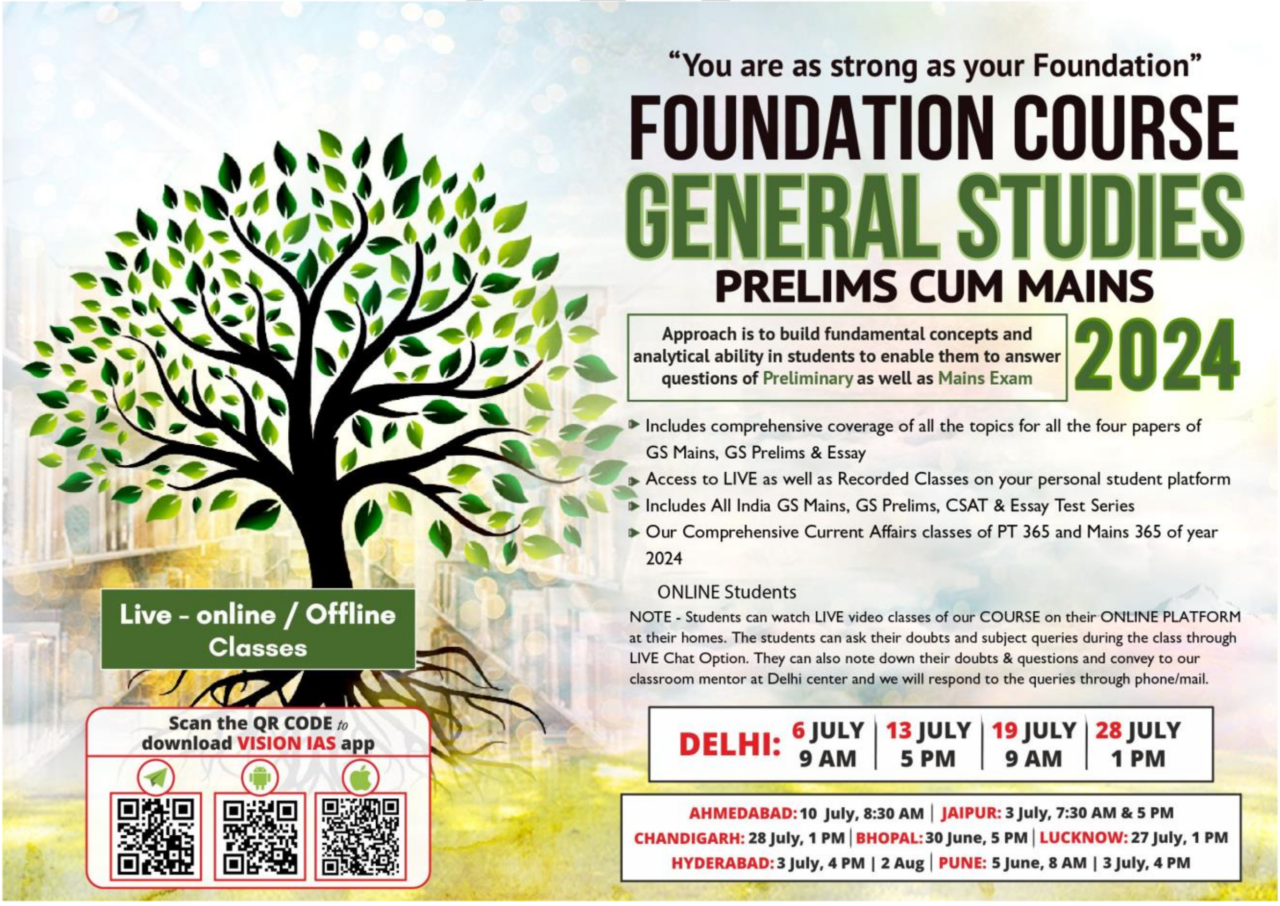

1.5. विधायिका में महिला आरक्षण (Women's Reservation in Legislatures)

विधायिका में महिला आरक्षण: एक नज़र में

पृष्ठभूमि:

- महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था, लेकिन लोक सभा के विघटित होने के साथ ही यह व्यपगत हो गया।
- तब से विधेयक को कई बार पुनः प्रस्तुत किया गया (अंतिम बार 2010 में), लेकिन इसे **बहुमत का समर्थन नहीं** मिल पाया।
- विधेयक में **महिलाओं के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने** का प्रस्ताव रखा गया था।
- आरक्षित सीटों को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के **विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के अनुसार आवंटित** किया जा सकता है।

विधेयक के समर्थन में तर्क

- यह **महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक** है। यह उन्हें उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव और असमानता से लड़ने में मदद करेगा।
- यह महिलाओं की **सतत प्रगति के साथ–साथ प्रतिनिधि लोकतंत्र व समावेशी समाज के लिए भी महत्वपूर्ण** है।
- पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुभव उत्साहवर्धक रहा है।
- यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर यू.एन. कन्वेंशन (CEDAW) और **बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन (BPfA)** – **1995** के तहत निर्धारित लक्ष्यों के पालन के लिए आवश्यक है।

विधेयक के विरोध में तर्क

- यह **महिलाओं की असमानतापूर्ण स्थिति** को बनाए रखेगा, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाएगा।
- यह **केवल संभ्रांत वर्ग (Elite) की महिलाओं के लिए** उपयोगी है।
- **'प्रॉक्सी कल्चर'** या **'सरपंच पति'** की अवधारणा को बनाए रखेगा।
- चुनाव सुधार के बड़े मुद्दों जैसे **राजनीति का अपराधीकरण और दलों के आंतरिक लोकतंत्र** आदि की उपेक्षा करता है।

वर्तमान स्थिति

- संसद और अधिकांश राज्य विधान सभाओं में **महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम** है।
- **संसद या राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं।**
- विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक–2022 में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के समक्ष बाधाएं:

- आर्थिक निर्भरता
- पितृसत्तात्मक मूल्य
- राजनीति का अपराधीकरण
- शिक्षा और जागरूकता का अभाव
- पारिवारिक सहयोग का अभाव

आगे की राह

- संसद में विचार–विमर्श, बहस और इसका पारित होना सुनिश्चित करने के लिए **राजनीतिक प्रतिबद्धता और ठोस साक्ष्य** दोनों आवश्यक हैं।
- राजनीति में प्रचलित **पुरुष प्रधान मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन** लाना जरूरी है।
- महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए **जागरूकता और नेतृत्व विकास कार्यक्रम** आयोजित करना चाहिए।
- **वैकल्पिक उपाय के रूप में राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।** कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि देशों में राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।

1.6. सरपंच पति (Sarpanch Patis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने निर्वाचित महिलाओं को सशक्त करने के लिए "सरपंच पति" वाली व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश की है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला आरक्षण

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानः पंचायती राज संस्थानों (भाग XI में कवर किए गए) में एवं इसके हर स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं हेतु एक–तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। (अनुच्छेद 243 D)

कई राज्यों जैसे– **बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओड़ीसा, राजस्थान** आदि ने पंचायत सदस्य और सरपंच पदों के लिए 50% आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान लागू किए हैं।

विमन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 31.8 लाख चुने हुए जन–प्रतिनिधियों में से 46% (लगभग 14.5 लाख) महिलाएं थीं।

प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर

- ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने पंचायत स्तर पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
    - **सरपंच पति या प्रधान पति जैसी प्रचलित अवधारणाओं पर अंकुश लगाने के लिए** निर्वाचित महिलाओं का प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण करने की आवश्यकता है। सरपंच पति की अवधारणा के तहत **निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति प्रतिनिधि** के रूप में कार्य करते हैं।
    - **महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने** में सक्षम बनाने के लिए उन्हें **आर्थिक रूप से मजबूत बनाया** जाना चाहिए।
- **महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं:**
    - **वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी।**
    - **अधिकारों** और जिम्मेदारियों के बारे में **पर्याप्त जानकारी का अभाव।**
    - **प्रबंधन संबंधी कम अनुभव की स्थिति।**
    - पारंपरिक रूढ़िवादी और संकीर्ण समाज द्वारा थोपी गई **सामाजिक बाधाएं।**
- **महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के उपाय**
    - पुरुषों और महिलाओं दोनों की **सोच में बदलाव लाना।**
    - हितधारकों और सरकार को महिलाओं की भागीदारी को **सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।**

संबंधित तथ्य

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** अपनी भविष्य की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स में **देशों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी** पर विचार करेगा।
- पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पर डेटा शामिल करने से वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग में सुधार होगा।

1.7. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (Violence Against Women)

महिलाओं के विरुद्ध हिंसाः एक नज़र में

लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं एवं लड़कियों को **शारीरिक, लैंगिक या मानसिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है,** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रेखांकित करने वाले कारक

- **व्यक्तिगत कारकः** संबंधों में अत्यधिक असमानता, मादक पदार्थों एवं शराब का हानिकारक सेवन, महिलाओं के प्रति द्वेष या पूर्वाग्रह इत्यादि।
- **सामुदायिक कारकः** कठोर पितृसत्तात्मक लैंगिक मानदंड, अत्यधिक निर्धनता और बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाली लोकप्रिय संस्कृति, महिलाओं को हाशिये पर रखना आदि।
- 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में **16.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।**

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने में भारत में चुनौतियां

- **कानून के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्देः** कार्य के अत्यधिक भार से ग्रस्त न्यायपालिका, निम्न दोषसिद्धि दर, कानून एवं परिभाषाओं में अस्पष्टता, पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त उदासीनता, महिला पुलिसकर्मियों की कमी, अपराध की सूचना देने की निम्न दर, न्याय प्रणाली में रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह आदि।
- **सामाजिक मुद्देः** समाज में हिंसा के प्रति स्वीकार्यता एवं सहिष्णुता, अपराध संबंधी मामलों की कठिन पहचान, न्यायेतर अदालतों का अस्तित्व, भेदभाव के अलग–अलग रूपों पर बहुत कम ध्यान देना आदि।
- **अन्य मुद्देः** दंड विधि (क्रिमिनल लॉ) में किए गए संशोधन व्यापक नहीं हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में उपलब्ध डेटा की कमी तथा सुरक्षित अवसंरचना का अभाव है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदम

- **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** और 2018
- **महिलाओं के विरुद्ध साइबर–हिंसा से निपटने हेतु नए IT नियम**
- **उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय**
- **राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना**
- **योजनाएं अथवा पहलेंः** महिला पुलिस वालंटियर्स; उज्ज्वला योजना; निर्भया कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इत्यादि
- **अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थनः** महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)
- **राज्य स्तरीय पहलेंः** दिल्ली पुलिस द्वारा हिम्मत ऐप, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सम्मान अभियान, केरल सरकार द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, आदि

1.7.1. यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने PoSH[1] अधिनियम, 2013 को लागू करने में "गंभीर लापरवाही" बरते जाने एवं "अनिश्चितता" की स्थिति संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दरअसल, हाल ही में, एक समाचार-पत्र के सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया था कि देश के **30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16** संघों ने ही उपर्युक्त अधिनियम के तहत अनिवार्य **"आंतरिक शिकायत निवारण समिति (ICC)[2]"** का **गठन** किया है। सर्वेक्षण के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में

- **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना का प्रभाव**
  - **पीड़िता पर प्रभाव:**
    - पीड़िता को मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है;
    - व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन देखा जाता है और वह अलग-थलग रहने लगती है;
    - तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक बीमारी का खतरा बना रहता है; और
    - भविष्य में करियर के अवसर प्रभावित होते हैं जिससे रोजगार के स्तर पर नुकसान होता है।
  - **नियोक्ता/ संगठन पर प्रभाव:** कार्य उत्पादकता प्रभावित होती है, संगठन की प्रगति और नवाचार मंद पड़ जाता है, कंपनी की छवि खराब होती है आदि।
  - **समाज पर प्रभाव:**
    - समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करने की महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचती है;
    - कानूनी और आपराधिक मुकदमों का बोझ बढ़ जाता है;
    - पीड़िता के दीर्घकालिक पुनर्वास के रूप में समाज को लागत चुकानी पड़ती है इत्यादि।

- कार्यस्थल के माहौल को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने के लिए **'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या POSH** एक्ट बनाया गया था।
  - वास्तव में, इस अधिनियम ने 1997 में **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय** के तहत निर्धारित **विशाखा दिशा-निर्देशों का विस्तार** किया और इसे कानूनी आधार प्रदान किया है।

---

[1] Protection of Women from Sexual Harassment/ यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण

[2] Internal Complaints Committee

PoSH अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधान

- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक नापसंद बर्ताव/ आचरण या व्यवहार शामिल हैं (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या मंशा व्यक्त करके):
  - शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना;
  - यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध;
  - अश्लील साहित्य/ चित्र दिखाना।
- **कार्यस्थल की परिभाषा:** कार्यस्थल में ऐसा कोई भी स्थान शामिल है जहां कर्मचारी रोजगार की वजह से या रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे स्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए **परिवहन के साधन भी शामिल** हैं।
- **पीड़ित महिला:** इसमें **सभी महिलाएं** शामिल हैं, भले ही उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो और चाहे वह **संगठित** या **असंगठित क्षेत्र; सार्वजनिक** या **निजी क्षेत्र** में कार्यरत हो।
- **शिकायत निवारण तंत्र**

शिकायत समिति	• ऐसे प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में **आंतरिक शिकायत समिति** (ICC)[3] का **गठन अनिवार्य** है जहां **10 या इससे अधिक कर्मचारी** कार्य करते हैं। ICC के पास **दीवानी अदालत के समान शक्तियां** होती हैं। • 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए **जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन** किया जाता है। • कोई भी पीड़िता या उसका कानूनी प्रतिनिधि "उत्पीड़न की तारीख से तीन महीने के भीतर" कार्रवाई के लिए ICC के पास शिकायत दर्ज कर सकती/ सकता है।
सुलह	• **ICC,** जांच शुरू करने से पहले, और पीड़ित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और जवाबदेह पक्ष के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है।
जांच	• ICC या तो पीड़िता की शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए **पुलिस के पास** भेज सकती है, या वह **अपने स्तर पर जांच** शुरू कर सकती है जिसे **90 दिनों के भीतर पूरा** किया जाना होता है।
अन्य प्रावधान	• ICC दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियोक्ता को सिफारिश कर सकती है। • यदि पीड़ित महिला या जवाबदेह पक्ष (आरोपी) जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं। • ICC नियोक्ता से **"सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार"** उस महिला, या शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की "सिफारिश" कर सकती है, जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। • **महिला, जवाबदेह पक्ष और गवाह** की पहचान; पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी; जांच की सिफारिश और इस पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में चुनौतियां

- **संगठनों द्वारा ऐसी घटनाओं को दबाने या ख़ारिज करने की प्रवृत्ति:** संगठनों में अक्सर यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक और अच्छी तरह से प्रसारित नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अभाव होता है।
- **घटना की रिपोर्ट करने में संकोच:** नौकरी छूटने, सामाजिक कलंक, परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान जैसे संभावित प्रभावों के बारे में सोचकर पीड़िता अक्सर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में संकोच करती हैं।
- **अलग-अलग संस्कृतियों और वैश्विक परिवेश संबंधी चुनौतियां:** अलग-अलग सांस्कृतिक मानदंड, भाषा संबंधी बाधा और अलग-अलग कानूनी परिभाषाएं यौन उत्पीड़न की रोकथाम करने के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं।
- **POSH कानून में कमियां:**
  - यह कानून केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि, वास्तव में किसी भी जेंडर का व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है।

[3] Internal Complaints Committee

- ○ जब पीड़िता और आरोपी समान जेंडर (सम-लैंगिक) के हों, तब यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है।
- ○ नियोक्ता द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई "कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के आधार पर" की जाती है। ये **सेवा नियम अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग** हो सकते हैं।

आगे की राह

- यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कंपनियों को "कर्मचारियों के लिए आचार संहिता" के भीतर **"जीरो टॉलरेंस" की नीति** अपनानी चाहिए।
- **ICC की स्थापना अनिवार्य:** बड़े, छोटे अथवा किसी भी क्षेत्रक के सभी संगठनों द्वारा उनके कार्यस्थल पर कानूनी रूप से अनिवार्य ICC की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लागू करना:** यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को तुरंत निपटाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, निष्पक्ष जांच और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- यौन उत्पीड़न के दायरे में आने वाले विशिष्ट व्यवहारों की समझ बढ़ाने के लिए **सभी कर्मचारियों और प्रबंधन को नियमित प्रशिक्षण** प्रदान किया जाना चाहिए।
- **POSH कानून, 2013 में संशोधन:**
  - ○ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इस **कानून को लैंगिक-तटस्थ** बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी जेंडर के व्यक्ति के साथ घटित यौन उत्पीड़न की घटना को दर्ज किया जा सके। तभी, सभी जेंडर के व्यक्तियों (**गैर-मानक लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों सहित**) के लिए समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - ○ इस कानून में **समान जेंडर (सम-लैंगिक) के यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों** के समाधान को शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए।
  - ○ यौन उत्पीड़न के **दोषी के खिलाफ कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से** (तथ्यात्मक आधार पर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1.7.2. निर्भया कोष (Nirbhaya Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक सूचना से पता चला है कि 2012 में 'निर्भया कोष' की स्थापना के बाद से अब तक इसके 70% धन का ही उपयोग किया गया है।

निर्भया कोष के बारे में

- 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की एक घटना की प्रतिक्रिया के रूप में इस कोष की स्थापना की गई थी। यह देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित एक गैर-व्यपगत निधि[4] है।
  - ○ इसकी प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

[4] Non-Lapsable Fund

    - **वन स्टॉप सेंटर की स्थापना;**
    - **सुरक्षा उपकरण का विनिर्माण;**
    - **फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना;**
- **कोष का प्रबंधन:** इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।
    - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)** निर्भया कोष के तहत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं की सिफारिश/ मूल्यांकन के लिए **नोडल मंत्रालय** है।
- **निर्भया कोष का फंडिंग पैटर्न:**
    - दुर्गम भू-भाग वाले राज्यों के लिए 90:10;
    - अन्य राज्यों के लिए 60:40;
    - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%;
    - कुछ पहलों के लिए 100% धन भी प्रदान किया जाता है।

निर्भया कोष के उपयोग में आने वाली चुनौतियां

- परियोजनाओं के अनुमोदन में **अंतर-मंत्रालयी सहयोग** की आवश्यकता होती है।
- ऑक्सफैम की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों से प्रस्ताव आने अपेक्षित हैं।
- **अपर्याप्त आवंटन:** उदाहरण के लिए, मिशन शक्ति के तहत संबल (SAMBAL) योजना हेतु किया गया आवंटन पिछले वर्ष की इसकी घटक योजना के लिए निर्धारित संयुक्त आवंटन से 10% कम है।
    - संबल योजना में वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन और महिला पुलिस स्वयंसेवक शामिल हैं।
- **डिज़ाइन में सीमाएं मौजूद हैं,** जैसे सामान्य अवसंरचना के निर्माण के लिए निधि का अधिक उपयोग तथा इसमें सार्वजनिक स्थानों से संबंधित शहरी अपराधों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **अपर्याप्त निधि:** ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम 10,000-11,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। निर्भया कोष के तहत किया गया आवंटन इससे कम है।
- **व्यय में पारदर्शिता की कमी,** कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं के कारण अप्रत्याशित व्यवधान आदि।

आगे की राह

- कोष में केंद्र की हिस्सेदारी के साथ-साथ वार्षिक आवंटन में भी वृद्धि करनी चाहिए।
- महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा (VAWG)[5] से संबंधित सेवाओं के सार्वभौमीकरण के लिए **बेंचमार्क बनाने की आवश्यकता** है। साथ ही, जिला और उप-जिला स्तर पर इनकी उपलब्धता और गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान देना चाहिए।
- अधिकार प्राप्त समिति को **महिला सुरक्षा के संबंध में समग्र परिदृश्य** का आकलन करते हुए किये जा सकने वाले प्रभावी उपायों की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय समुदायों, पुलिस, NCRB, मनोवैज्ञानिकों आदि को शामिल करके सभी प्रमुख शहरों से फीडबैक लेना चाहिए।
- निरंतर निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि क्षेत्रकों में हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करके डिज़ाइन में सुधार करना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- **केरल ने 2021-22 के अपने जेंडर बजट में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा देखभाल, पुलिस थानों में लैंगिक जागरूकता** आदि हेतु संसाधनों का आवंटन किया है।

[5] Violence Against Women and Girl

VISION IAS

1.8. महिलाओं के विवाह की आयु (Marriage Age of Women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा में **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021** पेश किया गया था। इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 **वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने** का प्रावधान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह प्रस्ताव **केंद्र के एक कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर आधारित है।** कार्यबल की अध्यक्षता **जया जेटली** ने की थी।
- इस कार्यबल का गठन निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था:
    - मातृत्व की आयु,
    - मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate: MMR) कम करने की अनिवार्यता,
    - पोषण स्तरों में सुधार तथा अन्य संबद्ध मुद्दे।
- **प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
    - यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA)[6], 2006 में संशोधन करेगा।
    - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, पुरुषों की विवाह योग्य आयु 21 और महिलाओं की 18 वर्ष है।
    - **उद्देश्य:** महिलाओं की विवाह योग्य आयु को पुरुषों के समान बनाना, मौजूदा कानूनों, जिनमें विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीतिरिवाज़, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं, उन्हें रद्द करना आदि।
    - **बालक की परिभाषा (Definition of child):** 'चाइल्ड या बालक' का आशय एक ऐसे व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) से है, जिसने अभी 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
    - विवाह पर विविध धर्मों के अलग-अलग वैयक्तिक कानूनों (Personal laws) को समाप्त कर दिया जाएगा।

[6] Prohibition of Child Marriage Act

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006

यह अधिनियम **18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ विवाह संबंध में बंधने संबंधी कृत्य को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध** ठहराता है। इसमें दो वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने के दंड का प्रावधान है, लेकिन यह ऐसे विवाह को वैध ठहराता है।

यह अधिनियम **अवयस्क विवाहों को वैध ठहराता है, लेकिन उसे शून्य भी घोषित करता है** जिसका अर्थ है कि अवयस्क विवाह तभी तक वैध है, जब तक इस विवाह में शामिल अवयस्क इसे वैध रखना चाहते हैं।

यह अधिनियम विवाह के लिए न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है।

विवाह की आयु बढ़ाने के सकारात्मक पहलू	विवाह की आयु बढ़ाने की आलोचना

• यह विवाह के मामले में **जेंडर-न्यूट्रैलिटी** सुनिश्चित करेगा।
• **बाल विवाह में कमी:** विवाह की आयु बढ़ाने से बालविवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। इससे आगे बाल विवाह के मामलों में कमी आएगी।
• **महिला सशक्तीकरण:** विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने से महिलाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और कार्यबल में भाग लेने के लिए अधिक समय मिलेगा।
• **बेहतर स्वास्थ्य:** वे अल्पायु में ही गर्भधारण और घरेलू जिम्मेदारियों के मनोवैज्ञानिक बोझ से बच सकती हैं।
	• महिला के लिए विवाह करने की **औसतन आयु 22.7 वर्ष** है। यह औसत आयु वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ी है। चूंकि, महिलाओं के बीच शिक्षा की दर में सुधार हुआ है, इस कारण यह बदलाव आया है।
	• वर्तमान में महिलाओं की विवाह करने की **कानूनी आयु 18 वर्ष** है, तब भी भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। इसलिए, नया कानून प्रभावी नहीं हो सकता है।
	• प्रस्तावित कानून महिला सशक्तीकरण में बाधा बनने वाली **सामाजिक और सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक प्रथाओं पर ध्यान नहीं** देता है।
	• **गर्भावस्था के लिए सबसे सुरक्षित आयु:** सभी आयु वर्गों में से 20-24 वर्ष की महिलाओं (जो महिलाएं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करती हैं) की मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है।
	• **कानून का दुरुपयोग होने का भय:** इस कानून के दुरूपयोग होने की आशंका है। यह विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी बनाकर उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
	• **अन्य कानूनों के विपरीत:**
	  ○ 18 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति मतदान कर सकता है किंतु अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता।
	  ○ इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013 के दंड विधि संशोधन अधिनियम के अनुसार, लैंगिक संबंधों के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष है।
	  ○ इसी प्रकार, **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016** 14-18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं को छोड़कर, अन्य सुरक्षित आजीविका में कार्य करने की अनुमति देता है।

आगे की राह

- **सूचना, शिक्षा और संचार:** निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है।
- **महिला सशक्तीकरण:** लड़कियों के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों तक पहुंच को सुगम बनाना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रमों में लैंगिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शामिल करना चाहिए।
- **बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण:** सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों की लड़कियों को कम आयु में विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन लड़कियों को, विशेषकर शिक्षा को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे महिलाओं की विवाह की आयु अपने आप बढ़ जाएगी।

* **लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के अन्य तरीके:** वर्ष 2018 में, भारत के विधि आयोग ने पुरुषों के विवाह करने की कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। साथ ही, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष करने का सुझाव दिया था।

1.9. सरोगेसी (Surrogacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसे दंपति की मदद के लिए **"ट्रिपल टेस्ट"** विकसित किया है, जो सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत **सरोगेट बच्चे** हेतु कानूनी बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

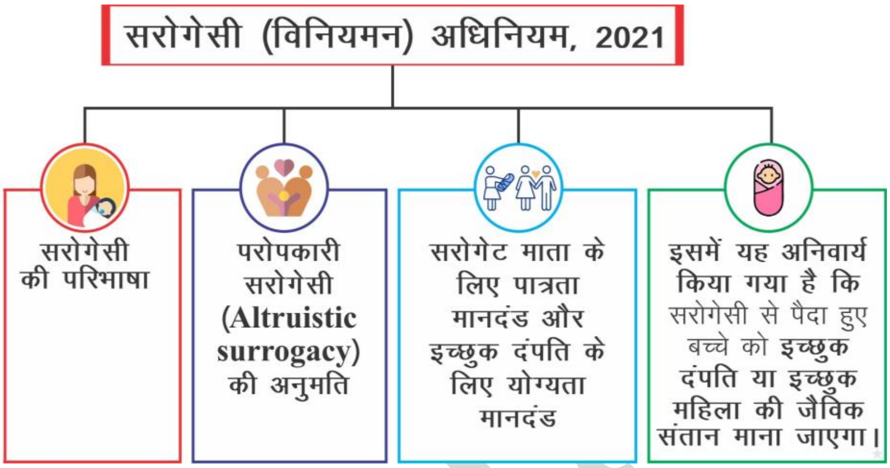

अन्य संबंधित तथ्य

* **ट्रिपल टेस्ट के घटक:**
    * **पति का आनुवंशिक परीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि **बच्चा किसी विकार के साथ पैदा न हो।**
    * **दंपति का शारीरिक परीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंपति में **बच्चे की देखभाल की क्षमता है अथवा नहीं।**
    * **दंपति का आर्थिक परीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या **वे बच्चे के भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं।**

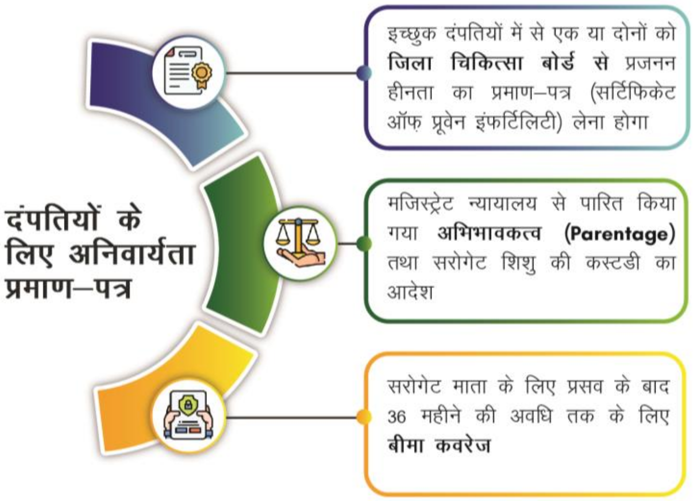

अधिनियम से संबंधित मुद्दे

* **अपवर्जनात्मक प्रवृत्ति:** यह अधिनियम केवल कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष को ही सरोगेसी सेवाएं लेने की अनुमति देता है। यह **'नॉन-बाइनरी'** और **'समान लिंग वाले युगलों** को सरोगेसी के ज़रिए संतान प्राप्त करने से रोकता है।
    * **देविका विश्वास बनाम भारत संघ** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का एक अनिवार्य पहलू है।**
* **'बंध्यता' की परिभाषा में समस्याएं:** 'बंध्यता' के अर्थ को केवल गर्भ धारण करने की असमर्थता (बांझपन) तक ही सीमित रखा गया है। इसमें उन सभी मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी वजह से एक दंपत्ति बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है।
* **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध:** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने से सेरोगेट माता की आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। इसके कारण, महिलाओं के स्वैच्छिक रूप से सरोगेट माता बनने का विकल्प सीमित हो जाता है।

आगे की राह

- **प्रसव के बाद होने वाले अवसाद की देखभाल:** सरकार को प्रसव के बाद के अवसाद को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, दोनों माताओं के लिए मातृत्व लाभ की प्राप्ति का प्रावधान करना चाहिए।
- **आई.वी.एफ. उपचार के लिए समय-सीमा को समाप्त करना:** सरकार को लोगों को सरोगेसी का सहारा लेने की अनुमति देने से पहले आई.वी.एफ. उपचार के लिए निर्धारित समय को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि कई महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त होती हैं। साथ ही, कुछ कम-ज्ञात और अनिर्धारित बीमारियों से पीड़ित होती हैं जैसे " टोकोफोबिया "या बच्चे के जन्म का डर इत्यादि।
- **व्यावसायिक सरोगेसी को शामिल करने के लिए सरोगेसी के विकल्प का समय से परे विस्तार:** उचित सुरक्षा उपायों के साथ सरोगेसी बाजार का विस्तार करने से बच्चे के प्यार से वंचित लोगों को मदद मिलेगी।

1.10. भारत में गर्भपात कानून (Abortion Law in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार** दे दिया है। अब यह अधिकार विवाहित के साथ-साथ अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त होगा।

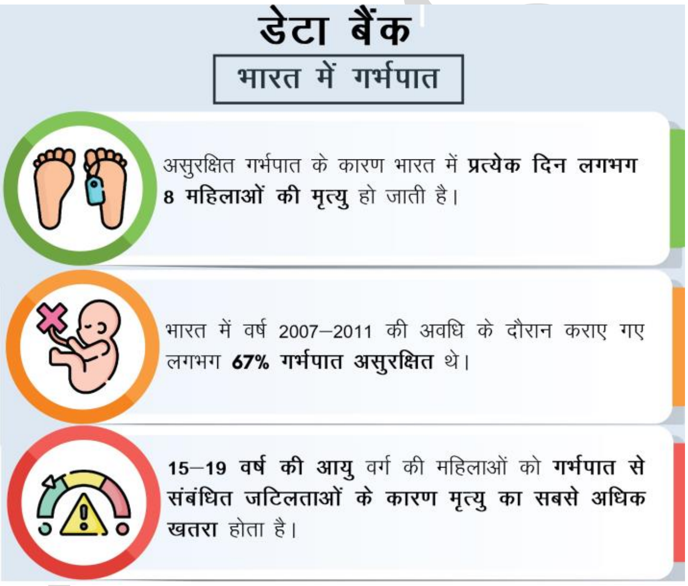

भारत में गर्भपात कानून

- भारत में गर्भपात करना या कराना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 और 313 के तहत अवैध है, जब तक कि यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित तरीके से ना किया जाए।
  - **गर्भपात का तात्पर्य शल्य चिकित्सा या अन्य चिकित्सा माध्यमों द्वारा गर्भावस्था की जानबूझकर समाप्ति से है।**
- **MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021:** इसके द्वारा वर्ष 1971 के अधिनियम को संशोधित किया गया था। **यह संशोधन कानूनी और सुरक्षित गर्भपात सेवा तक महिलाओं की पहुंच** बढ़ाने के लिए किया गया है।

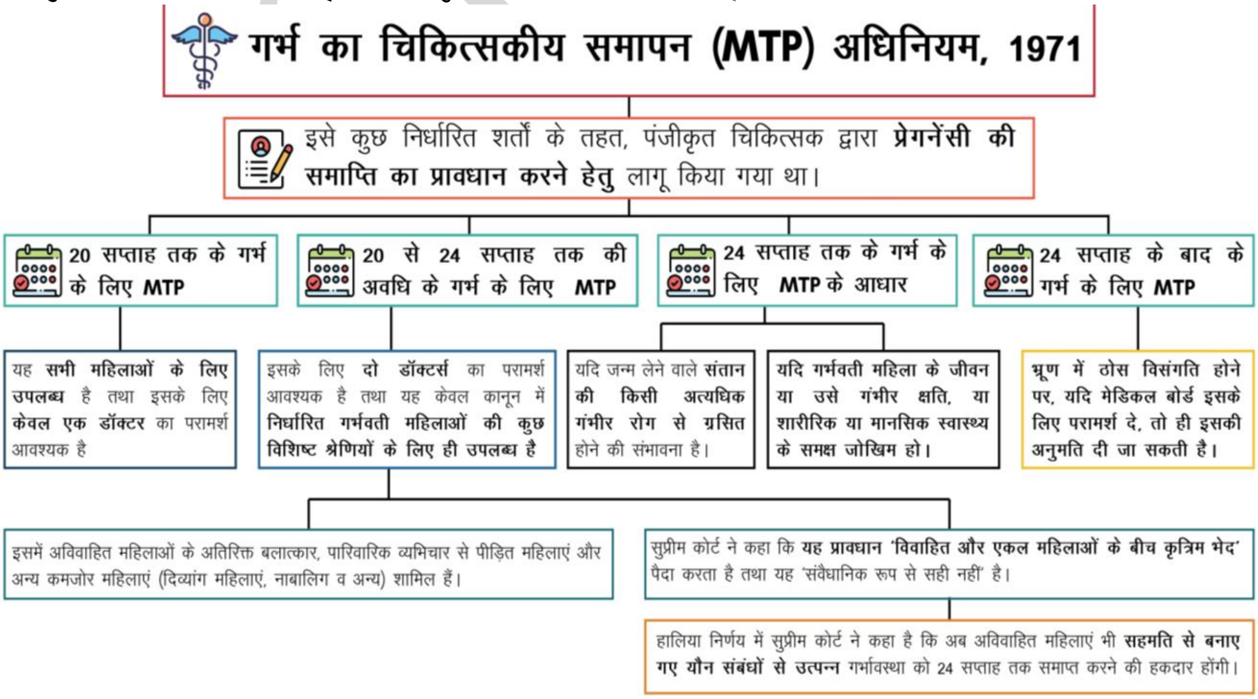

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का महत्व

- **संवैधानिक अधिकार:** इस निर्णय के अनुसार, वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के बीच विभेद **अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार** का उल्लंघन है। साथ ही, **अनुच्छेद-21 के तहत महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अधिकार** दिया गया है।
- **वैवाहिक बलात्कार को संज्ञान में लेना:** इस निर्णय में 'वैवाहिक बलात्कार' को पहली बार विधिक रूप से संज्ञान में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के कारण किसी विवाहित महिला की गर्भावस्था को MTP अधिनियम के तहत 'बलात्कार' माना जा सकता है।
    - ऐसी स्थिति में **महिलाएं किसी की सहमति के बिना** गर्भपात करा सकती हैं।
- **'महिला' की परिभाषा में विस्तार:** यह निर्णय स्पष्ट करता है कि 'महिला' शब्द के अंतर्गत महिला या सिस-जेंडर वीमेन और अन्य लैंगिक पहचान वाले ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे, जिन्हें सुरक्षित गर्भपात की आवश्यकता हो सकती है।
- **नाबालिगों की गोपनीयता की रक्षा:** उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग महिलाओं को सहमति से यौन संबंध बनाने से उत्पन्न गर्भ के गर्भपात की अनुमति दी है। अतः अब वे पुलिस को अपनी पहचान बताए बिना गर्भपात करवा सकती हैं। हालांकि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO)[7] अधिनियम के तहत पुलिस को पहचान बताना अनिवार्य होता है।

भारत में गर्भपात संबंधी अन्य चुनौतियां

- **योग्य चिकित्सकों की कमी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (NHFS)[8], 2015-16 के अनुसार, भारत में केवल 53% गर्भपात ही पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा किए जाते हैं।
- **धार्मिक प्रतिरोध:** कई लेख और धार्मिक ग्रंथ गर्भपात का विरोध करते हैं। ये गर्भपात की सामाजिक स्वीकृति को कम करते हैं, जिससे इस कानून का उपयोग बहुत सीमित हो जाता है।
- **सामाजिक कलंक:** विभिन्न कारक महिलाओं को गर्भपात से रोकते हैं, जैसे:
    - अविवाहित महिलाओं के गर्भवती होने से जुड़े सामाजिक कलंक,
    - बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की गोपनीयता का हनन, आदि।
- **नैतिक दुविधा:** गर्भपात से जुड़ी बहस में प्रायः यह मुद्दा उठाया जाता है कि **सामान्य प्रसव से पहले गर्भावस्था को समाप्त करना नैतिक रूप से सही है अथवा नहीं।**

अधिकार-समर्थक (प्रो-चॉइस) आंदोलन (माता पर केंद्रित)	जीवन-समर्थक (प्रो-लाइफ) आंदोलन (शिशु पर केंद्रित)
• **महिला के शरीर पर केवल उसका अधिकार है।** • घातक या **आजीवन पीड़ा** का कारण बनने वाले **जन्म दोष** (आनुवंशिक असामान्यताएं) से माता-पिता के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। • राज्य **महिलाओं की आयु (नाबालिग)** और **मानसिक स्वास्थ्य (मानसिक रूप से अस्वस्थ)** की अनदेखी नहीं कर सकता है। • **किसी भी अनचाहे बच्चे को पैदा नहीं किया जाना चाहिए। बलात्कार पीड़ितों** को गर्भपात के विषय में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।	• **भ्रूण के व्यक्तिगत अधिकारों** को बरकरार रखा जाना चाहिए। • प्रसव पूर्व भ्रूण का **लिंग परीक्षण** नहीं किया जाना चाहिए। **जन्म दोषों का भविष्य में उपचार किया जा सकता है।** • गर्भपात **मानवता के खिलाफ** है। साथ ही, राज्य का यह दायित्व है कि वह भ्रूण सहित सभी के जीवन की रक्षा करे। ○ **उदाहरण के लिए- टेक्सास गर्भपात विरोधी कानून** के अनुसार, यदि चिकित्सकीय पेशेवर भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि प्रारंभ होने की पुष्टि कर देते हैं, तो इस स्थिति में गर्भपात प्रतिबंधित है।

आगे की राह

- **शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता:** यह महिलाओं को उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों की मांग करने में अधिक सशक्त बनाएगी।
- **सामाजिक कलंक का समापन:** मीडिया, प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा अभियान, स्थानीय नेताओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आदि सुरक्षित गर्भपात का समर्थन कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि:** इससे सभी के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा।
- **नैतिक मुद्दों से निपटना:**
    - किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए लोगों को मानव जीवन के मूल्य का एहसास कराना चाहिए।

[7] Protection Of Children From Sexual Offences

[8] National Health And Family Survey

VISION IAS

- महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए **धार्मिक गुरुओं की सहायता ली जानी चाहिए।**
- चिकित्सा पेशेवरों द्वारा गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारण के बारे में सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **गर्भपात कराने वाली महिलाओं की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए।**

निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में भारत में गर्भपात कानूनों का स्वरूप प्रगतिशील हुआ है। इसी भावना से, वर्तमान निर्णय ने सभी महिलाओं (विवाहित और अविवाहित दोनों) के लिए गर्भपात के अधिकार की पुष्टि की है। साथ ही, इस निर्णय ने महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास किया है।

1.11. वाश एवं लैंगिक असमानता (WASH and Gender Inequality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यू. एन. वीमेन तथा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **एक चौथाई ग्रामीण परिवारों में महिलाएं एवं लड़कियां** प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय जल एकत्र करने में लगाती हैं।

WASH के बारे में

- **WASH जल, सफाई (सैनिटेशन) और स्वच्छता के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिसका संबंध निम्नलिखित से है-**
    - सुरक्षित पेयजल तक पहुंच
    - सफाई की बेहतर सुविधाएं
    - स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखना
- **WASH और लैंगिक असमानता:** WASH सुविधाओं तक पहुंच में लैंगिक असमानता व्याप्त है। इससे महिलाओं और **लड़कियों के स्वास्थ्य, उपयुक्त आवास, शिक्षा तथा भोजन के अधिकारों** के साथ-साथ अन्य मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं।
    - उदाहरण के लिए, जो महिलाएं और लड़कियां लंबे समय तक पेशाब रोक कर रखती हैं, उनमें मूत्राशय और गुर्दे के संक्रमण का खतरा अधिक होता है।

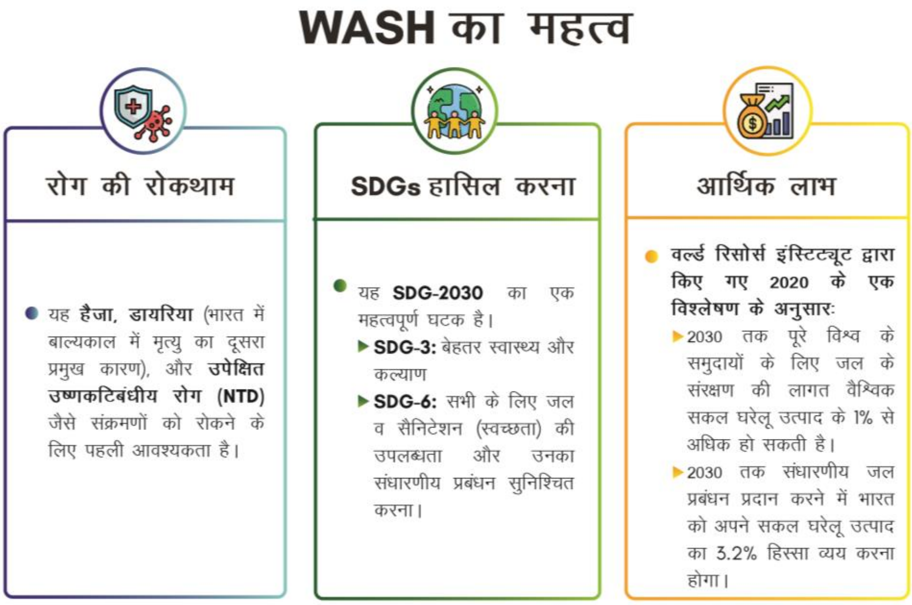

WASH में लैंगिक असमानता के कारण

- **ज्ञान का अंतर:** महिलाओं और पुरुषों के मध्य अक्सर WASH तक पहुंच, उपयोग, अनुभव और ज्ञान के संदर्भ में अंतर होता है।
- **पहुंच में कमी:** मानवीय स्थितियों में, संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के समय में या जब पानी और स्वच्छता के स्रोत न्यूनतम होते हैं, तब अक्सर महिलाओं तथा लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाता है।

- **वहनीयता अंतराल:** महिलाओं की वित्तीय संसाधनों तक कम पहुंच है।
- परिवार की देखभाल करने वाली **महिलाओं को पानी की कटौती अत्यधिक प्रभावित कर सकती है,** विशेष रूप से उन गरीब परिवारों में जहां महिलाएं प्रमुख भूमिका में हैं।
- WASH संबंधी अन्य चुनौतियां
    - **खर्च का अंतर:** WASH के वित्तपोषण के लिए सरकारी बजट बहुत कम रहता है। कानूनी ढांचे की कमी, संबंधित जोखिम और WASH व्यवसाय में कम रिटर्न के कारण निजी क्षेत्र का निवेश भी अपर्याप्त है।
    - **जवाबदेही की कमी:** उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकनों के ज़रिए केवल कुछ ही WASH कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा की जाती है।

WASH के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **जल जीवन मिशन:** इसे 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू किया गया था।
- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM):** SBM-G चरण II के तहत एक लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF + (खुले में शौच मुक्त प्लस) घोषित किया है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम:** यह गंगा नदी की सफाई के लिए एक समग्र कार्यक्रम है।
- **स्वच्छोत्सव अभियान** का उद्देश्य **'कूड़ा मुक्त शहर (GFC)'** के लक्ष्य को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रेरित करना है।

WASH के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- **WHO की WASH रणनीति, 2018–25:** इसका दृष्टिकोण सभी रिहायशी इलाकों में पानी, स्वच्छता और साफ–सफाई (Water, Sanitation and Hygiene) से जुड़ी सेवाओं के सुरक्षित प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य में काफी सुधार करना है।
- **WASH 2016–2030 के लिए यूनिसेफ की रणनीति:** इसका उद्देश्य 2030 तक SDG-6 को प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ के संगठन–व्यापी योगदान का मार्गदर्शन करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता और हाइजीन कोष (SHF):** इसे स्वच्छता सेवाओं की कमी के कारण होने वाली बीमारियों के सबसे भारी बोझ वाले देशों को त्वरित वित्त–पोषण प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू किया गया।
- **सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल (SWA):** यह सरकारों, नागरिक समाज संगठनों आदि की एक वैश्विक साझेदारी है, जो बेहतर जवाबदेही और संसाधन आवंटन को लेकर समन्वय करती है। इसका प्रबंधन यूनिसेफ द्वारा किया जा रहा है।

लैंगिक असमानता दूर करने और WASH प्रणाली को मजबूत करने हेतु कदम

- **वहनीयता:** मासिक धर्म में उपयोग की जाने वाली सुरक्षित और स्वच्छ सामग्रियों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए या आवश्यक होने पर उन्हें नि:शुल्क भी दिया जाना चाहिए।
- **सुगम्यता:** राज्यों को उन परिवारों के लिए WASH प्रणाली संबंधी सुविधाओं की प्राथमिकता देनी चाहिए, जो अभी तक इस सुविधा से दूर हैं। साथ ही, स्वच्छ और निकट स्थित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में तेजी लानी चाहिए।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड:** सामुदायिक जल और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए बिल्डिंग कोड निर्धारित करते समय लैंगिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे- लिंग आधारित क्यूबिकल्स, घर से निकटता और सुविधा केंद्रों में तथा वहां तक पहुंचने के रास्ते में प्रकाश सुनिश्चित करना।
- **WASH के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनी गारंटी:** लैंगिक समानता से संबंधित कानूनों को स्पष्ट रूप से पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
- **महिला भागीदारी और सशक्तीकरण:** व्यक्तिगत विकल्प चुनने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण करना चाहिए।
- **स्थानीय सरकारों में क्षमता निर्माण, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए।**
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर **विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।**

1.12. शहरीकरण और महिलाएं (Urbanisation and women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **'सिटीज़ अलाइव: डिजाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फॉर वीमेन'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

डेटा बैंक

शहरीकरण में लैंगिक असमानता

- 17% लोग परिवार की महिला सदस्यों के नौकरी करने का विरोध करते हैं।
- भारत में 20% महिलाएं नौकरी करती हैं।
- वैश्विक स्तर पर व्यवसाय में 29% महिलाएं निर्णय लेने वाले वरिष्ठ पदों पर हैं।
- 2020 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्षेत्र के 15% मंत्रालयों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया था।

शहरीकरण और महिलाएं

- शहर **नवाचार, उत्पादकता और विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं,** लेकिन समावेशी योजना निर्माण के बिना, शहरीकरण **सामाजिक अंतराल को बढ़ाता है।**
- दुनिया भर में **धनी समुदाय और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित शहरी वर्गों में महिलाएं सबसे अधिक सुभेद्य** हैं।
- शहरी योजना निर्माण में **लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण के बिना, शहर अक्सर लैंगिक असमानताओं को बढ़ाते हैं।**

शहरीकरण में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां

- **लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित शहरी योजना निर्माण:** शहरीकरण के तहत मुख्य रूप से पुरुष योजनाकार, डिज़ाइनर और शहरों से संबंधित बड़े अधिकारी (जैसे मेयर आदि) शहर की योजना बनाते समय महिलाओं की तुलना में **पुरुषों की गतिविधियों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश व्यतीत करने की जगहों तथा आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता** देते हैं।
- **पूर्वाग्रह:** मूर्तियों, सड़क के नामों और अन्य स्मारकों में प्राय: महिलाओं को प्रतिबिंबित नहीं किया जाता है तथा न ही उनका कोई स्मरणोत्सव मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, डेटा स्रोत भी पुरुष अनुभवों के प्रति लैंगिक रूप से पक्षपाती होते हैं।
- **लिंग आधारित भेदभाव:** गरीबी, बेरोजगारी, अवैतनिक देखभाल कार्य, शिक्षा में बाधाएं, हिंसा, सड़कों पर छेड़खानी आदि की उच्च दर व्याप्त है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण:** शहरी सार्वजनिक स्थानों पर यौन हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शहरी स्थानों में अक्सर महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं नहीं होती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव:** महिलाओं के पास जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यापक घटनाओं का सामना करने और उनसे उबरने के लिए कम संसाधन होते हैं।

आगे की राह

- **भागीदारीपूर्ण शहरी डिजाइनिंग:** इससे शहरों को समावेशी बनाने में मदद मिलेगी, जहां शहरों द्वारा प्रस्तावित अवसरों तक पूरे समुदाय की पहुंच होगी। साथ ही, इससे व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी उत्पन्न होंगे।
- **न्याय और समानता:** शहरी शासन के सभी स्तरों पर महिला भागीदारी का समर्थन करना चाहिए। **लैंगिक आधार पर डेटा संग्रह** किया जाना चाहिए। इसके अलावा, **महिलाओं के संपत्ति व भू-स्वामित्व के अधिकार की भी रक्षा** की जानी चाहिए।
- **सुरक्षा और रक्षा:** कानूनों में हिंसा की रोकथाम संबंधी प्रावधानों को शामिल करना चाहिए। स्थानों को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से डिजाइन करना चाहिए तथा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था के डिजाइन में सुधार करना चाहिए। साथ ही, लोक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ज्ञान साझा करना कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय हैं।
- **स्वास्थ्य और कल्याण:** यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के मानकों में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही, उच्च गुणवत्ता वाला जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा देखभालपूर्ण, हरित और सक्रिय परिवेश निर्मित किया जाना चाहिए।
- **जलवायु कार्रवाई में महिला नेतृत्व:** लैंगिक समानता में सुधार नीतिगत और वित्त-पोषण विकल्पों में योगदान देता है। इससे बेहतर पर्यावरणीय गवर्नेंस को संभव बनाया जा सकता है और लोचशीलता संबंधी उपायों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

VISION

निष्कर्ष

शहरी योजना निर्माण और डिज़ाइन के लिए **लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण अपनाना महिलाओं को मात्र सेवाएं प्रदान करने से कहीं ज्यादा बढ़कर है।** यह सुनिश्चित करता है कि शहरों द्वारा प्रस्तुत अवसरों तक पूरे समुदाय की पहुंच हो। साथ ही, यह दृष्टिकोण व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी उत्पन्न करता है।

1.13. मानव तस्करी (Human Trafficking)

मानव तस्करी – एक नज़र में

संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी को इस प्रकार परिभाषित किया है: **"मानव तस्करी का आशय शोषण के उद्देश्य से लोगों के व्यापार, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने, किसी दूसरे को सौंपने, अनाथालयों में रखने अथवा खरीदने से है। यह कार्य प्रायः धमकी या जबरन या प्रताड़ना के माध्यम से किया जाता है।"**

मानव तस्करी के तीन सर्वाधिक सामान्य प्रकार **देह व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी हैं।**

मानव तस्करी के कारण

- निर्धनता,
- महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति अपमानजनक सामाजिक/सांस्कृतिक प्रथाएं,
- प्रवास,
- वैश्विक महामारी,
- छिद्रिल (Porous) सीमाएं,
- बलात् श्रम में शामिल उद्योगों में वृद्धि, आदि।

मानव तस्करी के प्रभाव

- पीड़ितों में अवसाद और चिंता के साथ-साथ **मानसिक विकार जैसी समस्याएं।**
- महिलाओं और लड़कियों में **अवांछित गर्भधारण, यौन संचारित रोग (STDs), एच.आई.वी./एड्स, मातृ मृत्यु आदि का खतरा** सदैव बना रहता है।
- **लांछन, असहिष्णुता और सामाजिक बहिष्कार** पीड़ितों को समाज में फिर से शामिल होने से रोकते हैं।
- **तस्करी से पीड़ित बच्चे अपने मूल अधिकारों,** जैसे- जीवन और शिक्षा के अधिकार से **वंचित हो जाते हैं।**

भारत में कानून

- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 23(1) के तहत** व्यक्तियों का दुर्व्यापार (या तस्करी) प्रतिबंधित है।
- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** मानव तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। इस कानून का उद्देश्य व्यावसायिक या लैंगिक उद्देश्य से शोषण पर रोक लगाना है।
- **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** {Criminal Law (Amendment) Act, 2013} को लागू किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की मूल धारा 370 को नई धाराओं 370 और 370(A) से प्रतिस्थापित किया गया है। ये धाराएं मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती हैं।
- **व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021:** इस विधेयक का उद्देश्य तस्करी के सभी पहलुओं से निपटना है। इसमें अपराध के सामाजिक और आर्थिक कारण, तस्करों को सजा तथा बचाए गए लोगों की सुरक्षा एवं पुनर्वास आदि शामिल हैं।

मानव तस्करी को रोकने के लिए आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि **वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के मध्य अंतर को समझा जाए।**
- प्रशासन या पुलिस या गैर-सरकारी संगठन जैसी एजेंसियों के बीच या विभिन्न देशों के मध्य भी आंतरिक रूप से **उचित डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।**
- **मौजूदा कानूनों को सही से लागू करना जरूरी है।**
- **मानव तस्करी के पीड़ित लोगों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।**

2. बच्चे (Children)

2.1. बाल अधिकार (Child Rights)

बाल अधिकार – एक नज़र में

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में, एक बालक की परिभाषा विभिन्न कानूनों के अनुसार अलग–अलग है, उदाहरण के लिए– किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष से कम और बाल श्रम अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को 'बालक' माना जाता है।

बालक एवं उनके अधिकार

बाल अधिकार न्यूनतम अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए।

बाल अधिकारों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: जीवित रहने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार और विकास का अधिकार।

भारत में बाल अधिकारों के उल्लंघन के पहलू

- शिशु एवं पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की उच्च मृत्यु दर
- जल जनित बिमारियों के प्रति उच्च सुभेद्यता
- गंभीर व अति कुपोषण
- शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार
- बाल विवाह, बाल श्रम व बाल तस्करी
- कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियां, जैसे– मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, शिक्षा की हानि और अभिभावकों की मृत्यु

भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण में बाधाएं

- **सामाजिक–सांस्कृतिक कारक:** समाज की पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक प्रकृति, बाल संरक्षण कानूनों की सामाजिक स्वीकृति का अभाव, हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग न होना आदि।
- **राजनीतिक और प्रणालीगत कारक:** कानूनों का खराब कार्यान्वयन, न्याय में विलंब और बालक की परिभाषा में एकरूपता न होना।
- **आर्थिक कारक:** बेरोजगारी और निर्धनता
- **अन्य कारक, जैसे**– विशिष्ट सुभेद्यता और प्रौद्योगिकी के प्रभाव में बालकों की पहचान का लोप।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय बाल नीति, 2013** के तहत ध्यान केंद्रित करने हेतु चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) लागू किया गया है।**
- बाल श्रम से संबंधित **ILO कन्वेंशन 138 और 182 का अनुसमर्थन किया गया है।**
- **बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग की स्थापना की गई है।**
- किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि जैसे मौजूदा अधिनियमों को और कठोर किया गया है।
- **बच्चों के अधिकारों में और वृद्धि के लिए संवैधानिक प्रावधान,** जैसे– अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39(e)

बालकों एवं उनके अधिकारों की रक्षा हेतु आगे की राह

- बच्चों के समग्र विकास के लिए उनकी **पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करना।
- बच्चों को सशक्त बनाने, उनके लिए अवसर बढ़ाने, असमानता और गरीबी को कम करने हेतु **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करना।
- मानव तस्करी, POCSO आदि से संबंधित **कानूनों को और मजबूत बनाना तथा उन्हें कठोरता से लागू करना।**
- **सरकार द्वारा नेतृत्वकारी भूमिका** और **CSOs द्वारा सहायक भूमिका।**
- संसाधन की कमी को दूर करने के लिए **निजी क्षेत्रक की भागीदारी।**
- बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **प्रभावी व सक्रिय मीडिया।**

2.2. बाल श्रम (Child Labour)

बाल श्रमः एक नजर में

- **बाल श्रमः** ILO के अनुसार, यह वह कार्य है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। साथ ही, यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।
- **बाल श्रम का सबसे खराब स्वरूपः** इसमें **सभी प्रकार की गुलामी** शामिल है, जैसे- बच्चों की बिक्री और तस्करी, ऋण के लिए गिरवी रखना, जबरन श्रम आदि।
- **वैश्विक स्तर पर 160 मिलियन और भारत में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक** हैं।

बाल श्रम के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21-A और 45:** प्रत्येक बच्चे को चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक औपचारिक विद्यालय में पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 23:** यह अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम (बलात् श्रम) का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 24:** चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय/ जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 39 (e):** यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।

भारत में बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कारक

- **बाल श्रम पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभावः** बाल श्रम पर सबसे नवीनतम डेटा एक दशक पुराना जनगणना 2011 का है।
- **वैध कानूनों का दुरुपयोगः** कानून बच्चों को कुछ विशिष्ट कार्य करने की इजाजत देता है।
- कानून का कमजोर कार्यान्वयनः दोषसिद्धि दर बहुत कम है और बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष (CLRWF) की लगभग 95% राशि का कोई उपयोग नहीं हो पाया है।
- **गैर-कानूनी आर्थिक गतिविधियों का प्रचलनः** जैसे- मेघालय में रैट होल माइनिंग, झारखंड में अभ्रक माइनिंग।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, उद्योगपति-राजनीतिक- नौकरशाही- गठजोड़ः** ऐसे में बाल श्रम बेघर और परित्यक्त बच्चों के लिए जीवित रहने का एक साधन मात्र रह जाता है।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु शुरू की गई पहलें

- **गुरुपादस्वामी समिति, 1979:** इसका गठन बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने एवं नीतिगत दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए किया गया था।
- भारत ने बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर ILO कन्वेंशन, जिसे **कन्वेंशन नंबर** 182 कहा जाता है तथा रोजगार की न्यूनतम आयु पर **कन्वेंशन** 138 की अभिपुष्टि की है।
- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016:** यह सभी व्यवसायों में बच्चों (14 वर्ष से कम) को और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं किशोरों (18 वर्ष से कम) को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना** (NCLP) **स्कीमः** बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय/ पुनर्वास केंद्र, मुक्त कराए गए बच्चों को पूरक पोषण और वजीफा की व्यवस्था करता है।
- **वेब पोटल्सः**
  - **पेंसिल (बाल मजदूरी निषेध पोर्टल के कारगर कार्यान्वयन हेतु मंच):** बाल श्रम के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए
  - **ट्रैकचाइल्ड-** लापता/पाए गए बच्चों के लिए।
- मिशन वात्सल्यः भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुरक्षित करना।

बाल श्रम को खत्म करने के लिए आगे का रास्ता

- **कानून प्रवर्तन मशीनरी में सुधार करनाः** न्यायिक सुधार व पुलिस सुधारों की आवश्यकता है, ताकि कानूनों और विनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- **श्रम कानून को फिर से सशक्त बनानाः** 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को काम पर रखने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- **उत्पादों पर लेबल लगाना कि इसमें "बाल श्रम शामिल है या नहीं शामिल है":** इससे आम लोगों को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी पूर्ण चयन करने में मदद मिलेगी।
- **डेटा संग्रहणः** बाल श्रम को दृश्यमान बनाने वाले आंकड़ों को एकत्रित और अपडेट करना।
- **एकीकृत प्रणालीः** बाल संरक्षण को मजबूत करना, गरीबी और असमानता को खत्म करना, शिक्षा की गुणवत्ता तक पहुंच में सुधार करना और बच्चों के सम्मान के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाना।
- **समुदाय की भूमिकाः** बड़े पैमाने पर समुदाय को बाल श्रम के खिलाफ सतर्क रहने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।

2.3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 {Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने संसद से 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO)' अधिनियम, 2012 के तहत **सहमति की आयु संबंधी मुद्दे की जांच** करने की अपील की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CJI ने यह अपील इसलिए की है, क्योंकि POCSO अधिनियम 2012 की वजह से **किशोरों से जुड़े सहमति-आधारित लैंगिक संबंधों के मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के समक्ष कठिनाइयां पैदा** हो रही हैं।
- CJI ने **एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट और यूनिसेफ-इंडिया** द्वारा किए गए अध्ययन का उल्लेख किया है। यह अध्ययन **"रोमैन्टिक" केसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट- एन एनालिसिस ऑफ़ जजमेंट्स ऑफ़ स्पेशल कोर्ट्स इन असम, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल** नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार-
  - POCSO अधिनियम के तहत **प्रत्येक चार केस में से एक केस** रोमैन्टिक केस या प्रेम संबंध से जुड़ा होता है।
  - **93.8% मामलों में आरोपियों को** निर्दोष पाया गया है।
  - 46.6% मामलों में **लड़की की उम्र 16 से 18 साल के बीच** थी।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 बनाम POCSO अधिनियम, 2012

विशेष	धारा 354 IPC	POCSO
पीड़ित की आयु	अपराध के लिए दंड अनिवार्य है चाहे, पीड़िता किसी भी आयु की हो।	बालकों की सुरक्षा हेतु।
पीड़ित का लिंग	महिला	लिंग तटस्थ।
लैंगिक हमले की परिभाषा	परिभाषा **सामान्य** है।	यह अधिनियम पहली बार, "पेनेट्रेटिव यौन हमले", "यौन हमले" और "यौन उत्पीड़न" को परिभाषित करता है।
प्रमाण संबंधी दायित्व	अभियोजन पक्ष पर होता है। **आरोपी 'दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष समझा'** जाता है।	आरोपी पर होता है। आरोपी **'निर्दोष सिद्ध न होने तक दोषी माना जाता है।'**
दंड	**न्यूनतम 1 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ–साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	**न्यूनतम 3 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

POCSO अधिनियम, 2012 के बारे में

- POCSO अधिनियम **बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति) को लैंगिक हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों** से बचाने वाला एक विशेष कानून है।
  - इसमें **बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों के मामले में कठोर सजा देने के लिए वर्ष 2019** में संशोधन किया गया था।
  - इस अधिनियम में **मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान** किया गया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

संरक्षण	• यह लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों (18 वर्ष से कम आयु) को संरक्षण प्रदान करता है।
किन पर लागू होता है	• केवल **जीवित बच्चों और वयस्क अपराधियों पर लागू होता है।** • **यदि दो बालक यौन संबंध बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू होगा।**
विशेष न्यायालय	• यह अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से **एक वर्ष की अवधि के भीतर**, जहां तक संभव हो, सुनवाई पूरा करेगा।

बाल अनुकूल	• इसके तहत **न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में** बाल अनुकूल तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जांच आदि शामिल है।
प्राधिकार और विश्वास के पदों पर तैनात दोषियों को भी दंड देना	• यह लोक सेवकों, शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों, पुलिस जैसे **प्राधिकार और विश्वास के पदों पर तैनात दोषियों को भी दंडित** करता है।
2019 में अधिनियम में संशोधन	• **चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा।** • **गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमले** के दायरे का विस्तार किया गया; • **न्यूनतम दंड में वृद्धि** (मृत्युदंड सहित) की गई;

POCSO अधिनियम, 2012 से संबंधित चुनौतियां/ चिंताएं

- विशेष रूप से कोविड-19 के बाद लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी (लगभग 85%) हुई है। इसके अतिरिक्त, दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम (लगभग 14%) है।
- अनन्य विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की कमी है।
- जांच में प्रक्रियात्मक कमियां विद्यमान हैं तथा पीड़ित बालक/बालिका की सुरक्षा और समर्थन का अभाव है।
- अलग-अलग उच्च न्यायालयों ने इस कानून के तहत सहमति की अधिक आयु से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख सिफारिशें

- 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर/ किशोरियों द्वारा सहमति से बनाए गए **यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा** जाना चाहिए।
- किशोर/किशोरियों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए **व्यापक यौन शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए।**
- **पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) की स्थापना** करनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त मानव व भौतिक संसाधनों से युक्त करना चाहिए।
- अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

2.4. बाल संदिग्धों का आंकलन (Assessment of Child Suspects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल संदिग्धों के आकलन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- उपर्युक्त दिशा-निर्देश **बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू, 2022 मामले** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश **किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को निम्नलिखित मामले में प्रारंभिक आंकलन करने में सक्षम बनाएंगे:**
  - यह निर्धारण करने में कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जे.जे.अधिनियम), 2015 के तहत **"जघन्य"** अपराध की श्रेणी में आने वाले **आपराधिक मामलों में बच्चे को नाबालिग के रूप में माना जाए अथवा नहीं।**

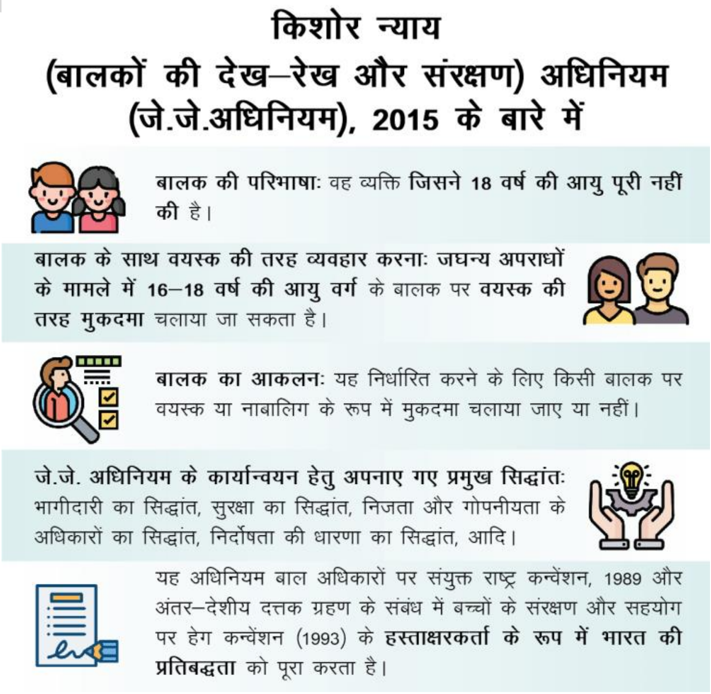

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं:

- **सामान्य सिद्धांत:** उन मौलिक सिद्धांतों का पालन किया जाए, जो जे.जे. अधिनियम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं (प्रमुख सिद्धांतों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।

VISION IAS

* **प्रारंभिक आंकलन का उद्देश्य: आयु और चार निर्धारकों का निर्धारण** करना। ये चार निर्धारक हैं: **बालक की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, परिस्थितियां और कथित अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता।**
* **JJB की भूमिका:** यह बोर्ड बालकों के आंकलन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह बाल मनोवैज्ञानिकों आदि से सहायता भी ले सकता है।
* **प्रारंभिक आंकलन का समापन:** तीन महीने की अवधि के भीतर।

2.5. भारत में बच्चों को गोद लेना (Child Adoption in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून तथा न्याय पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने **'अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा'** विषय पर **118वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की है।

* **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**

क्षेत्र	टिप्पणियां	सुझाव
दत्तक ग्रहण पर कानूनों की समीक्षा	• **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956** (HAMA) तथा **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** (JJ अधिनियम), दोनों दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं, लेकिन इनमें मानदंड अलग-अलग हैं। ○ HAMA केवल हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है। • **HAMA के तहत** बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता को **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (CARA) में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। • **गोद लेने के इच्छुक माता-पिता** तो बहुत हैं, लेकिन उतनी संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। ○ **गैर-पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान (CCI)** अधिक हैं और उनके खराब संचालन की वजह से 762 बच्चों की मौत हुई है। • दत्तक ग्रहण संबंधी मामले **विधि और न्याय मंत्रालय** तथा **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा निपटाए जा रहे हैं।	• दोनों **कानूनों में एकरूपता** लाई जाए और दत्तक ग्रहण पर एक **साझा और व्यापक कानून** लाया जाए। • नए कानून में LGBTQ समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। • **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (CARA) में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। • अनाथ/ परित्यक्त बच्चों का जिला स्तरीय सर्वेक्षण किया जाए। • सभी **गैर-पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों (CCI)** का किसी तीसरे पक्ष से सर्वे कराया जाए। ऐसे संस्थानों को **गैर-पंजीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को** दिया जाए। • बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए दत्तक ग्रहण कानूनों को **एक मंत्रालय के अधीन लाने की आवश्यकता है।**
अभिभावकत्व पर कानूनों की समीक्षा	• **हिंदू अल्पवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम में अविवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चे के लिए 'अधर्मज' (अवैध)** शब्द का प्रयोग किया गया है।	• **'अधर्मज' शब्द** को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता है। • HAMA में संशोधन किया जाना चाहिए और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माता और पिता, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

दत्तक ग्रहण के बारे में

* दत्तक ग्रहण/ गोद लेने का अर्थ **वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से गोद लिया गया बच्चा अपने** जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है। साथ ही सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ **गोद लेने वाले दंपति की वैध संतान बन** जाता है।

- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में **29.6 मिलियन फंसे हुए (Stranded), अनाथ और परित्यक्त (छोड़े गए) बच्चे हैं। प्रतिवर्ष केवल 3000 से 4,000 बच्चों को ही गोद** लिया जाता है।

गोद लेने की दर इतनी कम क्यों है?

- देश में कई बाल देखभाल संस्थाएं (CCI) पंजीकृत नहीं हैं। इस कारण बड़ी संख्या में अनाथ बच्चे **संस्थागत देखभाल के अंतर्गत नहीं हैं।**
- **गोद लेने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण:** केंद्रीकृत देखभाल प्रणाली भावी माता-पिता द्वारा उपयुक्त बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में बाधा डालती है।
- **रुकावट के मामले:** रुकावट के ज्यादातर मामले माता-पिता और बच्चों की तैयारी तथा उचित परामर्श की कमी के कारण हैं (बच्चों को गोद लेने के अंतिम चरण में लौटाया जा रहा है)।
- **अन्य कानूनी विकल्प:** उदाहरण के लिए, 1956 का हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण कानून हिंदुओं को गोद लेने वाली एजेंसी की भागीदारी के बिना निजी तौर पर एक बच्चा गोद देने या गोद लेने की अनुमति देता है।
- **गोद लिए हुए बच्चे की स्थिति को स्वीकार करने में एक सामाजिक दुराग्रह विद्यमान है। साथ ही, बड़े बच्चों और दिव्यांग बच्चों को गोद लेने को लेकर भी लोगों में आशंकाएं देखी जाती हैं।**
- **गोद लेने के भेदभावपूर्ण नियम:** वर्तमान नियम **समलैंगिक जोड़ों, ट्रांस जोड़ों और एकल पुरुषों (जो एक लड़की को गोद नहीं ले सकते) को कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं।**
- **कोविड-19 महामारी का प्रभाव:** इसमें घर के लिए यात्राओं पर प्रतिबंध, अस्पतालों में बच्चों की मेडिकल जांच में देरी आदि शामिल हैं।

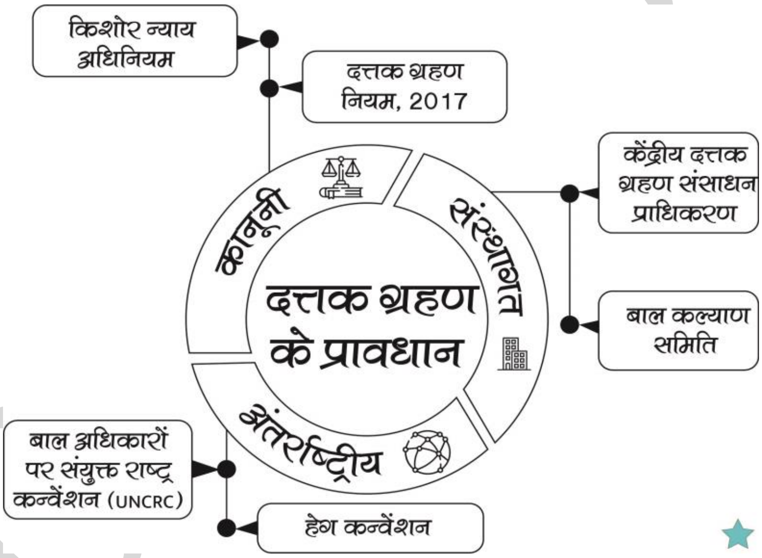

गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में 2021 का संशोधन अधिनियम

- यह जिलाधिकारी (DMs) और अतिरिक्त जिलाधिकारी (ADMs) को गोद लेने के आदेश को अधिकृत करने का अधिकार देता है।
- यह अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन के तहत **CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों को करने की अनुमति** देता है।

देश के भीतर गोद लेने (Inter country adoption) को आसान करना

- **दत्तक ग्रहण संशोधन विनियम 2021:** यह **CARA** को संभावित माता-पिता को **'अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)'** जारी करने की अनुमति देता है, जो हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत अंतर्देशीय गोद लेने का विकल्प चुनते हैं।
- CARA और अन्य अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी के लिए **गोद लेने वाले परिवार को देश में रहने हेतु दो साल की अनिवार्य अवधि को समाप्त कर दिया है।**
- ऐसे मामलों में, **भारतीय मिशन गोद लिए गए बच्चे की प्रगति एवं सुरक्षा की निगरानी करेंगे।**

अन्य

- **मिशन वात्सल्य:** इसे कठिन परिस्थितियों के भीतर रहने वाले बच्चों के लिए अपने सभी प्रयासों को एकजुट करने हेतु आरंभ किया गया है।
- **ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल CARINGS** (चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इनफार्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम) ने गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर दिया है।
- **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 का अनुसमर्थन:** यह कन्वेंशन यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को स्थापित करता है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में किया जाए।

आगे की राह

- **संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना:** आवेदकों को अपने संबंधित राज्यों के बच्चे को गोद लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **भावी माता-पिता** को इस बात के लिए तैयार करने हेतु **परामर्श देना** कि उन्हें एक बच्चे विशेष रूप से एक बड़े बच्चे के साथ रहने में कैसे संतुलन स्थापित करना है।
- **बाल देखभाल केंद्रों (CCCs) का अनिवार्य पंजीकरण:** लगभग 28% CCCs, बाल कल्याण समितियों में पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें समयबद्ध तरीके से स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे केंद्रों को बंद करना होगा।
- **गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी** बनाने की जरूरत है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए** जो गोद लेने की कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत नहीं हैं अथवा विधिक प्रक्रिया का पालन करना पसंद नहीं करते हैं।
- **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान:** इससे दत्तक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

3. अन्य सुभेद्य वर्ग (Other Vulnerable Sections)

3.1. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDS)

दिव्यांगजनों (PWDs) की वर्तमान स्थिति: एक नज़र में

दिव्यांगजन से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी–तंत्र की हानि से पीड़ित है और जिसे सामान्य जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वह दूसरों की तरह समान आधार पर समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अक्षम होता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- कुल आबादी में दिव्यांगजनों का हिस्सा 2.1% हैं।
- दिव्यांगजनों में 44% महिलाएं हैं।
- 69% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
- 55% दिव्यांगजन निरक्षर हैं।

दिव्यांगजनों के समक्ष चुनौतियां

- **रूढ़िवादिता:** दिव्यांगजनों को कई स्तरों पर बदनामी, पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **पहुंच:** इनडोर और आउटडोर सुविधाओं के अक्षम डिजाइन और निर्माण से उन्हें स्कूल एवं अस्पतालों में जाने, खरीदारी करने आदि में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **संचार/संवाद संबंधी चुनौतियां:** दिव्यांगजनों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और/या समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **नीतिगत बाधाएं:** दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए लागू किए गए मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूकता या उनके कार्यान्वयन की कमी है।
- **गरीबी और दिव्यांगता एक–दूसरे को पोषित करते हैं:** खराब स्वास्थ्य और पोषण दिव्यांगता को जन्म दे सकते हैं तथा दिव्यांगता भी गरीबी और खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है।

दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने के लिए की जा रही पहलें

- भारत ने **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** (UNCRPD) पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, **बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क** और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग. जनों के लिए **"मेक द राइट रियल" की इंचियोन रणनीति** को अपनाया गया है।
- 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम, 2016,** कुल 21 तरह की अक्षमताओं को मान्यता देता है। इसके अलावा **यह सरकारी नौकरी और शिक्षा में (क्रमशः) 4% और 5% आरक्षण निर्धारित करता है।**
- **सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य वाद** (2020) में, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी कि **दिव्यांगजनों को सिर्फ भर्ती में ही नहीं, बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है।**
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 सभी **दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा–मुक्त पहुंच को सक्षम बनाती है।**
- सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता (ADIP) योजना शुरू की गई है।
- **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आई.डी. परियोजना** आदि पहलें भी की गई हैं।

दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए आगे की राह

- **दृष्टिकोण में परिवर्तन:** दिव्यांगजनों को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने हेतु उनका समर्थन करने के लिए समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- **प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र:** यह प्राथमिक रोकथाम (दिव्यांगता की शुरूआती रोकथाम) और माध्यमिक रोकथाम (दिव्यांगता की अवधि या गंभीरता को कम करना) में मदद कर सकता है।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार:** दिव्यांगता–विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा के अलावा, दिव्यांगजनों को अन्य कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें बच्चों और परिवार के लिए भत्ते, बेरोजगारी लाभ और सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं।

3.2. भारत में वृद्धजन (Elderly in India)

भारत में वृद्धजन – एक नज़र में

वृद्धजन से तात्पर्य उन लोगों से है जो जीवन की अंतिम अवस्था (60 वर्ष से अधिक) में हैं। हालांकि, कई विशेषज्ञ ऐसे व्यक्तियों को 'बुजुर्ग' या 'वरिष्ठ' कहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि 'वृद्धजन' शब्द नकारात्मक अर्थ रखता है।

भारत में वृद्धजनों की आबादी की स्थिति

- **कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की हिस्सेदारी:** 2016 में भारत में वृद्धजनों की कुल आबादी में हिस्सेदारी 9% थी। इसके 2050 तक 20.5% तक पहुंचने का अनुमान है।
- **वृद्धजनों में महिलाएं:** 48.2%
- **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजन:** 75%
- वृद्धजनों और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के अनुपात में **अंतर्राज्यीय असमानताएं** मौजूद हैं।

राष्ट्रीय विकास में वृद्धजनों का योगदान:

- **सिल्वर इकोनॉमी** के माध्यम से आर्थिक विकास
  - सिल्वर इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं 50 से अधिक आयु के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती हैं।
- **अवैतनिक देखभाल–कार्यों और सामाजिक पूंजी** के रूप में योगदान।
- उच्च राजनीतिक भागीदारी।
- सतत विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायक।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के कारण चुनौतियां:

- कार्यशील जनसंख्या की कमी
- निर्भरता का बढ़ता अनुपात
- दीर्घकालिक प्रिवेंटिव देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता
- वृद्धावस्था देखभाल की अपर्याप्त उपलब्धता

भारत में वरिष्ठ नागरिकों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

- **रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी** के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, खराब स्वास्थ्य और रुग्णता उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।
- सेवानिवृत्ति के कारण **आय की असुरक्षा** उनके आत्मसम्मान को कम करती है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का महंगा होना उनकी समस्याओं को बढ़ाता है।
- 2007 के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा अपर्याप्त है।
- वे अपराध, हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।
- बच्चों के प्रवासन, बुढ़ापे को लेकर उनके पूर्वाग्रह, पीढ़ीगत अंतराल के कारण बढ़ता अलगाव और अकेलापन एक बड़ी समस्या है।
- एकल परिवारों, बुजुर्गों का ग्रामीण क्षेत्रों में सिमटना आदि के कारण देखभाल और सहायता प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध होती है।
- वृद्धजनों की आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात (बुजुर्गों का नारीकरण), वृद्धजनों द्वारा प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रति वृद्धजनों की सुभेद्यता आदि अन्य उभरते मुद्दे हैं।

भारत में वृद्धजनों के कल्याण के लिए कौन–से कदम उठाए गए हैं?

- **संवैधानिक उपबंध:** अनुच्छेद 38(1), 39(e), 41 और 46 वृद्धावस्था में सरकारी सहायता का प्रावधान करते हैं।
- **विधायी उपबंध: माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** सभी बच्चों के लिए माता–पिता का भरण–पोषण करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है।
- **वैश्विक पहल के हस्ताक्षरकर्ता:** वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, प्रोक्लेमेशन ऑन एजिंग, मैड्रिड कार्य योजना, SDG, यू.एन. डेकेड्स ऑफ हेल्दी एजिंग।
- **अटल वयो अभ्युदय योजना:** यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की चार प्रमुख आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। ये प्रमुख आवश्यकताएं हैं: वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय संपर्क/सम्मान जनक जीवन।
- **अन्य योजनाएं और पहल:** सुगम्य भारत अभियान, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, आदि।

भारत को वृद्ध आबादी के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए और क्या करना चाहिए?

- उम्र बढ़ने के दौरान सक्रियता को बनाए रखकर वृद्धजनों के कल्याण पर बल और जागरूकता के माध्यम से बुढ़ापे से जुड़े पूर्वाग्रहों का सामना करना, वृद्धाश्रमों व अनाथालयों को जोड़ना, केरल के मलप्पुरम जिले के उपशामक (Palliative) देखभाल मॉडल का अनुकरण करना, आदि।
- **मानव पूंजी (स्वास्थ्य, शिक्षा) में अधिक निवेश** के माध्यम से एक अन्य जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना और स्थायित्व वाली सेवानिवृत्ति को बढ़ावा देना।
- 2007 के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत सभी बुजुर्गों को शामिल करके कानूनी ढांचे को मजबूत करना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण करना।
- बुजुर्गों, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्राम विकास संबंधी प्रयास करना।
- SDG में बुजुर्गों को शामिल करना, जो 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने' और 'सबसे पीछे सबसे पहले पहुंचने' का वादा करता है।
- सेवानिवृत्ति गृहों के प्रति धारणा में सुधार लाने की जरूरत है।

3.3. ट्रांसजेंडर (Transgenders)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **समलैंगिक विवाहों और LGBTQ+ समुदायों के बीच गठबंधन को विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 के तहत कानूनी मान्यता देने** से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह मुद्दा **नवतेज सिंह जौहर और पुट्टास्वामी के फैसलों** की अगली कड़ी है।
  - **पुट्टास्वामी मामले** में न्यायालय ने **निजता को मौलिक अधिकार** के रूप में घोषित किया था और **नवतेज सिंह जौहर (2018) मामले** में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया था।
  - सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **LGBTQ+ व्यक्तियों को भी अन्य सभी नागरिकों के समान संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, सम्मान और निजता का अधिकार प्राप्त** है।
- भारत में **विवाह संस्था को शासित करने वाला कानूनी ढांचा वर्तमान में LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति नहीं** देता है।
  - इस प्रकार, यह संविधान के **अनुच्छेद 14, 15 और 19(1)(A) सहित अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन** है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में

भारत में ट्रांसजेंडर (या उभयलिंगी) व्यक्तियों के अधिकारों के लिए उपबंध

संवैधानिक मूल्य: संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में विधि के समक्ष समता और विधि के तहत समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

न्यायिक निर्णय:
- **नालसा (NALSA) बनाम भारत संघ (2014):** सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान में भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता संरक्षित हैं।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):** भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में दो वयस्कों के मध्य सहमतिपूर्ण समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक:** रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं में।
- **स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार:** हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है।
- **आवास का अधिकार:** किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ–बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालंकि, प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- **शिक्षण संस्थानों के दायित्व:** सरकारी–वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेल–कूद तथा आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए।

- **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता है।**
  - इसमें ट्रांस-पुरुष एवं ट्रांस-महिलाएं, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, जेंडर-क्वीर (लैंगिक रूप से विलक्षण) तथा किन्नर और हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।
- चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय **'पुरुष' या 'महिला' की सामान्य श्रेणी में उपयुक्त प्रतीत नहीं** होता है, इसलिए उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण यह उन्हें **देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला समुदाय** बना देता है।

ट्रांसजेंडर समुदायों के समक्ष चुनौतियां:

- नस्लवाद, लैंगिकवाद, होमोफोबिया (समलैंगिकों से घृणा) आदि के कारण **भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार।** इससे ये लोग अपने अधिवास से भी वंचित हो सकते हैं।
- गरीबी और शिक्षकों/कर्मचारियों के असंवेदनशील व्यवहार के कारण **बहुत कम शिक्षा प्राप्त होना।**
- ट्रांसजेंडर चिकित्सा की विशेषज्ञता वाले चिकित्सा सेवा प्रदाताओं, वित्तीय सहायता, क्लिनिक सुविधाओं आदि की कम उपलब्धता के कारण उनकी **स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच** होती है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव,** क्योंकि अधिकांश ट्रांसजेंडरों को नौकरी देने से मना कर दिया जाता है और आजीविका के लिए कम वेतन पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **ट्रांस्फोबिया** के कारण ट्रांसजेंडर लोगों पर शारीरिक हमलों, उनके साथ भेदभाव, उनकी नकारात्मक मीडिया प्रस्तुति आदि के कारण ऐसे लोगों के समाज में समावेशन में बाधा आती है।
- उनकी पहचान में अस्पष्टता, चुनावों में बहुत कम भागीदारी आदि के कारण उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।

आगे की राह

- **नीति निर्माण में प्रणालीगत परिवर्तन लाने चाहिए,** जैसे आजीविका कार्यक्रमों, साक्षरता कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ संबद्धता स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर लोगों की आवास, भोजन और रोजगार संबंधी **मूलभूत जरूरतों को पूरा करना चाहिए।**
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति** की शुरुआत की जानी चाहिए।
- **लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम व्यवस्था लैंगिक रूप से तटस्थ होनी चाहिए** और लैंगिक आधार पर घरेलू हिंसा को एक अलग अपराध माना जाना चाहिए।
- एक **भेदभाव-विरोधी विधेयक** को पारित किया जाना चाहिए, जिसमें लैंगिक आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न के लिए दंडित करने से संबंधित प्रावधान हों।
- थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए रोल मॉडल्स व नागरिक समाज को शामिल करके **ट्रांसफोबिया को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए।**

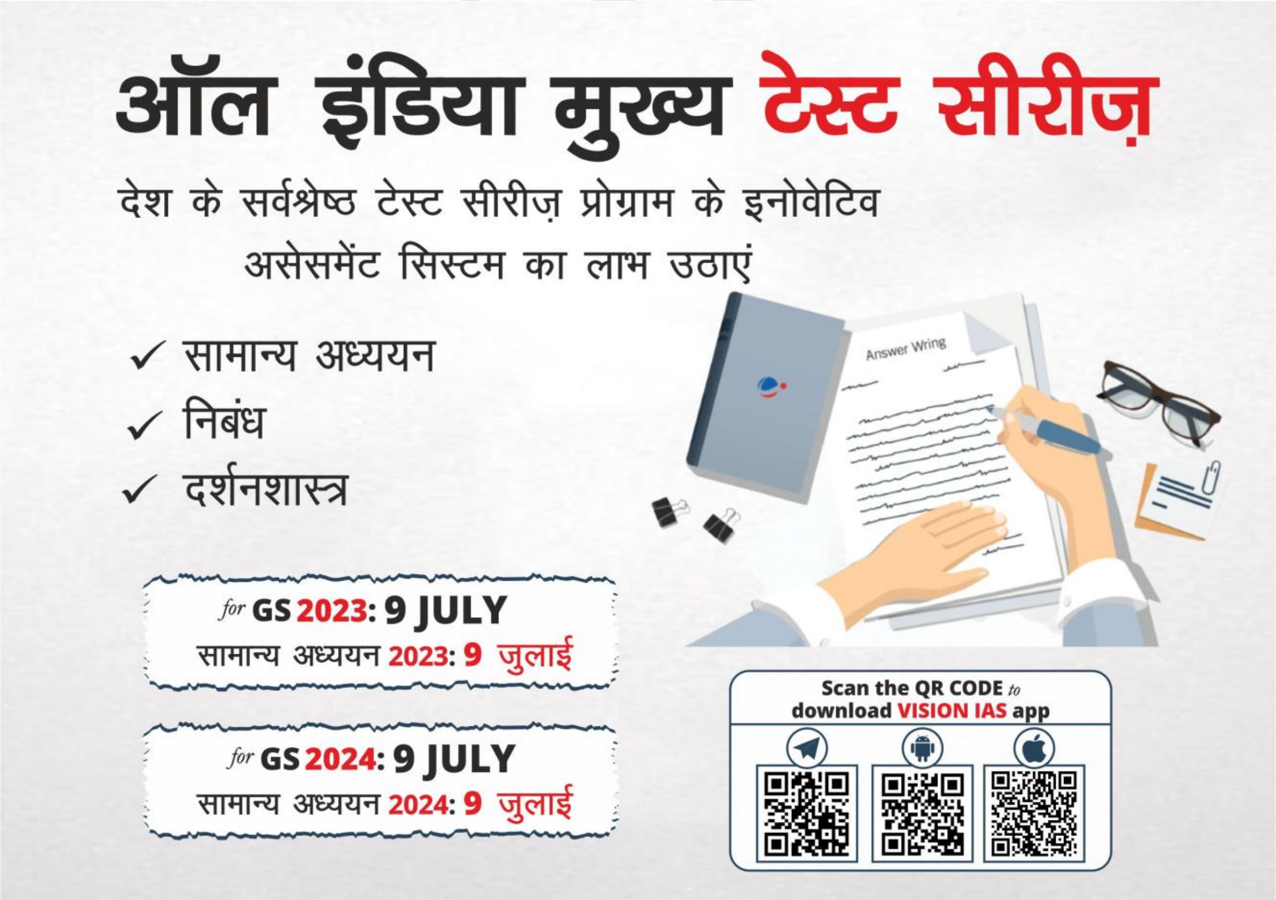

3.4. देशज लोग (Indigenous People)

देशज लोग: एक नज़र में

वर्तमान स्थिति: भारत में देशज लोगों की अनुमानित जनसंख्या 104 मिलियन (राष्ट्रीय जनसंख्या का 8.6%) है। इनमें से लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

देशज लोगों के जन्मजात अधिकार

- **अपनी पुश्तैनी भूमि, क्षेत्र और संसाधनों पर सामूहिक** एवं व्यक्तिगत अधिकार;
- अपने संस्थानों द्वारा स्वशासन **का अधिकार;**
- **संरक्षण और विकास कार्यों से निष्पक्ष एवं समान लाभ साझा** करने का अधिकार;
- **अपने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, विकास, उपयोग और रक्षा** करने का अधिकार आदि।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा** किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण की विशेष व्यवस्था।
- **संविधान की छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान

- **भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013):** विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति को अनिवार्य बनाता है।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:** वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य लोगों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है।

भारत में देशज लोगों के समक्ष चुनौतियां

- **पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं को खतरा,** क्योंकि उन्हें कम आंकते हुए उनकी उपेक्षा की जाती है।
- आर्थिक नीतियों, वैश्वीकरण आदि के कारण उनकी **भूमि का अधिग्रहण।**
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन,** क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित दोहन की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
- भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर स्थित होने के कारण **शिक्षा तक पहुंच का अभाव।**
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे,** जैसे– कीटनाशकों और खनन उद्योगों के कारण होने वाली बीमारियां, कुपोषण आदि।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की राह

- वन अधिकार अधिनियम, भूमि अर्जन अधिनियम आदि को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए **कानूनी कमियों को दूर करना।**
- व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु **राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रावधान करना।** इससे कंपनी के संचालन में मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सकेगा और हनन होने पर समाधान किया जा सकेगा।
- **विवाद समाधान** के लिए प्रभावी, सुलभ और किफायती प्रक्रिया अपनाना।
- **समुदाय आधारित शिक्षा** और भाषा कार्यक्रम संचालित करना।
- **देशज लोगों की जरूरतों** को स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों के साथ एकीकृत करना।

3.5. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट, 2023-24 में **प्रधान मंत्री-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन {PMPDM}**[9] की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य PVTGs का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।

PMPDM मिशन के बारे में

- इस मिशन की शुरुआत **'रीचिंग द लास्ट माइल'** (अंतिम छोर तक पहुंचना) के भाग के रूप में की गई है। 'रीचिंग द लास्ट माइल' बजट में सूचीबद्ध **सात सप्तऋषि प्राथमिकताओं** में से एक है।

[9] Pradhan Mantri PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) Development Mission

- यह मिशन PVTGs को **सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्शन तथा आजीविका** के माध्यम से सशक्त बनाएगा।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बारे में

- PVTG अनुसूचित जनजातीय समुदाय की एक श्रेणी है। इन्हें पहले **आदिम जनजातीय समूह** के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1973 में गठित **ढेबर आयोग** की सिफारिश पर इसे एक अलग श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- **वर्ष 1975 में, भारत सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को PVTGs घोषित किया था।** हालांकि, 1993 में 23 अतिरिक्त समुदायों को इस श्रेणी में शामिल किया गया था। इससे 705 अनुसूचित जनजातीय समुदायों में **PVTGs की कुल संख्या बढ़कर 75** हो गई थी।
- PVTGs **17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** में निवास करते हैं।
- PVTGs की सर्वाधिक संख्या **ओडिशा (13)** में पाई जाती है, उसके बाद **आंध्र प्रदेश (12)** का स्थान है।

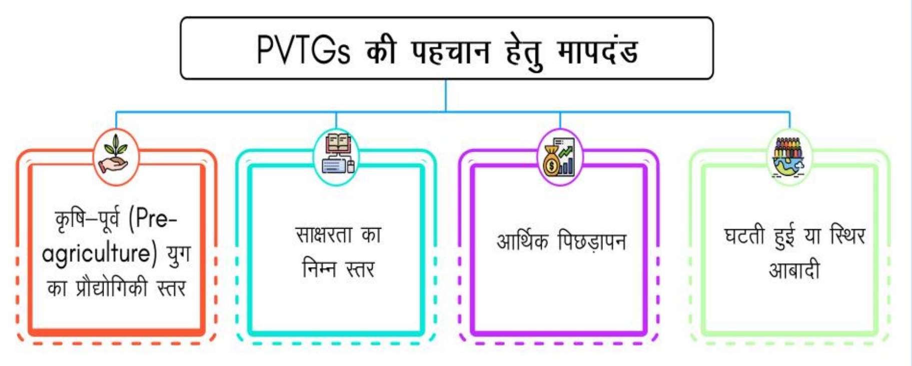

PVTGs के लिए PMPDM की आवश्यकता

- **सामाजिक:** PVTGs अलग-अलग सामाजिक समस्याओं जैसे निरक्षरता, विस्थापन आदि से ग्रस्त हैं।
    - PVTGs में **साक्षरता दर** अत्यधिक निम्न है। इनमें साक्षरता दर 10% से 44% के बीच है।
    - बांधों और खनिज अन्वेषण जैसी **विकास परियोजनाओं** के कारण उन्हें अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ रहा है।
- **घटती जनसंख्या: ओंग और अंडमानी** जैसे कुछ PVTGs विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं।
- **आर्थिक:** इनकी आजीविका के मुख्य स्रोतों में **खाद्य संग्रह, गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) एकत्रण, शिकार, पशुपालन, स्थानान्तरी कृषि और शिल्प संबंधी कार्य** शामिल हैं।
    - वनों के निम्नीकरण और वन अधिकारियों द्वारा आरोपित कई प्रतिबंधों के कारण इनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है।
- **सांस्कृतिक:** वैश्वीकरण आदि के कारण PVTGs की **विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान समय के साथ क्षीण** हो गई है।
- **राजनीतिक-प्रशासनिक: राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासन** (राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर) में इनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है।
- **पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय:** PVTGs **जलवायु परिवर्तन और अन्य संबंधित समस्याओं** से सर्वाधिक पीड़ित समूह हैं।
- **अन्य: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** में इनके लिए केवल **4 हेक्टेयर भूमि ही आवंटित** करने का प्रावधान किया गया है।
    - स्वामित्व केवल उसी भूमि का होता है, जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही होती है। इन्हें कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाती है।
    - इसके अतिरिक्त, PVTGs वाले क्षेत्रों में **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 को प्रभावी रूप से लागू नहीं** किया गया है।

PVTGs के लिए प्रारंभ की गई अन्य पहलें

- **देशज और जनजातीय आबादी सम्मेलन, 1957:** इस सम्मेलन को **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** द्वारा अपनाया गया है।
- पंचवर्षीय योजनाओं के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम और पहलें शुरू की गई थीं जैसे कि- **सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुउद्देश्यीय जनजातीय ब्लॉक, जनजातीय विकास ब्लॉक, जनजातीय उप-योजना (TSP)** आदि।
- **विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963** के तहत **प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट** प्रणाली लागू की गई थी।
- **आदिम कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना (2008)**
    - इसमें राज्यों द्वारा **प्रत्येक PVTG हेतु पांच वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण-सह-विकास योजना प्रारंभ** करने का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

- **निष्पक्ष क्रियान्वयन:** PMPDM को उसके मूल उद्देश्य के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस मिशन के क्रियान्वयन से पहले PVTGs से परामर्श करने की आवश्यकता है।
    - विकास के प्रति इन समूहों की धारणा या समझ पर विचार करना आवश्यक है।

- **व्यापक सर्वेक्षण:** चूंकि जनगणना नियमित तौर पर नहीं होती है, इसलिए राज्य सरकारों को PVTGs के **सटीक जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आंकड़े** एकत्र करने के लिए तत्काल रूप से व्यापक सर्वेक्षण करने चाहिए।
    - इससे नीति निर्माण में सहायता मिलेगी।
- **PVTGs सूची को अपडेट करना:** कुछ PVTGs एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे **बिरहोर** को चार राज्यों में PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, 10 अन्य समूह नामतः **सहरिया, कुरुम्बा, कोरगा, कोरवा, जेनु कुरुबा, कट्टूनायकन्न, कातकरी/कथोडी, खरिया, कोलम और लोढ़ा** को दो राज्यों में PVTGs का दर्जा प्राप्त है।
- **अधिकारों की मान्यता:** सरकार द्वारा इनकी भूमि और परंपरागत अनुष्ठानों से संबंधित अधिकारों को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है। इससे इन्हें सरकार पर विश्वास करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी।

3.6. गैर-अधिसूचित जनजातियां (Denotified Tribes: DNTs)

गैर-अधिसूचित जनजातियां (DNTs): एक नज़र में

- गैर-अधिसूचित जनजातियां **एक विषम समूह** हैं, जो सर्वाधिक कमजोर और वंचित समूहों में से एक हैं। ये जनजातियां विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं, जैसे- परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन (कलाबाज, सपेरा, जादूगर), पशु चराना आदि।
- ब्रिटिश शासन के दौरान **'आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871'** के तहत उन्हें 'जन्मजात अपराधी' घोषित किया गया था। बाद में इसे **'आदतन अपराधी अधिनियम, 1952'** द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- कई गैर-अधिसूचित जनजातियों को **अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC)** और **अन्य पिछड़े वर्गों (OBC)** की सूचियों में शामिल किया गया है, क्योंकि उनका संबंध अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से है।

- **रेनके आयोग** (2008) के अनुसार, भारत में लगभग **1,500 घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियां** (NTs) और **198 गैर-अधिसूचित जनजातियां** (DNTs) हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है।
- भारत में DNTs द्वारा 31 अगस्त की तिथि को 'विमुक्त जाति दिवस' के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि DNTs को 'विमुक्त जाति' के नाम से भी जाना जाता है।

घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के बारे में

- सभी **घुमंतू जनजातियां** (NTs), **गैर-अधिसूचित जनजातियां** (DNTs) नहीं हैं, लेकिन **सभी** DNTs, **घुमंतू जनजातियां** हैं।
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू **ऐसे सामाजिक** समूह हैं, जो अपनी आजीविका के लिए आमतौर पर **बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण** करते रहते हैं।

DNTs से जुड़े हुए मुद्दे/समस्याएं?

- **पहचान:** DNTs को संविधान में एक अलग सामाजिक वर्ग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
- **विश्वसनीय डेटा का अभाव:** इससे नीति निर्धारण में बाधा आती है।
- **विस्थापन:** इससे आजीविका के अधिकार सहित मानव अधिकारों का हनन होता है।
- **आर्थिक रूप से कमजोर:** रेनके आयोग के अनुसार, 89 प्रतिशत DNTs और घुमंतू जनजातियों के पास कोई भूमि नहीं है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** रेनके आयोग के अनुसार, DNTs के राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है और उन्हें किसी राष्ट्रीय नेता का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है।

DNTs के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग** (NCDNT): भारत सरकार ने बालकृष्ण सिदराम रेनके की अध्यक्षता में गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की राज्यवार सूची तैयार करने के लिए NCDNT का गठन किया था।
- **गैर-अधिसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना** (SEED): DNTs छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, DNTs परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना आदि।
- DNTs, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए **विकास और कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया है।
- DNTs के छात्र-छात्राओं के लिए **डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति योजना** तथा DNTs के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु **नानाजी देशमुख योजना** शुरू की गई है।

आगे की राह

- **पहचान:** DNTs की पहचान की समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा **समयबद्ध तरीके से जाति प्रमाण-पत्र जारी** करना आवश्यक है।
- **शिक्षा:** DNTs के बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, जहां मुख्य रूप से DNTs निवास करती हैं।
- **आरक्षण:** संविधान के अनुच्छेद-330 और अनुच्छेद-332 के तहत "अनुसूचित समुदायों" को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इससे **गैर-अधिसूचित जनजातियां लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण के लिए पात्र हो सकेंगी।**
- **कानूनी संरक्षण:** DNTs के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए **उचित कार्रवाई की आवश्यकता है।** इस संदर्भ में DNTs **समुदायों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लाने पर विचार किया** जा सकता है।

4. शिक्षा (Education)

4.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 (National Education Policy, 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: एक नज़र में

भारत को एक जीवंत समाज और वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति में रूपांतरित करने के उद्देश्य से NEP, 1986 (1992 में संशोधित) को प्रतिस्थापित करने के लिए NEP, 2020 जारी की गई है।

आधारभूत स्तंभ: पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही।

यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडा के साथ भी जुड़ी हुई है।

NEP, 2020 के प्रमुख सिद्धांत

- प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना
- ग्रेड 3 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) प्रदान करना
- शिक्षा में समानता और समावेशिता लाना
- रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक समझ पर जोर देना
- बहुभाषावाद को बढ़ावा देना

स्कूल स्तर की शिक्षा से जुड़ी मुख्य विशेषताएं:

- **10+2 की बजाय 5+3+3+4 को अपनाना:** 5 साल की फाउंडेशनल शिक्षा (मूलभूत चरण), 3 साल का प्रिपेटरी (प्रारंभिक चरण), 3 साल का मिडिल स्टेज (मध्य चरण) और 4 साल का सेकेंड्री स्टेज (माध्यमिक चरण)।
- **मल्टी स्ट्रीम:** सभी स्ट्रीम में विषय चुनने के लिए लचीलापन; सभी विषयों को दक्षता के दो स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- **बोर्ड परीक्षा का सरलीकरण:** केवल मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी; और यह साल में दो बार आयोजित की जाएगी।
- **बहुभाषी:** त्रिभाषा नीति जारी रहेगी; कक्षा 8 तक (अधिमानत:) स्थानीय भाषा में शिक्षा।
- **प्रति वर्ष 10 बैग-रहित दिन:** इन दिनों के दौरान विद्यार्थियों को अनौपचारिक इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।

कॉलेज/महाविद्यालय स्तर की शिक्षा से जुड़ी मुख्य विशेषताएं

- **SAT की तरह प्रवेश परीक्षा:** नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) साल में दो बार सामान्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी।
- **4 साल की स्नातक डिग्री:** बहु-विषयक स्नातक डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी; पढ़ाई के बीच में ड्रॉप आउट छात्र को ब्रेक के बाद डिग्री पूरी करने का विकल्प दिया जाएगा।
- **कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता:** अगले 15 वर्षों में कॉलेजों की संबद्धता और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा समाप्त हो जाएगा। कॉलेजों को डिग्री देने की स्वायत्तता होगी।
- **शुल्क सीमा:** शिक्षा के निजी संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर एक सीमा लगाई जाएगी।
- **विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान (FHEIs):** विश्व में शीर्ष रेटिंग वाले विश्वविद्यालयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

NEP, 2020 के तहत अब तक की गई पहलें

- **स्कूली शिक्षा:** बाल वाटिका में ECCE, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना-आधारित शिक्षा जैसी नवीन शिक्षा पद्धतियों को अपनाया गया है।
- **बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा:** डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ।
- **मल्टी मॉडल शिक्षा:** संकेत सहित कई भाषाओं में अध्ययन सामग्री के लिए **स्वयं, स्वयं प्रभा, दीक्षा, वर्चुअल लैब की स्थापना जैसी** पहलें शुरू की गई हैं।
- **नवाचार और स्टार्ट-अप्स:** अनुसंधान, इनक्यूबेशन और स्टार्ट-अप की संस्कृति बनाने के लिए इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA) की शुरुआत की गई है।

4.1.1. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (Foundational Literacy And Numeracy: FLN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)[10] ने **मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल (FLN) रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी** किया है।

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस (IFC)** ने तैयार की है। IFC हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिवनेस की एक भारतीय शाखा है।
- इस रिपोर्ट में **दस वर्ष से कम आयु के बच्चों में FLN की समग्र स्थिति पर एक सूचकांक** प्रस्तुत किया गया है।
- रिपोर्ट में **पांच प्रमुख क्षेत्रों में 36 संकेतकों** के आधार पर भारतीय राज्यों की परस्पर तुलना की गई है। इन क्षेत्रों को **प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** के साथ संबद्ध किया गया है। **(इन्फोग्राफिक देखें)**

SDGs और FLN

SDG		स्तंभ
SDG 2	भुखमरी की समाप्ति	बुनियादी स्वास्थ्य
SDG 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	शिक्षा तक पहुंच
		शैक्षिक बुनियादी ढांचा
SDG 3	अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण	लर्निंग आउटकम्स
		बुनियादी स्वास्थ्य

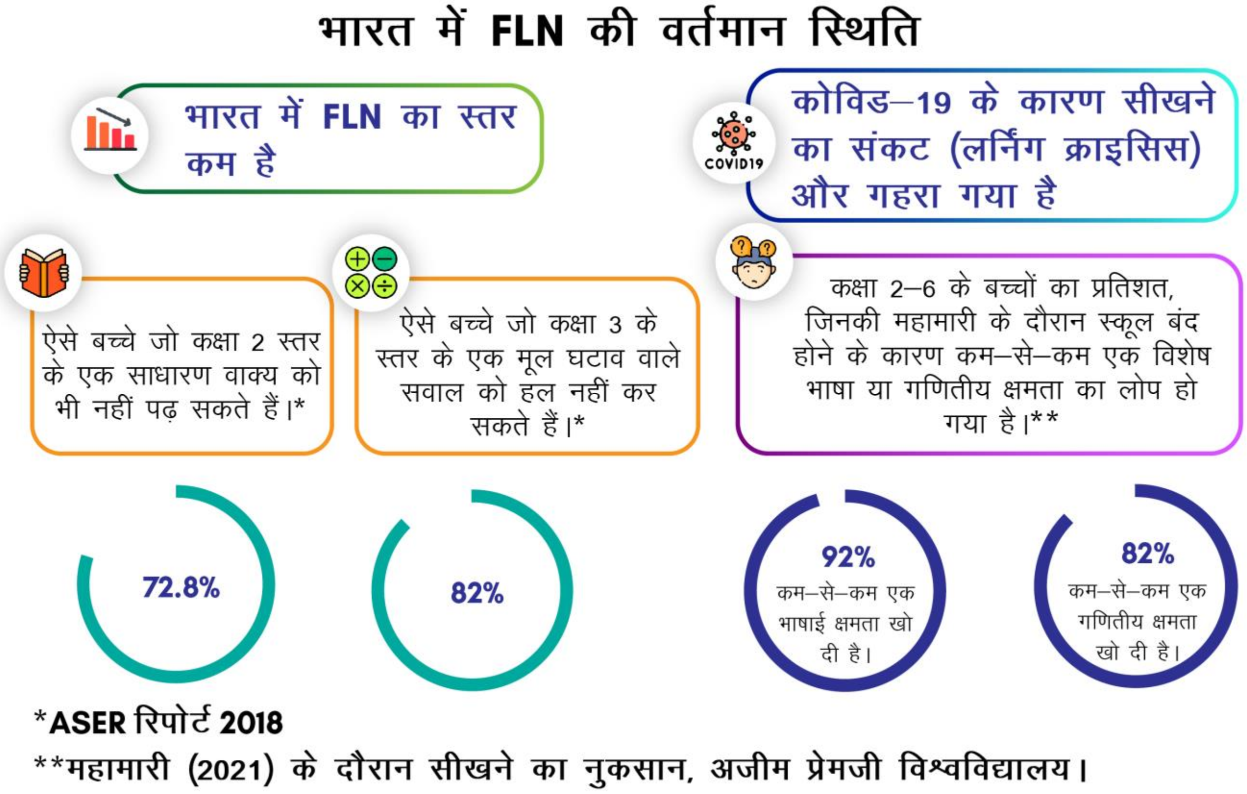

FLN के संबंध में अन्य जानकारी

- FLN से तात्पर्य **पढ़ने, लिखने और गणित में बुनियादी कौशल** से है। यह **कक्षा 3 के अंत तक** मूल पाठ को पढ़ने और समझने तथा साधारण गणितीय गणना करने की क्षमता है।
- यह **भविष्य की सभी अधिगम (लर्निंग) का आधार** है जिन पर अन्य कौशलों का विकास होता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में FLN की प्राप्ति को सर्वाधिक महत्त्व** दिया गया है।

[10] Economic Advisory Council to the Prime Minister

- शिक्षा मंत्रालय ने FLN के लिए 'निपुण भारत[11]' नामक एक राष्ट्रीय मिशन को आरंभ किया है।
    - हाल ही में, निपुण (NIPUN) भारत मिशन हेतु आधार स्तर निर्धारित करने के लिए **"मूलभूत शिक्षण अध्ययन (FLS) 2022"** शीर्षक से एक सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** और **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
        - **निपुण (NIPUN):** समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल है।

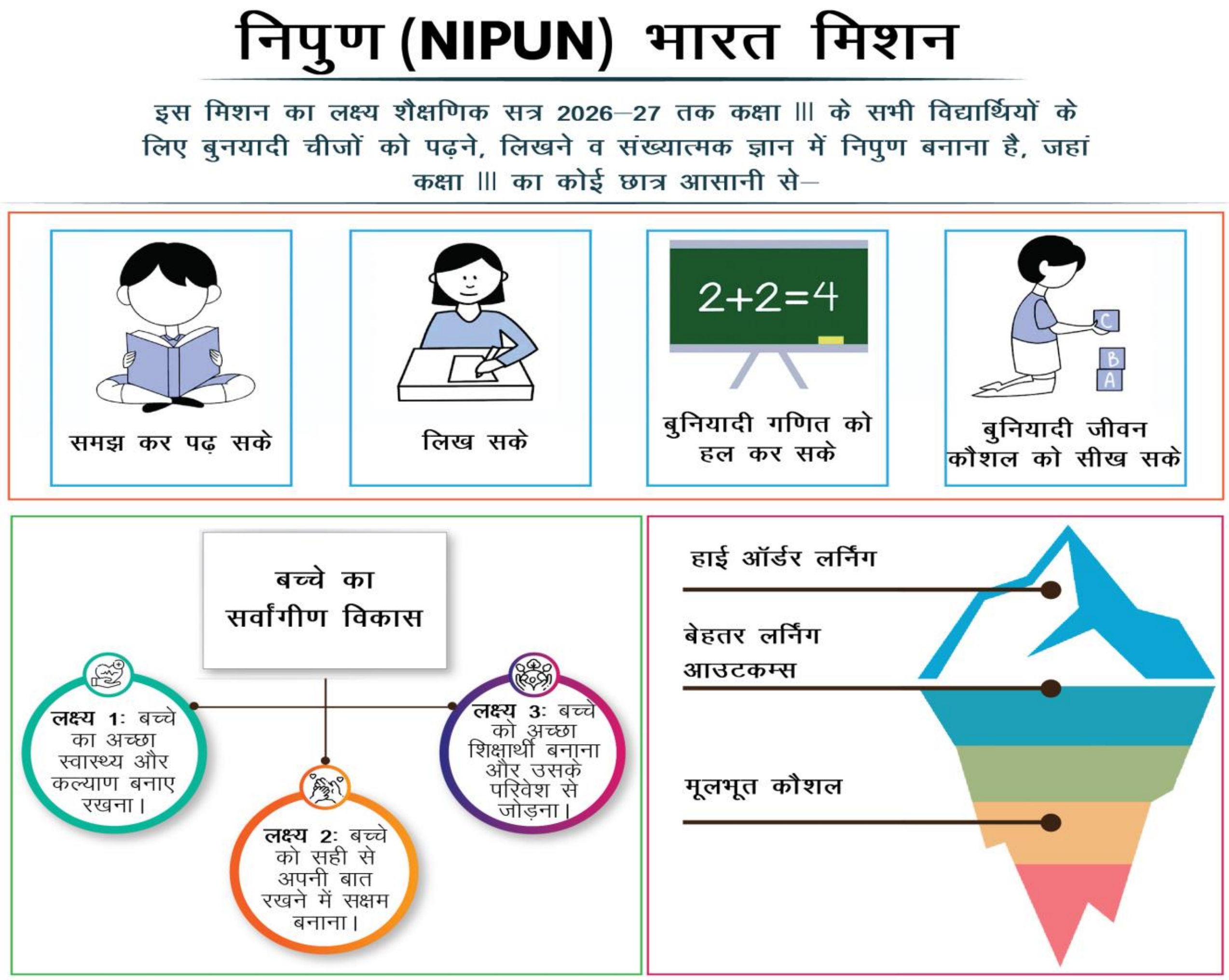

FLN प्राप्त करने में चुनौतियां

- FLN में क्या शामिल हैं और यह किस कक्षा या ग्रेड तक को कवर करता है, इस संबंध में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (NEP) तथा **निपुण भारत मिशन** के बीच **समन्वय की कमी** है।
- भारत के अलग-अलग निजी स्कूलों में, प्री-स्कूल स्तर से ही **अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता** दी जाती है।
- यूनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रकाशित 'भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट, 2021' के अनुसार, **देश के स्कूलों में कुल 19% या 11.16 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें से 69% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।**
- प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में कुपोषण उनमें आजीवन विकास संबंधी देरी और अशक्तता का कारण बन सकता है। इससे बच्चे का विकास और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **अवसंरचनाएं अच्छी स्थिति में नहीं** हैं। उदाहरण के लिए; पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं।
- **अन्य मुद्दे हैं;** ऐतिहासिक उपेक्षा, डिजिटल विभाजन, कोविड महामारी के कारण शिक्षा की हानि आदि।

[11] समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल/ NIPUN (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) Bharat'

सार्वभौमिक FLN प्राप्त करने हेतु आगे की राह

- **शिक्षा के माध्यम के रूप में परिचित भाषा का उपयोग:** मूलभूत शिक्षण कार्यक्रमों में मातृभाषा में और किसी दूसरी भाषा में सीखने वाले छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **परस्पर अंत:क्रिया:** शिक्षक और बच्चों के बीच सार्थक पारस्परिक अंत:क्रिया जनसांख्यिकीय विविधता वाले परिवारों के बच्चों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकती है।
- **कुशल शिक्षक:** सरकार को प्रत्येक समुदाय से भाषा में **निपुण शिक्षकों की नियुक्ति** करनी चाहिए। साथ ही, मौजूदा **शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता-निर्माण** भी करना चाहिए।
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी पहलों द्वारा **पोषण स्तर में सुधार** किया जाना चाहिए।

NEP में FLN बनाम निपुण भारत मिशन	
NEP	**निपुण भारत**
PRIMARY प्री–स्कूल के 3 साल + कक्षा 2 तक प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा।	प्री–स्कूल का 1 वर्ष + कक्षा 3 तक औपचारिक स्कूली शिक्षा।

- कोविड महामारी के कारण जिन छात्रों की शिक्षा की हानि हुई है, उनके लिए **कक्षा 3 से परे भी FLN के दायरे का विस्तार** किया जाना चाहिए।
- तुर्किए के इंटेंसिव पेरेंटिंग इंटरवेंशन की तर्ज पर घर में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, **इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए, अवसंरचना में सुधार करना** चाहिए आदि।

संबंधित सुर्ख़ियां

इस वर्ष प्रथम 'मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल आकलन परीक्षा (Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test: FLNAT)' आयोजित की गई

- FLNAT का आयोजन **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP)** के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस परीक्षा का उद्देश्य **नव-साक्षरों के पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल के बुनियादी ज्ञान का आकलन** करना है।
    - **15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षरों (non-literates)** ने इस आयोजन में भाग लिया था। उनके अनुसार, इस परीक्षा में **अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें साक्षर घोषित** किया जा सकता था।

कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला

- मध्य प्रदेश का **मंडला जिला भारत का पहला 'कार्यात्मक रूप से साक्षर' जिला** बन गया है। यह **एक आदिवासी बहुल क्षेत्र** है।
- एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जा सकता है, **जब वह अपना नाम लिखने तथा गिनने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।**

लर्निंग लॉसेस

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/UNICEF) के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण लर्निंग लॉस से **छात्रों की इस पीढ़ी को जीवन भर की कमाई में करीब 17 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है।**
    - 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार, **भारत में छात्रों के औसत प्रदर्शन में** 2017 की तुलना में **9% तक की गिरावट आई है।**
    - इसके अलावा, **डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच तथा कनेक्टिविटी की कमी ने** भी दूरस्थ शिक्षा को गंभीर रूप से बाधित किया है।

4.1.2. प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा {National Curriculum Framework (NCF) for Foundational Stage}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने **प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF) का शुभारंभ** किया है।

प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF)[12] के बारे में

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)[13], 2020 के अनुसार, निम्नलिखित चार NCFs का विकास किया जाएगा**
    - बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Early Childhood Care and Education: NCFECCE)

---

12 National Curriculum Framework

13 National Education Policy

- स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for School Education: NCFSE)
- शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Teacher Education: NCFTE)
- प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Adult Education: NCFAE)

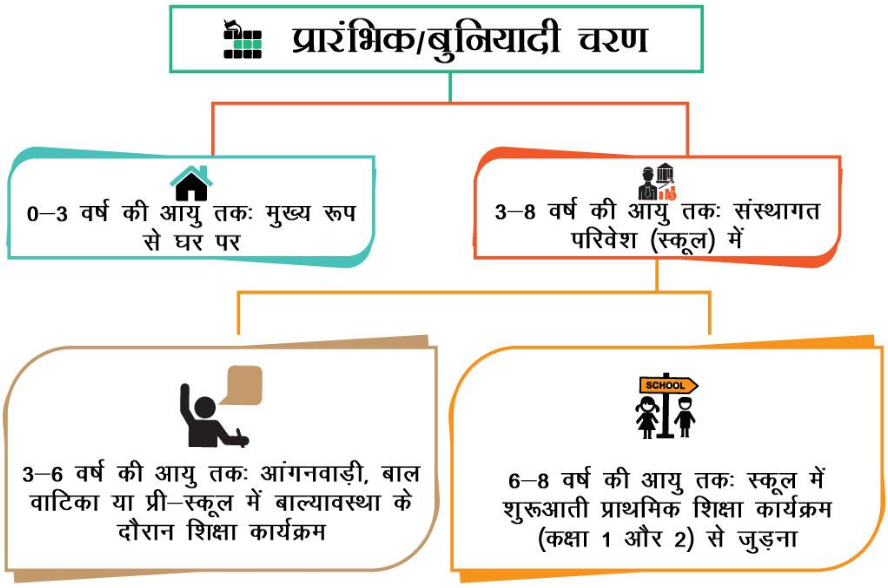

- **NCF (NCFECCE के अंतर्गत):** भारत में 3-8 वर्ष की आयु के **बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है।**
  - यह स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 वर्षीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन का पहला चरण है। यह रूपरेखा 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को कवर करती है। यह **समग्र NCFECCE का एक अभिन्न अंग होगा।**

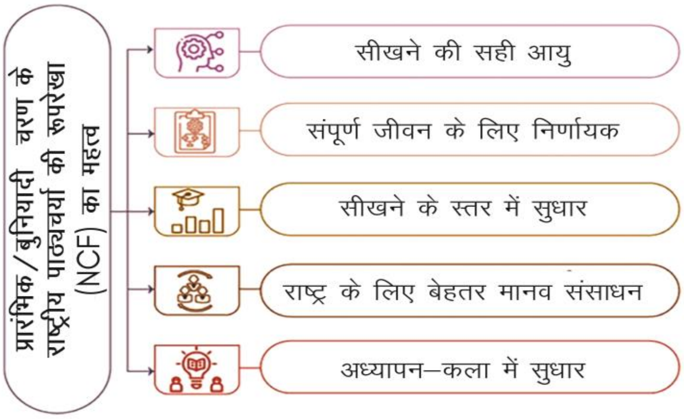

- इसका उद्देश्य **स्कूली शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव हेतु सहयोग करना** है। इसकी परिकल्पना NEP 2020 में की गई है। यह बदलाव **शिक्षण शास्त्र (Pedagogy) सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से** किया जाएगा।
- यह रूपरेखा नर्सरी और कक्षा 2 के बीच पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ियों **द्वारा अपनाई गई सभी शिक्षण विधियों का आधार होगी।**
  - **'जादुई पिटारा'** एक खेल-आधारित शिक्षण-अध्यापन सामग्री (LTM) है। इसे 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसे प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF-FS) के तहत विकसित किया गया है।

प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं

- **8 वर्ष की** आयु तक **छात्रों को केवल उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए।**
- **3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए।** इसके बदले NCF पाठ्यक्रम के लक्ष्यों एवं शिक्षण-संबंधी आवश्यकताओं के लिए सरल वर्कशीट की सिफारिश की गई है।
- इसके तहत **शुरू से ही पाठ्यक्रम में नैतिकता संबंधी घटक** को शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। यह घटक चरित्र-निर्माण, उत्पादक एवं सुखी जीवन जीने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में सहायक होगा।
- **पाठ्यपुस्तकों में रूढ़ियों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए** जैसे कि उल्लू और सांप की छवि नकारात्मक दिखाना, अश्वेत लोगों को डरावना / भयानक दिखाना आदि।
- कहानियों, पात्रों और चित्रों के उपयोग के माध्यम से **लैंगिक संतुलन और सामुदायिक प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।
- **शिक्षा के लिए पंचकोश प्रणाली:** इस रूपरेखा में बच्चों की शिक्षा के लिए **'पंचकोश'** अवधारणा को अपनाया गया है।
  - इसमें **शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावनात्मक एवं मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और चारित्रिक विकास** शामिल हैं।
  - पंचकोश का वर्णन **तैत्तिरीय उपनिषद** में किया गया है।

निष्कर्ष

जिस तरह एक मजबूत नींव के बिना सुरक्षित घर का निर्माण नहीं किया जा सकता है, वैसे ही किसी बच्चे के मजबूत बुनियादी कौशल के बिना उसके उचित विकास की आशा नहीं की जा सकती है।

इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा का उद्देश्य न केवल विचारों को बदलना है, बल्कि शिक्षण पद्धतियों को बदलने में सहयोग करना भी है। यह प्रयास छात्रों के सीखने के समग्र अनुभवों के सकारात्मक परिवर्तन को सक्षम बनाएगा और उनके लिए एक बेहतर नींव तैयार करेगा।

4.1.3. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework For School Education: NCFSE)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने **लोगों के फीडबैक हेतु 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा' (NCFSE) का प्री-ड्राफ्ट** जारी किया है।

प्रस्तावित NCFSE के बारे में

- NCFSE का उद्देश्य **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुसार पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के विकास** का मार्गदर्शन करना है।
    - **NCFSE को अंतिम बार 2005 में संशोधित** किया गया था और NCERT की पाठ्य पुस्तकों के मौजूदा सेट इसका उपयोग करके तैयार किए गए थे।
- प्रस्तावित NCFSE **3 से 18 वर्ष की आयु** वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम में परिवर्तन

- **कक्षावार दृष्टिकोण:**
    - **3-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों (प्री-स्कूल से कक्षा-II तक) के लिए** खिलौनों, पहेलियों और जोड़-तोड़ का उपयोग करके खेल आधारित शैक्षणिक दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है।
    - **मिडिल स्तर (कक्षा VI, VII, VIII) के लिए,** प्राकृतिक विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी शुरू किया जाएगा। पाठ्यपुस्तकें मिडिल स्कूल स्तर से ही एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगी।

- **कक्षा IX और X के लिए,** छात्रों को 8 अलग-अलग पाठ्यक्रम क्षेत्रकों के अंतर्गत वर्गीकृत 16 पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना होगा। साथ ही, अंतिम प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आठ प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करना होगा।
  - सुझाए गए पाठ्यक्रम क्षेत्रक हैं- **मानविकी (इसमें भाषाएं भी शामिल हैं), गणित और कम्प्यूटिंग, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा अंतर्विषयक क्षेत्र।**
- ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए समान विषयों से विकल्प आधारित पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, **12वीं कक्षा के लिए संचयी ग्रेड अंकों के साथ परीक्षा की सेमेस्टर प्रणाली शुरू की जाएगी।**

- **कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं** किया जाएगा।
- शैक्षणिक वर्ष शिक्षा के सभी चरणों में 180 स्कूल दिवस या 34 सप्ताह का होना चाहिए।
- NCF के प्री-ड्राफ्ट में **प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं के एकीकरण** का प्रस्ताव है, जैसे कि **6 प्रमाण (ज्ञान प्राप्त करने के तरीके) और तैत्तिरीय उपनिषद में नैतिक विकास के लिए वर्णित पंचकोश प्रणाली** आदि।

स्कूली शिक्षा के लिए NCF का महत्त्व

- **प्रकृति में समग्र:** छात्रों को अलग-अलग स्ट्रीम्स के तहत विविध विषयों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है।
- **सांस्कृतिक संबद्धता को आत्मसात करता है:** पाठ्यक्रम का लक्ष्य छात्रों को अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, ताकि वे बेहतर तरीके से इसका आनंद ले सकें और इसका प्रचार कर सकें।
- **समानता प्रदान करता है:** यह जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है।
- **सीखने के स्तर में सुधार करता है:** सेमेस्टर आधारित दृष्टिकोण एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के कारण पैदा हुई चिंता को कम करता है। साथ ही, छात्रों को बेहतर तैयारी करने और सीखने में मदद करता है।
- **देश के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित करता है:** शिक्षा शास्त्र को छात्र को बेहतर रीति से सिखाने तथा उसे कानून का पालन करने वाला आदर्श नागरिक बनाने हेतु निर्मित किया गया है।

निष्कर्ष

इस मसौदे में ऐसे तरीके प्रस्तावित हैं, जिनके माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में वर्तमान और भविष्य के रुझानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुधार किया जा सकता है। ये तरीके हमें हमारे मूल से जोड़े रखेंगे तथा ये एक बहुलतावादी विश्व की बढ़ती मांगों के अनुकूल भी हैं।

4.2. विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools)

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता: एक नजर में

हालांकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की **कोई मानक परिभाषा नहीं है,** लेकिन आमतौर पर इसे ऐसी शिक्षा के रूप में समझा जाता है जो प्रत्येक छात्र के **सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास** पर केंद्रित होती है। ऐसी **शिक्षा बच्चे को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करती है,** न कि केवल परीक्षा के लिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषताएं

- पर्याप्त सुविधाएं
- अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम
- सुरक्षित और भयमुक्त तरीके से सीखने का माहौल
- मूल्य और नैतिकता
- अच्छी तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षक
- पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभ

- यह व्यक्ति को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आवश्यक है।
- **गरीबी से मुक्ति** और समुदायों के लिए लचीलेपन को बढ़ाती है।
- **सामाजिक–आर्थिक असमानता को कम करती है।**
- इससे **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा मिलता है।
- यह **सतत विकास लक्ष्यों** (SDGs) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- लगभग सार्वभौमिक स्कूल नामांकन हासिल कर लेने के बावजूद, **नामांकन पर अधिक बल** देने से लर्निंग आउटकम्स (सीखने के परिणामों), शिक्षकों की अनुपस्थिति आदि को नजरअंदाज किया जा रहा है।
- **खराब शिक्षाशास्त्र (Pedagogy):** वर्तमान में स्कूलों में **रट्टा–आधारित शिक्षा, वन–साइज–फिट्स–ऑल** पर आधारित शिक्षण मॉडल और **अनावश्यक प्रतिस्पर्धा** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- **शिक्षकों को गैर–शिक्षण कार्यों में लगाना: NIEPA** की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षकों के वार्षिक स्कूल घंटों का केवल 19% शिक्षण कार्यों पर व्यतीत होता है।
- **योग्य शिक्षकों का अभाव:** कई शिक्षक स्वयं अपने द्वारा **पढ़ाए जाने वाले ग्रेड के पेपर में <60-70% अंक प्राप्त कर रहे हैं** (नीति आयोग)।
- ज्यादातर स्कूलों में पेयजल, बिजली, अध्ययन सामग्री जैसी **मूलभूत सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।**
- **जीवन–कौशल पर बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है।**

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आगे की राह

- प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण सामग्री और स्मार्ट क्लासरूम जैसे साधनों से **शिक्षकों की क्षमता** निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **जवाबदेही को बढ़ावा देना:** शिक्षकों की शिक्षा के साथ–साथ स्कूलों के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय मान्यता तंत्र के माध्यम से।
- **शिक्षाशास्त्र को नया आकार देना:**
  - **अनुभवात्मक शिक्षा,** जैसे– कला–समन्वित शिक्षा, **कहानी कहने पर आधारित** शिक्षाशास्त्र;
  - **अनुभवी शिक्षा:** समुदाय और पूर्व छात्रों को स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करना;
  - मूल्यांकन उपकरणों में सुधार कर **सीखने की क्षमता में** वृद्धि करना।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार करना:** सुरक्षित पेयजल, अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- **NEP, 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल देना,** जो शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देता है।

4.3. उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन/ मान्यता (Accreditation of Higher Education Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs)[14] की मान्यता प्रणाली (Accreditation system) में सुधारों पर गठित **राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट** पब्लिक डोमेन में जारी कर दी गई है।

[14] Higher Education Institutions

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अति महत्वपूर्ण **समिति** के अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन थे। इस समिति को सौंपे गए कार्यों (Mandate) में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना,** और
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भविष्य हेतु सोची गई **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)**[15] **के लिए एक रोडमैप तैयार करना।**
        - NAC **भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के चार कार्यक्षेत्रों में से एक** है।
        - NAC **'सबसे उच्च स्तर का मान्यता प्रदाता निकाय'** होगा। इस निकाय के पास मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र इकोसिस्टम की देख-रेख और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी।

भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में

- **मान्यता** शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)[16] **'UGC अधिनियम, 1956'** के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार और यहां तक कि कुछ राज्यों के दायरे में आने वाली **कई एजेंसियों** को **आवधिक स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा** गया है।

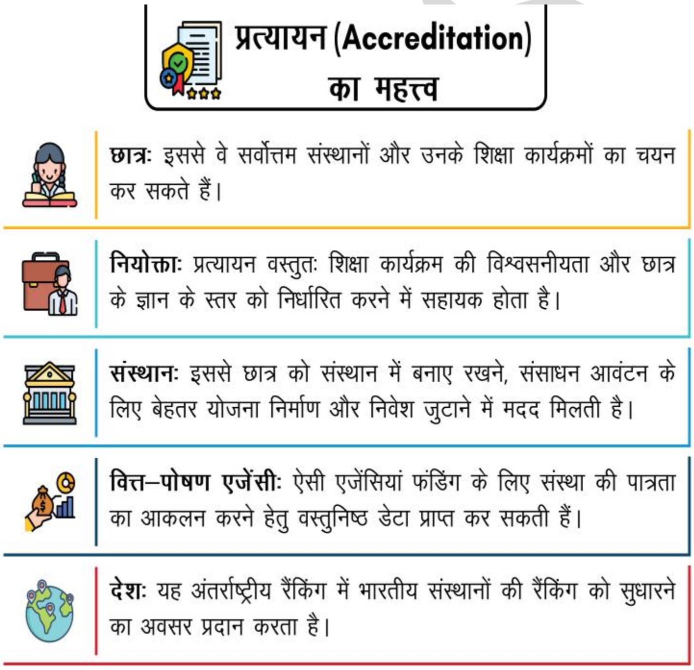

भारत की मान्यता प्रणाली में चुनौतियां

- **केंद्रीकृत प्रणाली:** भारत में विनियमन संबंधी व्यवस्था और मान्यता प्रणाली बहुत अधिक केंद्रीकृत है। इसके अलावा, इस पूरे इकोसिस्टम तक राज्यों की सभी संस्थाओं की मुक्त पहुंच नहीं है।
    - इन प्रणालियों ने **भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं रखा है।**
- **कम भागीदारी:** इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक भागीदारी करने संबंधी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की निम्न तत्परता का स्तर भी चिंता का कारण बना हुआ है।
    - **उदाहरण के लिए-** देश भर में 1,113 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से केवल 418 विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
        - मान्यता प्राप्त करने में **उच्चतर शिक्षा संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने** के लिए, UGC ने **'परामर्श योजना'** शुरू की है।
        - इस योजना के तहत, **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुछ संस्थानों की पहचान** की गई है। इन संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कम-से-कम पांच संस्थानों के **परामर्शदाता के रूप में** सेवा देने के लिए चिन्हित किया गया है।
- **दोहराव और ओवरलैपिंग:** वर्तमान में, कई एजेंसियों को समय-समय पर स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है।
    - इनमें से प्रत्येक एजेंसी कई बार एक ही HEI से जानकारी एकत्र करती है, जो प्रायः समान होती है।
- **चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया:** मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी के संग्रह की प्रक्रिया (वह भी अलग-अलग समय के दौरान) बोझिल और थकाऊ है।
- **मैनुअल/ हाइब्रिड सिस्टम:** इसके कारण अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बीच उच्च स्तर की व्यक्तिपरकता (Subjectivity) और विसंगतियां आती है।
- **कथित भ्रष्टाचार:** उदाहरण के लिए- हाल ही में, NAAC मान्यता प्रणाली के तहत निहित स्वार्थ, कदाचार की संभावना को उजागर किया गया है।

---

[15] National Accreditation Council

[16] University Grants Commission

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें

- **समग्र मूल्यांकन प्रणाली (CAS)**[17]: नई प्रस्तावित मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए।
    - **कार्यक्रम-मान्यता और संस्थान मान्यता को एक साथ लाना** चाहिए। साथ ही, उनकी परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए और CAS विकसित करना चाहिए।
- **द्विआधारी (Binary) मान्यता प्रणाली:** समिति ने NAAC की वर्तमान 8-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली से **एक द्विआधारी मान्यता प्रणाली** को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसे- **मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त।**
    - **समिति ने गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणी में दो उप-प्रभागों का प्रस्ताव** दिया है, अर्थात् **मान्यता की प्रतीक्षा** (उन लोगों के लिए जो सीमा स्तर के निकट हैं) और **गैर-मान्यता प्राप्त** (उन लोगों के लिए जो मान्यता के मानकों से बहुत नीचे हैं)।
    - इसमें 'मान्यता के मानकों से बहुत नीचे' आने वाले **संस्थानों को सलाह देने का भी प्रस्ताव** दिया गया है।
- **प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली:** पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए:
    - पर्याप्त पहुँच नियंत्रण और सुरक्षा सुविधाएं, सुसंगत डेटा प्राप्ति आदि प्रदान करने के लिए **'वन नेशन वन डेटा प्लेटफ़ॉर्म'** को अपग्रेड करना चाहिए।

स्कूलों की मान्यता

- भारत में, **स्कूलों के नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।**
- **NEP, 2020** प्री-स्कूल शिक्षा सहित **शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्तापूर्ण स्व-विनियमन या मान्यता प्रणाली** की कल्पना करती है।
    - यह **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)**[18] द्वारा एक अलग स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने की भी सिफारिश करती है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABET) 'गुणवत्तापूर्ण स्कूल प्रशासन के लिए प्रत्यायन मानक**[19] **'** नामक एक मान्यता कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है।
    - NABET **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)**[20] का एक घटक बोर्ड है।
    - **इन मानकों में तीन बुनियादी खंड शामिल हैं:**
        - स्कूल प्रशासन
        - शैक्षिक और समर्थन प्रक्रियाएं
        - प्रदर्शन का मापन और सुधार।
- **परख (PARAKH) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के हिस्से के रूप में लॉन्च** किया गया है। **परख से आशय है; समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण।**
    - परख, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण (SAS) सहित **बड़े पैमाने पर आंकलन करने** तथा सीखने के परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगा।

- **अन्य प्रस्ताव:**
    - **विविध उपयोगकर्ताओं** (छात्रों, वित्त पोषण एजेंसियों, उद्योगों आदि) के लिए **विकल्प-आधारित रैंकिंग प्रणाली** को सक्षम करना।
    - **संभावित नए सदस्यों** को संभालने के प्रभावी तरीकों के साथ मिलकर **एक मजबूत आउटरीच तंत्र** शुरू करना।
    - वर्तमान में प्रचलित 'वन-साइज़-फिट-ऑल' मॉडल के बजाय, **HEIs को उनके काम करने के तरीके/ विज़न और विरासत/ परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना।**
    - विशेष रूप से पहले चक्र के लिए **मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाना** और **पुनः मान्यता के लिए समय सीमा को घटाकर तीन वर्ष करना।**

4.4. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)** जारी किया है।

[17] Composite Assessment System

[18] State Council of Educational Research and Training

[19] Accreditation standard for Quality School Governance

[20] Quality Council of India

NCrF की पृष्ठभूमि

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए NCrF का प्रस्ताव किया गया है।
* **NCrF को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित** किया गया है। इस समिति में UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET), NCERT, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, CBSE आदि के सदस्य शामिल थे।

नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के बारे में

* यह फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से **अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करने का प्रयास** करता है। इससे छात्रों के बीच **लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।**
* इसमें शामिल होंगे:
    * **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क** (National Higher Education Qualification Framework: NHEQF),
    * **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क** (National Skills Qualification Framework: NSQF),
    * **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF) / राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NSEQF)** {National Curriculum Framework (NCF)/ National School Education Qualification Framework (NSEQF)}।

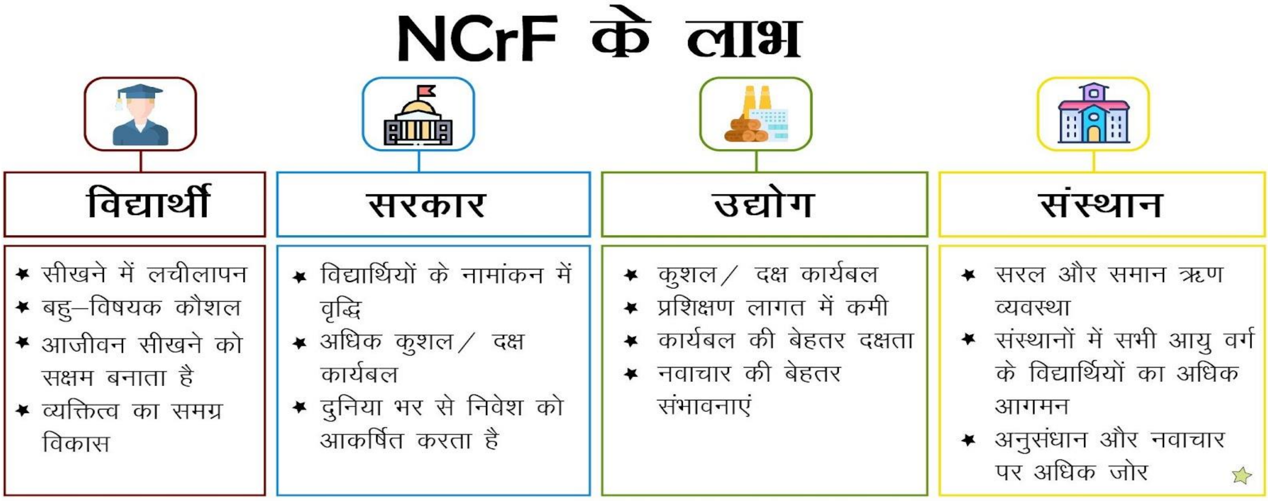

* यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी तथा खेल के क्षेत्र में व्यापक आधार वाली बहु-विषयक शिक्षा को सक्षम करके **शिक्षा को और अधिक समग्र** बनाता है।
* यह क्रेडिट सिस्टम को अपनाने में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा **पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएगा।**

NCrF की मुख्य विशेषताएं

* **क्रेडिट सिस्टम:** यह शिक्षा को 8 स्तरों में विभाजित करता है-
    * स्कूली शिक्षा 1-4 स्तर के अंतर्गत आती है,
    * 4.5-8 का स्तर उच्चतर शिक्षा को इंगित करता है, तथा
    * व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को 1 से 8 स्तर के अंतर्गत रखा गया है।
* **ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC):** अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के पूरा होने के बाद अर्जित क्रेडिट्स को **ABC में संग्रहीत किया जाएगा।**

- **मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट (ME-ME) विकल्प आजीवन सीखने को सक्षम** बनाता है।
- **सीखने में लगने वाला अनुमानित समय (घंटों में):** यह उस समय को दर्शाता है, **जब एक औसत छात्र को सभी कक्षाओं में भाग लेने, परीक्षणों के लिए उपस्थित होने और असाइनमेंट जमा करने की आवश्यकता होती है।**
    - स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के लिए कुल सांकेतिक शिक्षण घंटे 1200 घंटे/वर्ष निर्धारित किए गए हैं।

निष्कर्ष

NEP को अधिक प्रभावी बनाने के लिए NCrF एक आवश्यक कदम है, ताकि भारत को सभी पहलुओं में बदलने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सके।

4.5. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University: NDU)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत परिकल्पित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (NDU) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

NDU क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है?

- NDU एक **ऐसा विश्वविद्यालय** है जिसे ऑनलाइन उच्चतर शिक्षा कोर्स प्रदान करने के लिए अलग-अलग उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

NDU की निम्नलिखित रूपरेखा है:

- **सीटों की संख्या को निर्धारित किए बिना ऑनलाइन पाठ्यक्रम** का विकल्प दिया जाएगा।
- छात्र **सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स** के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
- **NDU एक हब-एंड-स्पोक मॉडल** के तहत कार्य करेगा। इन पाठ्यक्रमों को छात्रों के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स (स्वयं/ SWAYAM) पोर्टल के माध्यम से सुलभ बनाया जाएगा।
- **क्रेडिट आधारित विश्वविद्यालय की डिग्री:** कोर्स एक **निश्चित संख्या में क्रेडिट्स** रखेंगे और छात्र **क्रेडिट्स का 50% जमा करने पर** किसी भी विशेष संस्थान से **डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र** होंगे।
- **NDU की डिग्री:** यदि कोई छात्र कई संस्थानों से क्रेडिट्स अर्जित करता है और डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट्स सीमा को पार करता है, तो डिग्री NDU द्वारा दी जाएगी।

- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्रणाली:**

  मानकीकृत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्रणाली की स्थापना UGC ने की है। इसका उपयोग NDU अकादमिक गतिशीलता की सुविधा के लिए किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम के लिए **सीटों की संख्या असीमित है।**
- आई.टी. और प्रशासनिक सेवाएं सरकार के **समर्थ पोर्टल** के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

- यह पोर्टल **HEIs** को बिना किसी बाधा के शिक्षा सेवाओं की योजना, प्रबंधन, वितरण और निगरानी के लिए **एक डिजिटल रूपरेखा तैयार करने की अनुमति देता है।**

NDU से संबंधित चुनौतियां

- इस बात पर **अस्पष्टता है कि क्या उद्योग** पारंपरिक डिग्री कार्यक्रमों और डिजिटल डिग्री कार्यक्रमों के बीच **समानता को मान्यता** देंगे अथवा नहीं।
- **मानकीकृत मूल्यांकन में कठिनाइयां:** बड़ी संख्या में छात्रों और अलग-अलग कोर्स के संयोजन के लिए मानकीकृत मूल्यांकन को लेकर अस्पष्टता है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता से संभावित समझौता:** असीमित संख्या में सीटों की अवधारणा ने शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- कैंपस के रूप में संस्थान (भौतिक संस्थान) की अनुपस्थिति तथा अपने साथी विद्यार्थियों और प्रोफेसर के साथ संवाद के अभाव में **व्यावहारिक कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास प्रभावित** होगा।
- भौगोलिक और लैंगिक असमानता के कारण **डिजिटल विभाजन को बढ़ावा मिलेगा।**

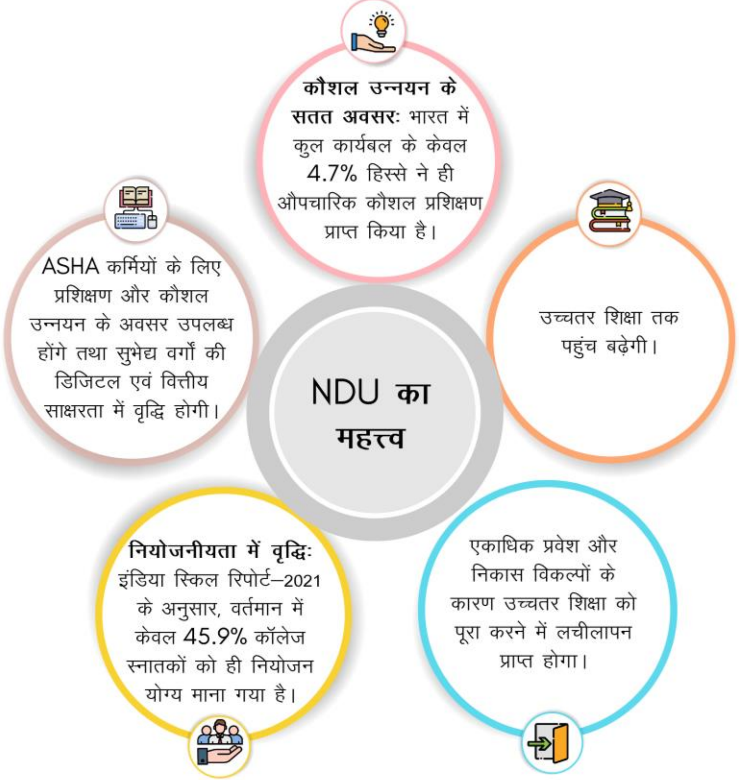

आगे की राह

- विद्यार्थियों को **रोजगार प्राप्ति योग्य बनाने तथा उनके कौशल की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए** NDU में उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है।
- **सहपाठी के साथ सीखने के लिए समूहों** का गठन किया जा सकता है, जो छात्रों के बीच फीडबैक और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे।
- डिजिटल अवसंरचना तक कमजोर वर्ग के छात्रों और ग्रामीण समुदायों की भी पहुंच होनी चाहिए तथा वे इसे वहन कर सके, इसके लिए **डिजिटल इंडिया पहल का प्रभावी ढंग से लाभ** उठाया जा सकता है।
- शिक्षा प्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए **डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले (EdTech) प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से **पर्सनलाइज्ड लर्निंग** पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
- छात्रों व परामर्शदाताओं/ फैकल्टी/ पेशेवरों के बीच **संचार नेटवर्क और संवाद तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए। इससे बहुत हद तक ऑफलाइन मोड की विशेषताओं का अनुसरण करने में मदद मिलेगी।

4.6. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान {Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में अपने परिसरों (कैंपस) की स्थापना के लिए मसौदा विनियम जारी किए हैं।

मसौदा विनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना के लिए **UGC से अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह मंजूरी प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए दी जाएगी।**
- **पात्रता:** इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालय का शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में स्थान होना चाहिए। इच्छुक विदेशी शैक्षणिक संस्थान अपने गृह देश या अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए।
- **स्वायत्तता:** FHEIs को संकाय (फैकल्टी) सदस्य भर्ती, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना में स्वायत्तता प्राप्त होगी।

- **वित्त-पोषण:** FHEIs को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 और इसके नियमों के तहत फंड्स को सीमा-पार लाने और ले जाने की अनुमति होगी।
- **पाठ्यक्रमों का तरीका:** विदेशी विश्वविद्यालय केवल **ऑफ़लाइन मोड में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम** प्रदान करेंगे।
- **डिग्री या शिक्षण योग्यता (qualifications) में समानता:** भारतीय परिसरों में FHEIs द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यताएं उनके द्वारा उनके अपने देश में दी जाने वाली योग्यताओं के समान होंगी।
- **UGC के अधिकार:** UGC को बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक कार्यक्रमों और समग्र गुणवत्ता एवं योग्यता का पता लगाने के लिए हर समय परिसर तथा उसके संचालन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप UGC {भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन} मसौदा विनियमन, 2023 जारी किए हैं।
- इन विनियमों के जरिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के प्रवेश और संचालन को विनियमित किया जाएगा। इनकी मदद से सभी विषयों में उच्चतर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

वर्तमान में वैश्विक शिक्षा इकोसिस्टम के साथ भारत की अंतर्क्रिया

भारत से विश्व तक

- **विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्र:** शिक्षा मंत्रालय (MoE) के अनुसार, 2022 में 6.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश गए थे।
  - अधिकांश भारतीय छात्रों ने डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को प्राथमिकता।

विश्व से भारत तक

- **ब्रांड इंडिया:** भारत "इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी" ब्रांड नाम के साथ IITs के विदेशी परिचालन को बढ़ावा दे रहा है।
- **स्टडी इन इंडिया (SII):** यह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रमुख भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु MoE की एक प्रमुख परियोजना है।

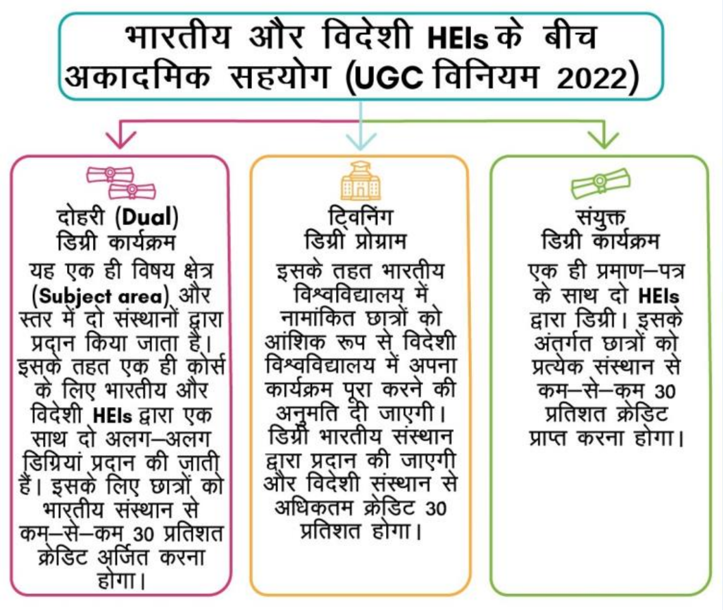

भारत में FHEIs का महत्त्व

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि:** NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्चतर शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात **(Gross Enrolment Ratio: GER)** हासिल करना है। विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान इस अंतर को समाप्त करने में मदद करेंगे।
- **प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण:** इससे प्रतिभा पलायन में कमी आ सकती है और भारत को उच्चतर शिक्षा का केंद्र बनाया जा सकता है।
- **विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी:** वित्त वर्ष 2021-2022 में विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लगभग 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
- **भारतीय HEIs में सुधार:** उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता और वैश्विक स्थिति में सुधार होगा। **ध्यातव्य है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में केवल 8 भारतीय विश्वविद्यालयों ने ही शीर्ष 400 में जगह बनाई है।**
- **अनुसंधान के अवसर:** भारत में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन और अलग-अलग विश्वविद्यालयों के बीच फैकल्टी से फैकल्टी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का आगमन:** इससे संबद्ध उद्योगों जैसे किराये के आवास, रेस्तरां, अंशकालिक नौकरी के अवसर, गिग इकॉनमी आदि को बढ़ावा मिलेगा।
- **उद्योग-अकादमिक संबंध महत्वपूर्ण रूप से मजबूत होंगे।**

FHEIs से जुड़ी चिंताएं

- विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षा प्रणाली में लाभ कमाने की विचारधारा वाली संस्कृति का प्रवेश होगा और इससे उच्चतर शिक्षा एक "कमोडिटी" बनकर रह जाएगी।
- **FHEIs में पढ़ने का खर्चा अधिक** होगा। साथ ही, उनमें **आरक्षण एवं कोटा आधारित छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं** होगी। इससे ऐसे संस्थानों में **कमजोर वर्ग के छात्रों का प्रवेश मुश्किल होगा।**
- FHEIs और भारतीय HEIs के बीच शिक्षकों, शोधकर्ताओं, तकनीशियनों तथा भूमि जैसे अन्य संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी। इससे अल्पावधि में, कुछ भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- FHEIs द्वारा शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में प्रदान की जाएगी। इससे अंग्रेजी शिक्षा की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। यह भाषा-समावेशी उच्चतर शिक्षा के लिए नुकसानदायक होगा।
- ये संस्थान भारत से अर्जित **लाभ अपने गृह देशों में भेज देंगे**। इससे धन का पलायन हो सकता है।
- **पश्चिमी प्रभाव के चलते** सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में कमी आ सकती है।

आगे की राह

- **भारतीय विश्वविद्यालयों और FHEIs के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था का निर्माण**: इसके जरिये यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दोनों तरह के संस्थान आपस में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अनुसंधान, उद्योग संबद्धता या शैक्षणिक प्रतियोगिताओं आदि के मामले में एक-दूसरे के लिए पूरक के रूप में कार्य करें।
- **भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग**: कई भारतीय संस्थान प्रभावी संसाधन प्रबंधन, बेहतर अनुसंधान, वित्तीय कौशल आदि के लिए आपस में सहयोग का एक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।
  - इस तरह का सहयोग अन्य देशों में देखा जा सकता है, जैसे **अमेरिका में आइवी लीग, यूनाइटेड किंगडम में रसेल ग्रुप, चीन में C9 लीग इत्यादि।**
  - **भारतीय HEIs के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** शीर्ष पायदान पर विद्यमान **भारतीय संस्थान अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता** प्राप्त करके स्वयं को विविधता प्रदान कर सकते हैं।
  - सरकार **पिछड़े वर्गों और वंचित वर्गों के छात्रों को FHEIs** के भारतीय कैंपस में अध्ययन के लिए **छात्रवृत्ति प्रदान कर सकती है।**
  - प्रस्तावित **भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)** को भारतीय और विदेशी HEIs पर मानकों एवं समान दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए वैधानिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
  - विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के बेंचमार्क** को FHEIs पर भी लागू किया जा सकता है।

4.7. क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना (Promotion of Higher Education in Regional Languages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम पुस्तकों का विमोचन किया है।

ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न माध्यमों में शिक्षा का विकास

- भारत में **भारतीयों को दी जाने वाली** शिक्षा के माध्यम को लेकर **ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राच्यवादी-आंग्लवादी चुनौती का सामना करना पड़ा था।**
    - **प्राच्यवादियों (Orientalists)** ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा की वकालत की।
    - **आंग्लवादियों (Anglicists)** ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शिक्षा देने की वकालत की।
- **मैकाले के मिनट्स (विवरण) के आधार पर 1835 में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा।** इसमें शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत[21] का सुझाव दिया गया था।
- **वुड्स डिस्पैच (1854) में सिफारिश की गई कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए।**

स्वतंत्रता के बाद का विकास

- **इस संदर्भ में, सबसे पहली रिपोर्ट 1948-49 की राधाकृष्णन समिति द्वारा सौंपी गई।** इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि उच्चतर शिक्षा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को माध्यम के रूप में चुना जाना चाहिए।
- इस क्रम में दूसरा नाम **'राजभाषा आयोग, 1956' का आता है।** इसने संघ के सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ाने की सिफारिश की थी।
- बाद में **भावात्मक एकता समिति**[22] **(1962) और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968, 1986)** में भी उच्चतर शिक्षा के माध्यम को लेकर चर्चा की गई।

उच्चतर शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा में बढ़ावा देने से संबंधित चिंताएं

- **क्षेत्रीय भाषाओं की बड़ी संख्या:** विविध क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के होने से व्याख्यान/ लेक्चर देने में कठिनाई होती है
- **अंग्रेजी-माध्यम की परम्परा का प्रभाव:** भारत में पहले से ही उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाती रही है। इसलिए क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के इच्छुक और क्षमतावान गुणवत्तायुक्त शिक्षकों को आकर्षित करना तथा उन्हें जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- **अवसर या स्नातक स्तर के छात्रों की घटती संख्या:** उद्योग प्लेसमेंट में कठिनाई या वैश्विक श्रम और शिक्षा बाजारों में अवसर खोजने में परेशानी आती है।
- नई शिक्षण सामग्री के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण की **प्रारंभिक लागत अधिक** हो सकती है। यह विशेष रूप से उन भाषाओं के संदर्भ में अधिक होगी, जिनका मानकीकरण नहीं किया गया है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे का निर्माण करना:** उदाहरण के लिए- विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को अनुदान की सहायता से

---

[21] Downward Filtration Theory

[22] Emotional Integration Committee

क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचारित करना आदि।

- **ऐसे शिक्षकों की भर्ती करना जो बहुभाषी हों** और विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में **पारंगत हों।** इससे उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को काफी बल मिल सकता है।
- **शिक्षकों को सहायता देने के लिए तकनीकी उपायों को अपनाना चाहिए।** साथ ही, मनोरंजक किताबों का विकास या उनका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए तथा उन्हें कॉलेजों एवं डिजिटल पुस्तकालयों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रॉपआउट दर अधिक है **वहां विशेष रूप से स्थानीय भाषा जानने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।** साथ ही, पाठ्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने चाहिए, ताकि वे मनोरंजक होने के साथ-साथ उपयोगी भी हो।

4.8. शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता {Artificial Intelligence in Education (AIED)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनेस्को (UNESCO)[23] ने भारत के संबंध में **"स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, 2022: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **AI में भारत की वर्तमान स्थिति**
  - भारत में **AI कौशल प्रसार दर (Skill Penetration Rate) तुलनात्मक रूप से अधिक** है। यह वैश्विक औसत की 3.09 गुना है।
- **भारत की क्षमता:** ऐसा अनुमान है कि भारत में **AI का बाजार 20.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)[24] से बढ़ते हुए वर्ष 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में AI को अपनाने में चुनौतियां

- शिक्षा के क्षेत्र में AI को समेकित करने के लिए **व्यापक नीति का अभाव** है।
- राज्यों के पास अपर्याप्त क्षमता है। इस अक्षमता के कारण मौजूदा सार्वजनिक संस्थान AI के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की गति के साथ तालमेल स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे।
- भारत में **शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 3.5%** से भी कम है, जबकि वैश्विक औसत 4.2% है।
- **भारत में डिजिटल विभाजन** मौजूद है। यहां 54% जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती है।
- **नैतिकता और पारदर्शिता जैसे एल्गोरिथमिक संबंधी पूर्वाग्रह, डिजिटल या डेटा उपनिवेशवाद** (कुछ देशों द्वारा डेटा का नियंत्रण), उत्पन्न डेटा का दुरुपयोग जैसी कई चिंताएं विद्यमान हैं।

[23] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

[24] Compound Annual Growth Rate

आगे की राह

- **एक व्यापक राज्य नीति बनाना:** भारत को विश्व का AI नवाचार केंद्र बनाने के लिए डेटा दुरुपयोग को रोकने, निजता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने आदि के लिए मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।
- **बुनियादी तकनीकों का स्मार्ट तरीके से उपयोग करना चाहिए।** उदाहरण के लिए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस (SMS) के माध्यम से AI संचालित शिक्षण उपकरण प्रदान करने चाहिए।
- **इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम अपनाने की जरूरत** है। यह एक कंप्यूटर-आधारित शिक्षण प्रणाली है, जो AI का उपयोग करके छात्रों की प्रगति का पता लगाएगी और उन्हें नए कौशल सीखने में मदद करेगी।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:**
  - AI प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूती प्रदान करेगी।
  - कंटेंट और वित्तीय संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी।
  - श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में सहायक होगी।
- **AI में प्रवेश करने से पहले डेटा की क्लीनिंग और एडिटिंग करके डेटा अनामिकता (anonymity) और एल्गोरिदम संबंधी निष्पक्षता को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।

भारत में शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AIED) और महिलाएं

- **अंकटाड के अनुसार, ऑटोमेशन की प्रगति से विकासशील देशों में वर्तमान में मौजूद सभी नौकरियों में 2/3 प्रतिशत तक की कमी** हो सकती है।
- इसलिए, **महिलाओं** को भविष्य की नौकरियों के अवसरों हेतु तैयार रहने के लिए **नए कौशल को प्राप्त करने की जरूरत है।**
- **वर्तमान स्थिति:**
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक 2022 में, भारत को **लैंगिक आधार पर सापेक्ष कौशल पैठ के मामले में** शीर्ष स्थान प्रदान किया गया था, **जिसमें महिलाओं ने देश में पुरुषों की तुलना में उच्च दर का प्रदर्शन किया था।**
  - **भारत के AI टैलेंट पूल का 22 प्रतिशत और AI से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशनों के 33 प्रतिशत का श्रेय महिलाओं को जाता है।**

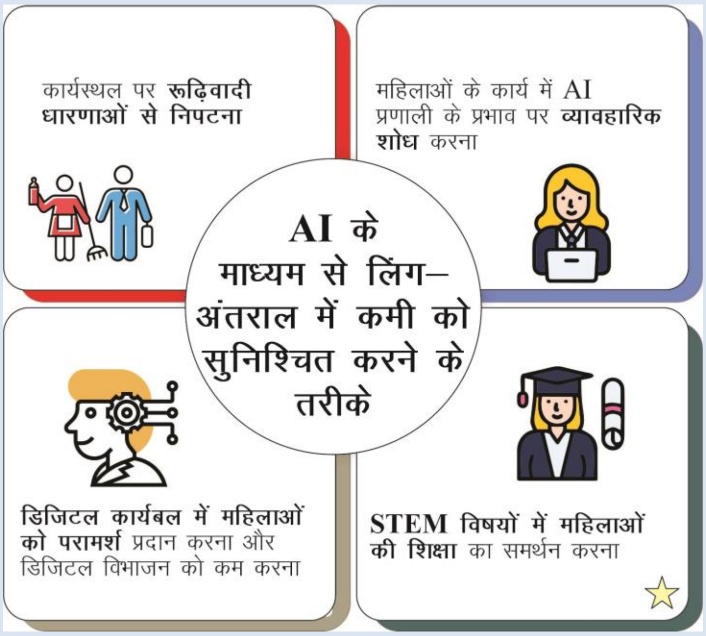

- **चुनौतियां:**
  - भारत में **AI आधारित शिक्षा** का लाभ उठाने हेतु महिलाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए **तैयार करने हेतु क्लास रूम में शिक्षा देने की आवश्यकता है।**
  - **85% किशोरियों के पास घर पर लैपटॉप नहीं** है और **83% किशोरियों को प्रति सप्ताह** अपने स्कूल की कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में **एक घंटे से भी कम का समय** मिलता है। इस कमी को दूर करने की जरूरत है।
  - **प्रारंभिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी तक पहुंच से वंचित रहने** के कारण महिलाएं भविष्य में अपनी **पूरी क्षमता का उपयोग नहीं** कर सकती हैं।

AI में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **युवाओं के लिए जिम्मेदार AI:** इसे **इंटेल इंडिया** और **शिक्षा मंत्रालय** की सहायता से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  - इसे पूरे भारत में कक्षा 8-12 में **पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के** लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में **AI-तकनीक की गहरी समझ विकसित करना** और युवाओं को मानव-केंद्रित डिजाइनर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- **यू.एस.ए.-इंडिया AI इनिशिएटिव:** इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग द्वारा AI नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके लिए-
    - विचारों एवं अनुभवों को साझा किया जाएगा,
    - अनुसंधान और विकास में नए अवसरों की पहचान की जाएगी।
- **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मिशन:** इसे प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया है।
    - इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मूल अनुसंधान क्षमता विकसित करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल होगा। इसके लिए यह अकादमिक एवं उद्योग जगत के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- **स्कूलों में AI:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के भाग के रूप में AI वर्तमान भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा।

निष्कर्ष

AI दोहरे उपयोग वाली एक तकनीक है। विभिन्न प्रकार के AI-संचालित शिक्षा-उपकरण, शिक्षा के कई क्षेत्रों में अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए- औपचारिक और अनौपचारिक लर्निंग, शिक्षण, मूल्यांकन आदि। हालांकि, इनमें AI के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां भी शामिल हैं, जिनसे सबसे पहले निपटना जरूरी है। इन चुनौतियों को वैश्विक और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर हल किए जाने की आवश्यकता है।

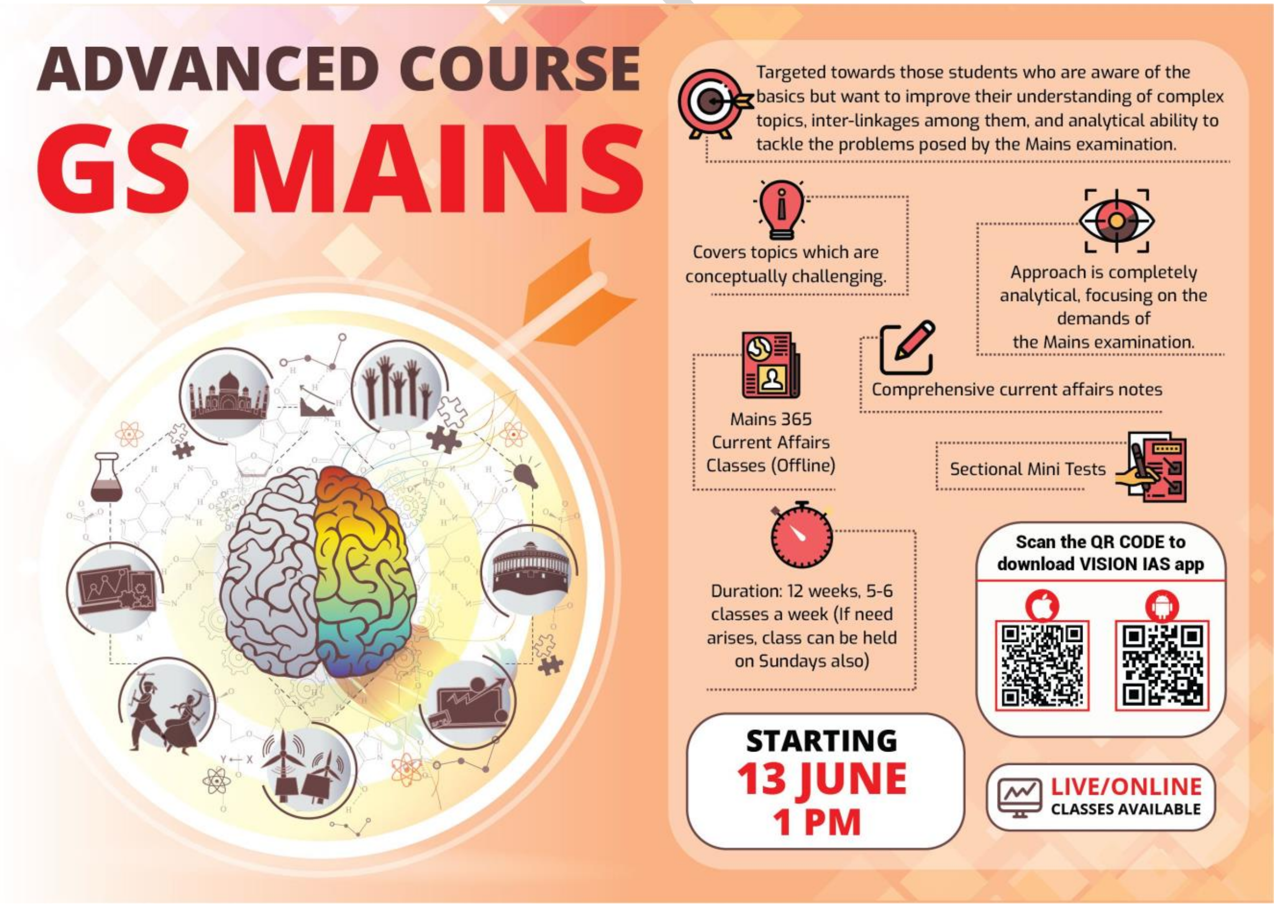

5. स्वास्थ्य (Health)

5.1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज {Universal Health Coverage (UHC)}

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC): एक नज़र में

- WHO के अनुसार, लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना तथा जब भी और जहां भी उन्हें आवश्यकता हो, वे सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराना **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** कहलाता है।
- इस प्रकार, **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकारों को सुनिश्चित करता है।

UHC के लाभ

- UHC प्रारंभिक निवेश से **कम-से-कम दस गुना अधिक आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता** है।
- संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशीलता और **रोगाणुरोधी प्रतिरोध को कम करके सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाने** में मदद करताहै।
- स्वास्थ्य पर क्षमता से अधिक खर्च को कम करके **गरीबी और असमानता में कमी लाने में सहायक** हो सकता है।
- गरीबों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए जीवन में अवसरों में सुधार करता है।
- स्वस्थ कार्यबल तैयार करके **जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान** करता है।

भारत में UHC हासिल करने के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में **UHC का प्रावधान** किया गया है। **इसमें 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्रक में सार्वजनिक वित्त-पोषण को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के** 2.5% करने का प्रावधान है।
- UHC के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 2018 में **आयुष्मान भारत योजना** शुरू की गई।
- **डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन** की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है क्योंकि 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में रहती है जहां स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- **बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य वाद** (1984) में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत RTH की व्याख्या की। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

UHC को लागू करने में चुनौतियां

- लंबे समय से स्वास्थ्य क्षेत्रक में अपर्याप्त वित्त-पोषण किया जा रहा है, जो भारत की GDP का लगभग 1.5% है।
- **कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** (PHC) **क्षेत्रक:** भारत में 60% PHC में केवल एक डॉक्टर है, जबकि लगभग 5% में एक भी डॉक्टर नहीं है।
- **पहुंच में क्षेत्रीय असमानता: लगभग** 80% डॉक्टर और 60% अस्पताल शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं, जहां देश की केवल एक-तिहाई आबादी रहती है।
- निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की ओर अधिक झुकाव है। यह भारत की लगभग 70% आबादी को सेवा प्रदान करती है।
- **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग** (NTDs): फार्मा उद्योग द्वारा NTDs पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **बीमा पॉलिसियों की कम पहुंच:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 80% से अधिक लोगों के पास बीमा कवरेज नहीं है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा यानी स्वास्थ्य कर्मियों, अस्पतालों, दवाओं की आपूर्ति, उपकरणों आदि की कमी है।
- स्वास्थ्य जागरूकता, जैसे- स्तनपान, स्वच्छता और साफ-सफाई के लाभ आदि के बारे में जानकारी की कमी है।

आगे की राह

- **वित्त-पोषण में वृद्धि:** स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय GDP का कम-से-कम 3% होना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद:** इस ममले राज्यों को अधिक शक्ति और धन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।
- **सभी नीतियों में "स्वास्थ्य" दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए- कुपोषण से बचने के लिए मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करना।
- पोषण अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहलों के माध्यम से कल्याण-आधारित व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- अन्य पहलें जैसे कि डिजिटल स्वास्थ्य की क्षमता का दोहन, निजी क्षेत्रक का प्रभावी विनियमन और सामुदायिक भागीदारी आदि जरूरी हैं।
- **RTH के लिए व्यापक कानून:** इसे RTH के मुख्य घटकों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे-
  - उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की **उपलब्धता।**
  - **सरल पहुँच,** जिसमें सामर्थ्य और गैर-भेदभाव शामिल है।
  - **गुणवत्तापूर्ण** स्वास्थ्य सेवाएँ जो **सुरक्षित,** प्रभावी, जन-केन्द्रित व सामयिक हों।
  - **स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का डिजिटलीकरण:** यह साक्ष्य आधारित योजना और बेहतर निर्णय लेना सुनिश्चित करेगा।

5.2. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 4 जनवरी 2023 तक **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना** (AB PM-JAY) योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है।

आयुष्मान भारत के संबंध में

- इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा के तहत वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- यह **स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति के क्षेत्रक तथा विकेंद्रित दृष्टिकोण से व्यापक आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का एक प्रयास है।**
- इसमें **दो अंतर-संबंधी घटकों को शामिल किया गया है, जो हैं-**
    - **स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और**
    - **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।**
- **उपलब्धियां:**
    - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) व प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (PHCs) को अपग्रेड करके देश भर में **1,54,070 AB-HWCs का संचालन** किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- **विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना:** इसका उद्देश्य 10.74 करोड़ से अधिक निर्धन तथा सुभेद्य परिवारों (करीब 50 करोड़ लाभार्थियों) **को प्रति वर्ष प्रति परिवार द्वितीयक तथा तृतीयक चिकित्सालयी देखभाल के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराना है।** ज्ञातव्य है कि ये परिवार भारत की कुल आबादी का लगभग 40% भाग हैं।
- **लाभार्थी परिवारों की पहचान:** इसमें परिवारों को **सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC 2011) के तहत वंचन एवं व्यावसायिक मानक के आधार पर** सम्मिलित किया गया है।
- **सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच: यह योजना** देश भर में सूचीबद्ध किसी भी (सरकारी तथा निजी दोनों) चिकित्सालय में **सेवा सुविधा केंद्र पर लाभार्थी को सेवाओं की प्राप्ति हेतु कैशलेस और पेपरलेस पहुंच प्रदान करती है।**

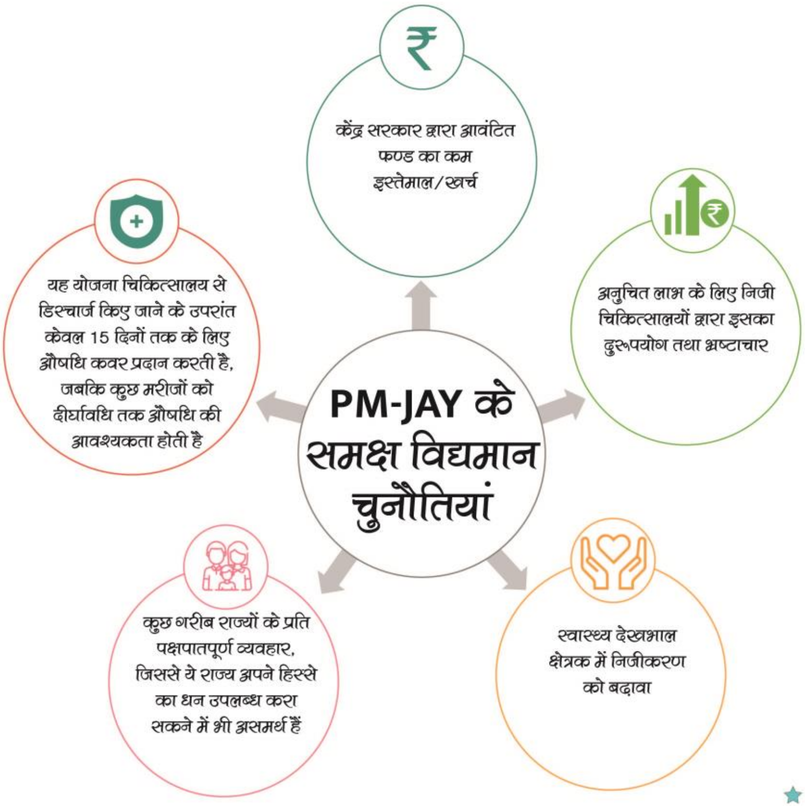

PMJ-AY का महत्त्व

- उल्लेखनीय रूप से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** तथा SDGs की प्राप्ति की दिशा में भारत की सहायता करना।
- स्वास्थ्य सेवा के अभाव वाले क्षेत्रों में **गुणवत्तापूर्ण द्वितीयक तथा तृतीयक सेवा की बेहतर तथा वहनीय पहुंच सुनिश्चित करना।**
- चिकित्सालयों में भर्ती होने पर **उपचार व्यय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।**
- बीमा राजस्व के उपयोग द्वारा **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करना।**
- ग्रामीण, सुदूरवर्ती तथा अल्प सेवित क्षेत्रों में **नई स्वास्थ्य अवसंरचना के सृजन** को सक्षम बनाना।
- **जनसंख्या के स्तर पर उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार करना,** जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

आगे की राह

- सरकार को **PMJAY की श्रेणी से सरकारी अस्पतालों को हटा देना चाहिए**, क्योंकि वहां सेवाएं पहले से ही नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- **अनैतिक कार्यों में लिप्त अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।**
- PM-JAY नेटवर्क अस्पतालों में लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, **ताकि लाभार्थियों हेतु उचित तथा सतत गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।**
- **वास्तविक समय आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए** ताकि अनुसंधानकर्ता विश्लेषण कर सकें और योजनाओं के मध्य अंतराल को समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर सकें।

संबंधित सुर्ख़ियां

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- हाल ही में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 'भारत में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (UHI) के संचालन' से संबंधित परामर्श-पत्र पर सुझाव आमंत्रित किए हैं
- UHI की कल्पना **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के आधारभूत चरण** के रूप में की गई है।
- वर्तमान में, **भारत में डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र अत्यधिक बिखरा** हुआ है। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए **सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न हो** रही है।
  - एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (UHI) एक **ओपन इंटर-ऑपरेबल नेटवर्क** के उपयोग से इस बिखरे हुए तंत्र को एकीकृत करेगा। यह नेटवर्क अलग-अलग **एंड-यूजर एप्लीकेशंस (EUAs) और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एप्लीकेशंस** (HSPAs) को जोड़ेगा।
- यह तलाश व खोज का कार्य, भुगतान व निपटारे की प्रक्रिया, रद्द करने व समय को फिर से तय करने का काम तथा शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करेगा।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में**
  - ABDM को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश की **एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास** करना है।
  - यह डिजिटल हाइवेज/घटकों के माध्यम से **हेल्थकेयर इकोसिस्टम** (इन्फोग्राफिक देखें) **के अलग-अलग हितधारकों के बीच मौजूद अंतर को कम** करता है। डिजिटल हाइवेज/घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
    - **ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) संख्या,**
    - **हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR),**
    - **हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR), तथा**
    - **आभा मोबाइल ऐप (PHR)।**

प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)

- **विश्व बैंक** एक बिलियन डॉलर के संयुक्त वित्त-पोषण के माध्यम से **प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) का समर्थन** करेगा।
- PM-ABHIM एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। यह वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है। इसके कुछ घटकों का **केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वयन** किया जा रहा है। यह योजना **स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज** का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में **स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में मौजूद व्यापक अंतराल को समाप्त** करना है।
- विश्व बैंक का यह समर्थन **सात राज्यों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता** देने के लिए भी उपलब्ध होगा। ये राज्य हैं- **आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।**

5.3. डिजिटल हेल्थकेयर (Digital Healthcare)

डिजिटल हेल्थकेयरः एक नज़र में

- डिजिटल हेल्थकेयर का आशय **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के इस्तेमाल या सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चिकित्सा के एकीकरण** से है। इसका उद्देश्य रोगियों की चिकित्सा देखभाल और पर्यवेक्षण में सुधार करना है।
- डिजिटल हेल्थकेयर में **टेलीमेडिसिन, रोबोट–असिस्टेड सर्जरी, सेल्फ–मॉनिटरिंग हेल्थकेयर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ई–फार्मेसी, ई–इंश्योरेंस** आदि शामिल हैं।

डिजिटल हेल्थकेयर के लाभ

- **मानव संसाधन की कमी** को दूर करता है।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक **पहुंच में सुधार करता है।**
- इसने महामारी के दौरान भी लोगों की **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच** को बनाए रखा।
- परिवहन पर **लागत में कमी** करता है।
- समय के **कुशल उपयोग के साथ–साथ निदान में सुधार करता है।**
- रोगियों के लिए **दवा को अधिक व्यक्तिगत बनाता है।**
- स्वास्थ्य सेवाओं की **पोर्टेबिलिटी** प्रदान करता है।
- वास्तविक समय में व **उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लेना संभव करता है।**

स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण में चुनौतियां

- **संघीय मुद्देः** स्वास्थ्य राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए सुधार हेतु सभी राज्यों को एक साथ लाना मुश्किल होगा।
- **अविकसित बुनियादी ढाँचाः** कुछ अपवादों को छोड़कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में बहुत कम कम्प्यूटरीकरण हुआ है।
- **असमान्य स्वास्थ्य सेवा वितरणः** लघु स्वास्थ्य केंद्र बहुत अधिक हैं, जहां तकनीकी क्षमता व आवश्यक सुविधाओं का अभाव है।
- **अग्रणी HIT (अर्थात् हेल्थ IT उद्यमियों) का अभावः स्वास्थ्य क्षेत्रक में अग्रणी उद्यमियों की कमी है,** जबकि इनके होने से इस क्षेत्रक में पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता रहती है और वे नवाचार को लगातार वित्त–पोषित करने में सक्षम होते हैं।
- **अन्य चुनौतियाँः** इंटरनेट तक पहुंच, डेटा सुरक्षा, सूचना मानक, आदि।

डिजिटल हेल्थकेयर को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए **आयुष्मान भारत योजना (ABY)।**
- एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का आधार विकसित करने के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)।**
- व्यापक और समग्र तरीके से एकीकृत डिजिटल सेवाओं में परिवर्तन के लिए **नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (NDHM)।**
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत** टेलीमेडिसिन, टेली–रेडियोलॉजी, टेली–ऑन्कोलॉजी, टेली–ओथाल्मोलॉजी और अस्पताल सूचना प्रणाली (HIS) जैसी सेवाओं के लिए **राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है।**
- देश भर में टेली परामर्श सेवाओं के नियमितीकरण और विविधीकरण के लिए **टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशा–निर्देश, 2020**
- **ई–रक्तकोष, ई–संजीवनी, कोविन** जैसे डिजिटल एप्लिकेशन्स।

आगे की राह

- **वर्तमान समय में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान की जानी चाहिए,** जिन्हें बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **संभावित वित्त–पोषण तंत्र को परिभाषित करना चाहिए।** साथ ही, वैश्विक संस्थागत ढांचे की भूमिका और डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सीमा–पार सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित की जानी चाहिए।
- **स्वास्थ्य डेटा के लिए एक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए** और साइबर खतरों से रोगी के डेटा की रक्षा करनी चाहिए।
- समय पर रोकथाम, निदान और इलाज हेतु उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए **बिग डेट एनालिटिक्स** का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **इंटरफ़ेस को सरल और उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाया जाना चाहिए।**

5.4. ड्राफ्ट राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 {Draft National Medical Commission (Amendment) Bill-2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने मौजूदा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में संशोधन का एक मसौदा प्रस्तावित किया है।

मसौदा विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के तहत पांचवें स्वायत्त निकाय के रूप में चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (BEMS) का गठन किया जाएगा।
- यह मसौदा प्रस्तावित BEMS के तहत डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट फेलोशिप तथा सुपर स्पेशियलिटी फेलोशिप संस्थानों को मान्यता देने का प्रस्ताव करता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित मामलों में मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा दायर अदालती मामलों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन के बाद सभी मामले केवल दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होंगे।
- चिकित्सा लापरवाही के मामलों में रोगियों और उनके रिश्तेदारों के लिए एक नया प्रावधान प्रदान किया गया है। इसके तहत एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड या NMC को राज्य चिकित्सा परिषद के फैसलों के खिलाफ अपीलीय निकाय बनाया है।

संशोधन पेश करने के कारण

- **प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए:** प्रस्तावित बोर्ड चिकित्सा विज्ञान में मौजूदा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को प्रतिस्थापित करेगा, जो वर्तमान में NEET-PG और Exit टेस्ट आयोजित करता है।
- **देरी कम करने के लिए:** पिछले PG एडमिशन प्रक्रियाओं में देरी का हवाला देते हुए, अलग-अलग रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देरी को कम करने के लिए एक अलग निकाय स्थापित करने का अनुरोध किया है।
- **NeXT की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए:** प्रस्तावित बोर्ड कॉमन Exit टेस्ट की सुविधा प्रदान करेगा। यह टेस्ट अंतिम वर्ष के सभी छात्रों और विदेशी छात्रों के लिए होगा, ताकि उन्हें लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत किया जा सके।
- **मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने के लिए:** इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार की सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश के विभिन्न भागों में मुकदमों से घिरा हुआ है। ऐसे में यह परिवर्तन आयोग के संचालन को बेहतर करेगा।
- **राज्य परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के लिए:** यह अधिनियम चिकित्सा लापरवाही के मामलों में अपीलीय निकाय बनाकर एक अपील तंत्र प्रदान करता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के बारे में

- इसका गठन **NMC अधिनियम, 2019 के** तहत किया गया है।
- यह **भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)** का स्थान लेगा। MCI का गठन भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था।
- **NMC के कार्य:**
    - चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों को **विनियमित करने के लिए नीतियां तैयार** करना।
    - स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित **मानव संसाधन और अवसंरचना की आवश्यकताओं का आकलन** करना।
    - **स्वायत्त शासी बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग** करना।
    - **राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन** सुनिश्चित करना।
    - **निजी चिकित्सा संस्थानों और अधिनियम के तहत विनियमित डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत तक सीटों हेतु शुल्क के निर्धारण** के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।

NMC और इसके कार्यों से संबंधित मुद्दे

- **राज्यों की सीमित भूमिका:** NMC के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के चयन का अधिकार विशेष रूप से केंद्र के पास है। इससे आयोग में राज्यों की भूमिका कम हो जाती है।
- **स्वायत्तता का अभाव:** यह तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय NMC के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है।

- **प्रत्यायन (Accreditation) के मानक:** प्रत्यायन प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा और परिणामों की गुणवत्ता को मापने की बजाय बुनियादी ढांचे व मानव संसाधन (कार्यरत लोगों की कुल संख्या) के दस्तावेजों पर जोर देती है।
- **अलग-अलग संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव:** वर्तमान में परीक्षा एक बहु-प्रधान प्रक्रिया (Multi-Headed Process) है, जो उन छात्रों के लिए बोझिल हो जाती है, जो प्रवेश परीक्षा को पास करने का पुनः प्रयास करते हैं।
    - गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NEET-UG आयोजित करती है, **नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NEET-PG और स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करता है।** वहीं दूसरी ओर **एडमिशन काउंसलिंग का कार्य मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा किया जाता है** ,जो NMC से स्वतंत्र है।

आगे की राह

- **मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए एक अलग स्वायत्त निकाय का निर्माण करना:** मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया के लिए NMC के तहत एक अलग **'बोर्ड ऑफ काउंसलर या काउंसलिंग'** का गठन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हालिया भ्रामक स्थिति के कारण मेडिकल सीटों की बर्बादी देखी गई है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है।
- **स्वैच्छिक और ग्रेड आधारित NeXT परीक्षा:** यदि कोई MBBS प्रैक्टिशनर ग्रेड-मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसमें भाग ले सकता है। जैसा कि कुछ देशों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
- **विदेशों में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों के लिए आसान बनाना:** सरकार को विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रावधान को आसान बनाना चाहिए, ताकि वे वापस लौट कर देश की सेवा कर सकें। साथ ही, यदि ये छात्र विदेश में किसी कारणवश पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसा कि यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हुआ है, तो उनके लिए एक बैकअप योजना भी प्रदान करनी चाहिए।
- **समय पर ऑडिट:** इसे भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए संस्थानों और पेशेवरों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- **सहभागी निर्णय लेना:** निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
    - **अन्य सुधार:** कुशल प्रत्यायन प्रणाली का निर्माण करना; संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना, बेहतर मूल्यांकन पद्धतियों के साथ पाठ्यचर्या को नया स्वरूप देना आदि।

5.5. सार्वभौमिक टीकाकरण (Universal Immunisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनिसेफ द्वारा **'स्टेट ऑफ़ द वर्ल्डस चिल्ड्रन (SOWC) 2023: फॉर एव्री चाइल्ड वैक्सीनेशन'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के बारे में

- इसमें समानता को बढ़ावा देने और टीकाकरण कवरेज को संधारणीय रूप से आगे बढ़ाने के लिए **टीकाकरण एजेंडा 2030 तथा गावी (Gavi) रणनीति 5.0 में** शामिल **वैश्विक रणनीतियों का आधार के रूप में उपयोग** किया गया है।
- **इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान की गई है:**
    - **हर जगह, हर बच्चे का टीकाकरण करना**
        - महामारी के दौरान **टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों का टीकाकरण** करना।
            - ✓ वर्तमान में **भारत की 98 प्रतिशत आबादी** टीकों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मानती है।

इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 (IA 2030): ए ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू लीव नो वन बिहाइंड-

- WHO और UNICEF IA 2030 के वितरण हेतु Gavi, **वैक्सीन अलायंस और अन्य भागीदारों** के साथ संयुक्त रूप से प्रयासरत हैं।
- IA 2030 एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है, **जहां हर कोई, हर जगह व हर आयु में टीकाकरण का पूर्णतः लाभ ले सकेगा तथा उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।**
- इसका उद्देश्य कड़ी मेहनत से टीकाकरण द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखना है। साथ ही. **कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं से निपटने में मदद करना है। इसके अतिरिक्त, किसी भी स्थिति या जीवन के किसी भी चरण** में कोई वंचित न रह जाए इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक सफलता हासिल करने हेतु प्रयास करना है।

- **जीरो डोज (अनुपलब्ध या छूटे हुए) और अधूरे टीकाकरण** वाले बच्चों की पहचान करना।
    - ✓ **भारत, जीरो डोज़ वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 20 देशों में** शामिल था।
    - टीकाकरण की **मांग को मजबूत करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करके टीकाकरण और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना, डेटा संग्रह में सुधार करके लचीली प्रणालियों** का निर्माण करना आदि।
    - भारत में, **डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म TeCHO+** (प्रौद्योगिकी सक्षम सामुदायिक स्वास्थ्य संचालन) और **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) ने डेटा दर्ज** करने की क्षमता को बढ़ाकर टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया है।

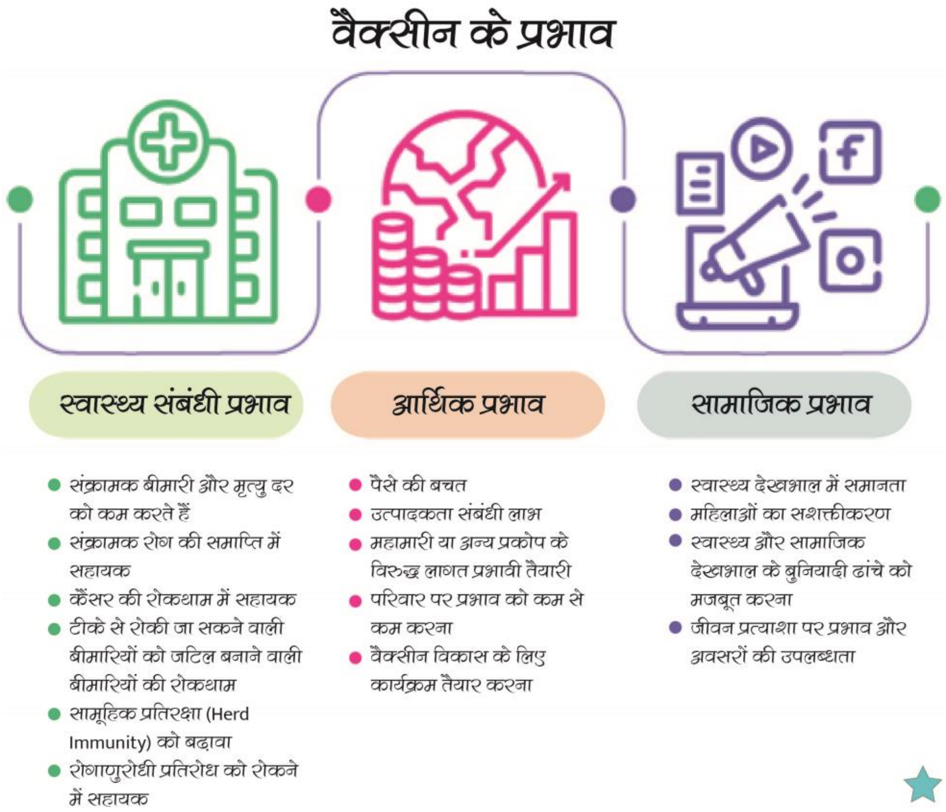

आगे की राह

- वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए **सरकार, निजी क्षेत्रक और WHO, यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच प्रभावी** साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- भय के निवारण और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करके **टीके से संबंधित संशय को दूर करने के लिए जागरूकता** कार्यक्रम चलाने चाहिए।
- प्रवासी श्रमिकों जैसे कमजोर वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- समुचित गुणवत्ता वाले टीकों की पर्याप्त और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए **राजनीतिक प्रतिबद्धता** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **कार्यक्रम के प्रदर्शन, निगरानी और गुणवत्ता में सुधार और डेटा तक पहुंच** बढ़ाने के लिए नवाचार में तेजी लाई जानी चाहिए।

5.6. लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health: SRH)

लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य (SRH): एक नज़र में

SRH को **स्वस्थ शरीर, स्वायत्तता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यक्ति के अधिकार** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इससे वह व्यक्ति विशेष रूप से महिला स्वतंत्र रूप से यह निर्णय ले सकती है कि वह किसके साथ लैंगिक संबंध बनाए और यौन संचारित संक्रमण (STIs) या अनचाही गर्भावस्था से कैसे बचा जाए। इसमें बच्चे के जन्म के समय और दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल संबंधी निर्णय लेना भी शामिल है। ये मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और निर्विवाद हैं।

SRH का महत्त्व

- SRH संबंधी शिक्षा उन्हें उनकी लैंगिकता, यौनेच्छा और लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्ति के बारे में **महत्वपूर्ण जानकारी** देती है।
- SRH तक पहुंच से **बाल विवाह और किशोर आयु में गर्भधारण जैसे मामलों** में कमी आ सकती है। इससे HIV, AIDS जैसे यौन संचारित संक्रमणों के प्रसार को रोका जा सकता है।
- **अपने शरीर और प्रजनन कार्यों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने** का अधिकार समानता, गोपनीयता एवं शारीरिक मर्यादा के महिलाओं के मूल अधिकारों के केंद्र में है।
- **यह लैंगिक समानता, महिलाओं का कल्याण, मातृ स्वास्थ्य में सुधार** जैसे SDGs के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।
- **SRH सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।**

SRH में सुधार के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021 ने **गर्भावस्था को समाप्त करने की अधिकतम समय सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है, जो पहले 20 सप्ताह थी।**
- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगाता है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014: यह कार्यक्रम SRH से संबंधित ज्ञान, विचारधारा और व्यवहार में सुधार करने पर** केंद्रित है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** इसके तहत गर्भवती महिलाओं (दूसरी और तीसरी तिमाही में) को निश्चित दिन सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की जाती है।
- **मिशन परिवार विकास:** इसे सात उच्च फोकस वाले राज्यों (जिनकी कुल प्रजनन दर 3 या उससे अधिक हो) के 146 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में गर्भनिरोधकों तक पहुँच को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य **TFR को 2.1 तक लाना है।**

लोगों द्वारा सामना की जाने वाली SRH से जुड़ी चुनौतियां

- परिवार नियोजन और गर्भपात के लिए सांस्कृतिक मानदंड तथा वैचारिक विरोध सहित अन्य कारक, अक्सर SRH सेवाओं तक पहुंच को बाधित करते हैं।
- **वित्त-पोषण की कमी:** विशेष रूप से **सुरक्षित गर्भपात और परिवार नियोजन जैसे क्षेत्रकों में जनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई वर्षों से आवश्यकता से कम वित्त-पोषण** प्रदान किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5** इंगित करता है कि 15-19 आयु वर्ग की 18 प्रतिशत लड़कियों की पारिवारिक गर्भनिरोधक संबंधी आवश्यकता पूरी ही नहीं हुई थी।
- घर या स्कूल में सहज माहौल की अनुपस्थिति, **सुरक्षित लैंगिक और प्रजनन प्रथाओं से जुड़ी जानकारी के प्रसार को सीमित करती है।**
- **लिंग आधारित हिंसा** लोक स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है और यह SRH परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है।

SRH के लिए वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें

- **नैरोबी शिखर सम्मेलन, 2019:** इसे **ICPD+25** के नाम से भी जाना जाता है। भारत, नैरोबी सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य 'प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर UHC में लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को एकीकृत करना, समानतापूर्ण पहुंच प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार करना और जवाबदेही को बढ़ाना' है।
- **मानव प्रजनन कार्यक्रम (HRP):**यह परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक, मातृत्व व प्रसवकालीन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपात, लैंगिक स्वास्थ्य एवं कल्याण, किशोरों के लैंगिक और जनन स्वास्थ्य आदि पर केंद्रित है।
- **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995:** इसके अनुसार **महिलाओं के मानवाधिकारों में SRH सहित उनकी लैंगिकता से संबंधित मामलों पर उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और जिम्मेदारीपूर्वक नियंत्रण करने का उनका अधिकार भी शामिल है,** जो बल-प्रयोग, भेदभाव तथा हिंसा से मुक्त है।

SRH में सुधार के लिए किए जा सकने वाले उपाय

- **जनन स्वास्थ्य में मासिक धर्म स्वास्थ्य और साफ-सफाई को शामिल करके** स्कूलों और स्थानीय समुदायों में मासिक धर्म के बारे में बातचीत शुरू की जा सकती है।
- **बजटीय आवंटन और वित्तीय कार्यनीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है।** इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सेवा वितरण की लागत-प्रभावशीलता की दिशा में एक सक्षमकारी परिवेश को तैयार करने में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक स्तर पर महिलाओं के SRHR से जुड़े सहायक कानूनों, नीतियों एवं संस्थागत प्रथाओं को बढ़ावा देने** की आवश्यकता है।
- भौतिक और तकनीकी अवसंरचना के माध्यम से ऑनलाइन हस्तक्षेप के जरिए गर्भ निरोधकों, STIs परीक्षण आदि तक पहुंच में सुधार लाया जा सकता है।
- एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए **HIV और एड्स तथा SRH हेतु सेवाओं का प्रभावी एकीकरण किया जाना चाहिए।**

5.7. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (Mental Healthcare)

मानसिक स्वास्थ्य देखभालः एक नज़र में

- **मानसिक स्वास्थ्य** खुशहाली की एक अवस्था है। इस अवस्था में एक व्यक्ति को **अपनी क्षमताओं का पूरा एहसास** होता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना करता है, उत्पादक ढंग से काम करता है और अपने **समुदाय में योगदान करने में सक्षम** होता है।
- मानसिक बीमारी को मानसिक स्वास्थ्य विकार भी कहा जाता है। यह **अवसाद, चिंता विकार, सिज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर और व्यसनी (नशे की लत) व्यवहार जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला** को संदर्भित करता है।

भारत में मानसिक बीमारी की वर्तमान स्थिति

- 7 में से 1 व्यक्ति **मानसिक बीमारी से पीड़ित** है।
- 80% से अधिक **व्यक्तियों के पास इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं** है।
- 2019 में भारत में इस विकार से पीड़ित **1.30 लाख व्यक्तियों ने आत्महत्या की थी।**
- **भारतीय कंपनियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वहन योग्य लागत 14** बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है।

मानसिक बीमारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन आदि के लिए **किरण हेल्पलाइन** की शुरुआत की गई है।
- **टेली मानस** द्वारा पूरे देश में चौबीसों घंटे **मुफ्त टेली–मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं** प्रदान की जा रही हैं।
- **मनोदर्पण** द्वारा छात्रों को उनके **मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता** प्रदान की जा रही है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और **आत्महत्या की रोकथाम के लिए 'REDS' पथ** की शुरुआत।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017**: इसके जरिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक से नाबालिगों के इलाज पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोगियों को एकांत में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसका उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड और 6 महीने की कारावास का प्रावधान है।

मानसिक बीमारी से निपटने में चुनौतियां

- **रोगियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां**: सामाजिक कलंक, उपचार की उच्च लागत और लंबी अवधि।
- **अपर्याप्त डॉक्टर**: प्रति एक लाख आबादी पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता**: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त संसाधन।
- **पुनर्वास के मुद्दे**: समुदाय–आधारित पुनर्वास सुविधाओं का अपर्याप्त होना।
- **निधियों का कम उपयोग**: जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) के तहत 2015 से 2020 तक आवंटित धनराशि का 40% से भी कम उपयोग किया गया।
  - केरल **10% DMHP वाला एकमात्र राज्य** है।

आगे की राह

- गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार करने के लिए **सावधानीपूर्वक मैपिंग और अनुसंधान करना**, जो समस्या के आकार को समझने के लिए आवश्यक है।
- सामाजिक कलंक का मुकाबला करने और मानसिक बीमारी की समझ बढ़ाने के लिए **जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित करना।
- **बजट आवंटन और वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।**
- बीमा पॉलिसियों में **अंडरराइटिंग मानदंडों को विनियमित करके वहनीयता, परामर्श–सत्र की लागत आदि को विनियमित करना।**
- मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण संबंधी सरकारी विभागों के बीच **बेहतर अंतर–क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना।**
- **देखभाल संबंधी दृष्टिकोण को संस्थान से समुदाय में स्थानांतरित करना।**

5.7.1. छात्र आत्महत्या (Students Suicide)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018 से लेकर अब तक देश भर के अलग-अलग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में **33 छात्रों ने आत्महत्या** की है।

छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने में चुनौतियां

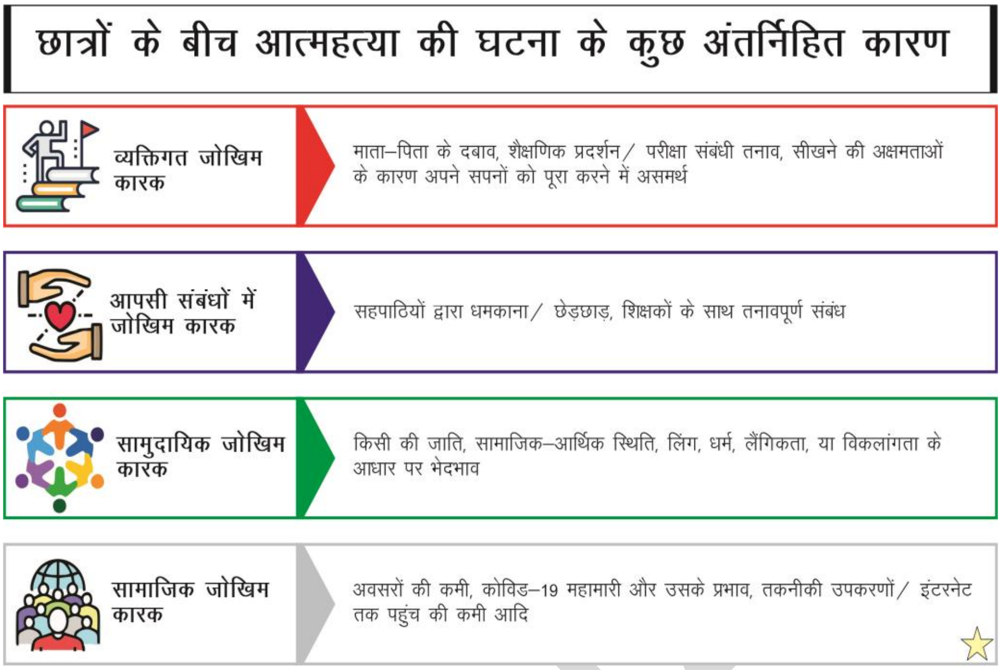

- **मामलों की कम रिपोर्टिंग:** डराने-धमकाने, भेदभाव करने आदि की शिकायतें कई बार दर्ज ही नहीं की जाती हैं, जिसके कारण कथित पीड़ित को चुपचाप सब सहना पड़ता है।
- **तथ्यों को दबाना:** जब शैक्षणिक संस्थानों के भीतर आत्महत्या को प्रेरित करने वाले कारकों को प्रकाश में लाया जाता है, तो यह मामला बहुत ही संवेदनशील बन जाता है तथा इस कारण तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जाता है।
- **किशोरावस्था चरण:** किशोरावस्था को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अंतर्वैयक्तिक बदलाव का चरण कहा गया है। इसके कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किशोरों का मार्गदर्शन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में छात्र स्वयं को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
- **जीवन के नए तरीके के साथ समायोजन:** प्रमुख संस्थानों में शैक्षणिक दबाव के अलावा, छात्रों को अन्य कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर से दूर रहना, सांस्कृतिक दुविधा, खाने-पीने की आदतों में बदलाव और इम्पोस्टर सिंड्रोम (किसी की क्षमता पर संदेह करना) आदि।
- **समाधान के लिए 'वन-साइज़-फिट्स-आल' दृष्टिकोण:** फिजियोथेरेपी में सामान्यतया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक संदर्भों की अनदेखी की जाती है। यह उपेक्षा आत्महत्या के प्रत्येक मामले में जटिलता को जोड़ती है।
  - इस प्रकार, फिजियोथेरेपी और आत्महत्या को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर की निवारक भूमिका कम हो जाती है।

आगे की राह

- **माता-पिता की भागीदारी:** संस्थानों को छात्रों की परफॉर्मेंस प्रोफाइल को उनके माता-पिता के साथ साझा करना चाहिए। **'इससे उन्हें अपनी संतान से लगाई गई उम्मीदों की वास्तविकता का पता चलेगा तथा दोनों के मध्य संचार में सुधार** भी होगा।
- **प्रारंभिक पहचान और सतर्क सहपाठी:** सहपाठी और विंग में साथ में रहने वाले मित्र व्यवहार में आए बदलावों की पहचान कर सकते हैं। इन बदलावों में कक्षा में नहीं आना, भोजन नहीं करना, अन्य साथियों से बातचीत में कमी आदि शामिल हैं।
- **उपचारात्मक शिक्षण और सुखद निकास:** धीमी गति से सिखाने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में शैक्षणिक भार को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी अन्य संस्थान में लेटरल ट्रांसफर के साथ एक सुखद निकास की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
- **तृतीय-पक्ष शिकायत निवारण:** छात्र और संस्थानों के अलावा एक तृतीय-पक्ष भी होना चाहिए। यह पक्ष छात्र व संबंधित संस्थान के अधिकारियों/फैकल्टी के साथ वार्ता करेगा तथा सहानुभूति एवं करुणा के साथ छात्रों के मुद्दों को संभालेगा।
- **कल्याण और जीवन कौशल को बढ़ावा देना:** परामर्शदाताओं व मनोचिकित्सकों के माध्यम से छात्रों का मानसिक कल्याण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, छात्रों को अपने जीवन को सुखमय बनाने और अलगाव से बचने हेतु सामाजिक बनने तथा सामुदायिक सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **समुदाय-आधारित दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए- **गुजरात में आत्महत्या रोकथाम और कार्यान्वयन अनुसंधान पहल (स्पिरिट/ SPIRIT)** चलाई जा रही है। यह 14-16 वर्ष की आयु के छात्रों के बीच एक स्कूल-आधारित आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम है।

5.8. दुर्लभ रोग (Rare Diseases)

दुर्लभ रोग: एक नजर में

दुर्लभ रोगों को **'ऑरफन डिजीज'** भी कहा जाता है और उनके इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को 'ऑरफन ड्रग्स' कहा जाता है।

80% दुर्लभ रोग आनुवंशिक होते हैं और **लगभग 1.4 नवजात बच्चे इनमें से किसी एक रोग से प्रभावित** होते हैं। **शिशुओं में होने वाले सभी कैंसर दुर्लभ रोग हैं।**

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में दुर्लभ रोग

- **दुर्लभ रोग की मानक परिभाषा का अभाव:** अलग-अलग परिभाषाओं और शब्दावलियों के उपयोग से भ्रम तथा विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे उपचार तक पहुंच तथा अनुसंधान और विकास में उलझाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **महामारी विज्ञान के आंकड़ों की कमी:** महामारी विज्ञान के आंकड़ों की कमी के कारण दुर्लभ बीमारियों के बोझ और उनकी एक परिभाषा तैयार करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **नीति निर्माण में कमी:** ऐसे हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित करके बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- **अनुसंधान और विकास में चुनौतियां:** दुर्लभ रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बहुत कम होने के कारण इन पर शोध करना मुश्किल होता है। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त नैदानिक अनुभव नहीं होता है।
- **उपचार की अनुपलब्धता:** 5% से भी कम दुर्लभ रोगों के लिए ही उपचार उपलब्ध हैं।
- **अन्य मुद्दे:** निदान में देरी, उपचार की अत्यधिक लागत, जागरूकता की कमी, आदि।

भारत में दुर्लभ रोगों के लिए शुरू की गई पहलें

- व्यक्तिगत उपयोग के लिए लोगों द्वारा आयातित दुर्लभ रोग संबंधी **सभी खाद्य पदार्थों और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है।**
- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD), 2021** के तहत छह और दुर्लभ बीमारियों को विकारों के विभिन्न समूहों में शामिल किया गया है।
- **फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI):** इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादन के लिए चुने गए विनिर्माता वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- ICMR ने एक **राष्ट्रीय रजिस्ट्री** की शुरुआत की है जिसमें दुर्लभ रोगों और अन्य वंशानुगत विकारों के लिए महामारी संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।
- **दुर्लभ रोगों के रोगियों हेतु क्राउडफंडिंग** तथा स्वैच्छिक दान के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है।

आगे की राह

- **दुर्लभ बीमारियों को परिभाषित करना: मानक परिभाषा** अनुसंधान, स्थानीय दवा विकास गतिविधियों और दुर्लभ रोग से ग्रस्त लोगों के लिए दीर्घकालिक योजना में मदद करेगी।
- **उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना:** दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र रोगियों तथा परिवारों हेतु विशेष देखभाल, अनुसंधान और सहायता प्रदान कर सकते हैं।
  - अब तक केवल 11 उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की गई है।
- **निदान में सुधार:** नवजात स्क्रीनिंग, अनुवांशिक परीक्षण और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बढ़ती जागरूकता जैसे उपाय निदान दरों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
- **कर लाभ:** कर लाभ के लिए क्राउडफंडिंग राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत छूट दी जानी चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग:** नीतियों के जरिए वैज्ञानिक नवाचार और उन्नत नैदानिक अनुसंधान में तेजी लानी चाहिए। साथ ही, रोगियों, डॉक्टरों तथा देखभाल करने वालों और दवा उद्योग जैसे प्रमुख हितधारकों को एक-दूसरे के साथ आसानी से बातचीत करने में सक्षम बनाना चाहिए।

5.9. अंग प्रत्यारोपण संबंधी नए दिशा-निर्देश (New Organ Transplantation Guidelines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण संबंधी दिशा-निर्देशों में कई संशोधन** किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण प्रणाली में सुधार करना है।

नए दिशा-निर्देश:

- अंगदान के लिए राज्य में पंजीकरण हेतु अधिवास संबंधी पिछली अनिवार्यता को हटा दिया गया है।
- नए दिशा-निर्देश के अनुसार **65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी मृतक दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण** करा सकते हैं।
- अंग प्रत्यारोपण के लिए **किसी भी मरीज से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं** लिया जाएगा।
- ये दिशा-निर्देश उस पृष्ठभूमि में जारी किए गए हैं, जब MoH&FW **अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्र-एक नीति पर कार्य** कर रहा है।

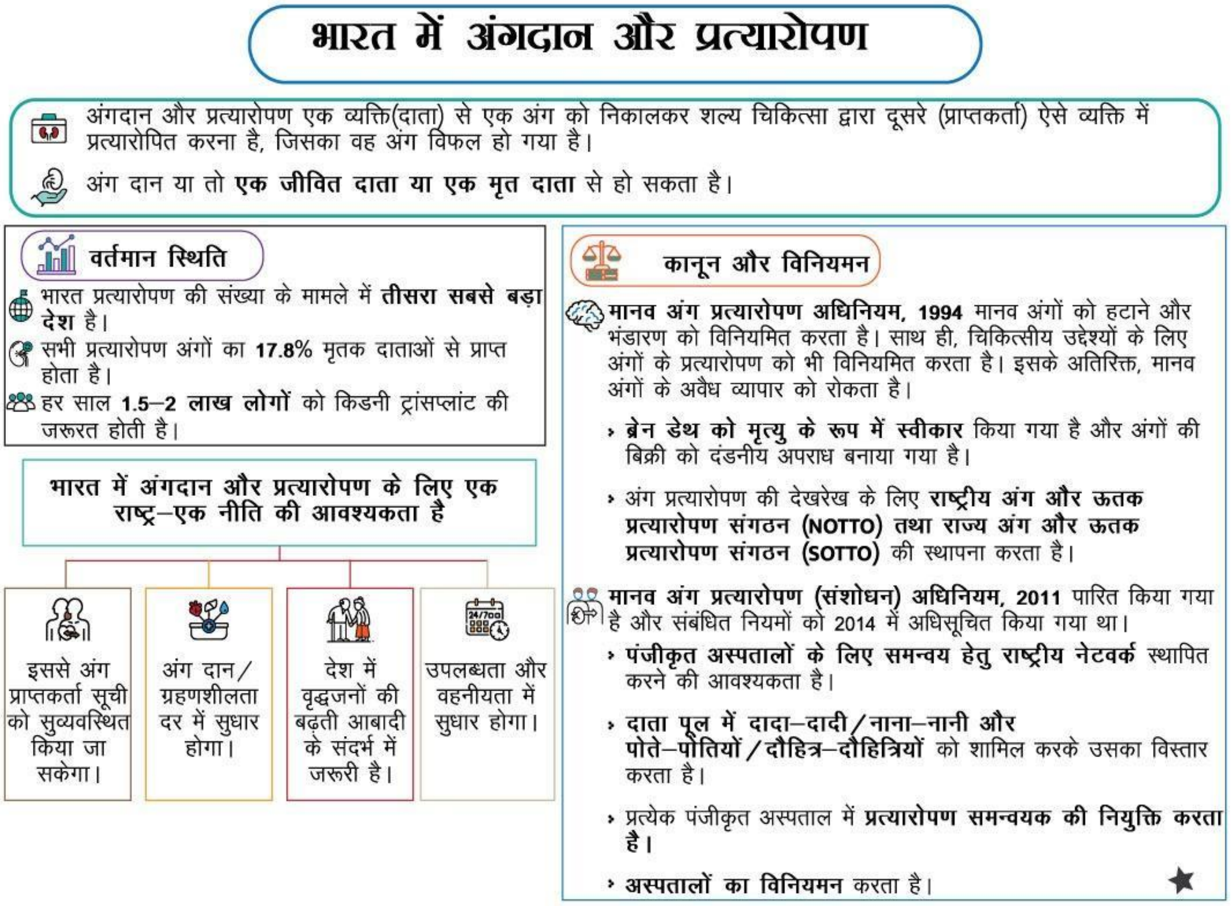

अंग प्रत्यारोपण में शामिल नैतिक मुद्दे

- **न्याय बनाम आवंटन में लाभ:** दाताओं की कमी के कारण, यह सवाल उत्पन्न होता है कि अंग किसे मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को जो सर्वाधिक बीमार है अथवा उसे जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है अथवा उसे जो सर्वाधिक लाभान्वित हो सकता है या पंक्ति में खड़े सबसे अमीर व्यक्ति को। यह प्रश्न एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है।
- **व्यक्तिगत विश्वास प्रणाली:** मृत्यु के पश्चात् शरीर और उसके अंगों के संस्कारपूर्ण रीति से प्रबंधन का व्यक्ति के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से अत्यधिक महत्त्व होता है।
- **शरीर के अंगों का मुद्रीकरण:** धन की आवश्यकता के लिए अंगों की बिक्री नैतिकता और गरीब वर्गों के शोषण संबंधी प्रश्न उत्पन्न करती है।
- **ज़बरदस्ती और बिना किसी सूचना के अंगदान:** अंगों की तस्करी संबंधी घोटालों के कारण दाता की सूचित सहमति से संबंधित मुद्दे पैदा होते हैं।
- **दान के संभावित जोखिम:** कभी-कभी दाताओं को संभावित जोखिमों और उन पर दान के बाद पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पता ही नहीं होता है।
- **गैर-सार्वभौमिकता:** अंग और ऊतक प्रत्यारोपण से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास एवं उपयोग काफी खर्चीला है और यह अधिकांश लोगों की पहुंच से परे है।

भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़े मुद्दे

- **स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय:** चूंकि, भारत में **स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय** है, इसलिए सभी राज्यों द्वारा नए नियमों को स्वीकार करना और उन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अंग दान की निम्न दर:** भारत में अंगों की उच्च मांग के बावजूद, अंगदान की दर अभी भी काफी कम है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनेक नागरिक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण अपने अंगों को दान करने के इच्छुक नहीं होते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** अलग-अलग क्षेत्रों के बीच अंग दान दरों में व्यापक असमानता मौजूद है, जैसे कि उत्तर-दक्षिण विभाजन। इसमें अधिकांश महत्वपूर्ण/विशेष अस्पताल दक्षिण भारत में स्थित हैं।
- **सीमित विशिष्ट अस्पताल:** अंग प्रत्यारोपण विशेषीकृत सेवा बनी हुई है तथा केवल कुछ अस्पतालों तक ही सीमित है।
- **पारिवारिक भावनाएं:** 'ब्रेन डेथ' दाताओं के मामलों में परिवार के सदस्य अलग-अलग भावनाओं और शोक से गुजरते हैं, जबकि उसी बीच अंग प्रत्यारोपण का समय तेजी से समाप्त हो रहा होता है।

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (अवधि: 2021–22 से 2025–26)

- मृतक के अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देना। साथ ही, इस प्रकार के दान के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करना।
- अंग और ऊतक दान, पुनर्प्राप्ति एवं प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक श्रमबल को प्रशिक्षित करना।
- डिजिटल राष्ट्रीय अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण रजिस्ट्री की स्थापना व संचालन करना।
- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों/संस्थानों में नए अंग और ऊतक पुनर्प्राप्ति एवं प्रत्यारोपण अवसंरचना सुविधा केंद्रों को स्थापित करना। साथ ही, मौजूदा केंद्रों को मजबूत करना।
- विशेष रूप से मृत दाताओं से अंग और ऊतक खरीद/पुनर्प्राप्ति के लिए तथा प्रत्यारोपण हेतु उनके वितरण के लिए एक कुशल तंत्र का आयोजन करना।

- **अंग प्रत्यारोपण की स्वीकृति:** कई रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को अंग प्रत्यारोपण के बाद रोगी के देखभाल की गुणवत्ता को लेकर संदेह होता है। साथ ही, उन्हें यह भी आशंका रहती है कि प्रत्यारोपण के बाद रोगी कितने समय तक जीवित रहेगा।
- **काला बाजार:** अंगदान के लिए एक बड़े काले बाजार का होना जरूरतमंद परिवारों के बीच विश्वास की कमी पैदा करता है और भारत में अंग दान को बाधित करता है।

सुझाव

- अंगदान और प्रत्यारोपण के प्रति नकारात्मक धारणा को दूर करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम से ही खुले संवाद की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- विज्ञापनों अथवा रोल मॉडल्स के माध्यम से अंगदान को लेकर **जागरूकता** बढ़ानी चाहिए।
- **शासन के अलग-अलग स्तरों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए** जैसे- राष्ट्रीय स्तर पर NOTTO, राज्य स्तर पर SOTTO और ROTTO।
- **सभी हितधारकों** विशेष रूप से स्थानीय हितधारकों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को शामिल किया जाना चाहिए।
- शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) और प्रत्यारोपण करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

5.10. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (Accredited Social Health Activist: ASHAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र तथा इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस ने मिलकर **"ग्रासरूट सोल्जर्स: रोल ऑफ आशा इन द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया"** शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **कोविड-19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका**
  - सामुदायिक स्तर पर निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहन, आइसोलेशन और क्वारेंटाइन मानदंडों की निगरानी आदि में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी।

VISION

- **गैर-कोविड-19 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी उन्होंने विशेष योगदान** दिया था। उदाहरण के लिए- टी.बी., HIV आदि से संबंधित दवाओं की घर पर ही आपूर्ति।
- **वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने और पात्र लाभार्थियों को टीका लगाने में भी** इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी

आशा कार्यकर्ताओं के बारे में

- आशा कार्यकर्ता **महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता** होती हैं। ये वर्ष 2005 में शुरू किए गए **'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' (NRHM) के अंतर्गत** आती हैं।
- आशा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य **समुदाय के सदस्यों को उनके अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम** बनाना है। साथ ही, उन्हें स्वास्थ्य सेवा में भागीदार बनाना भी इसका उद्देश्य है।
- अधिकांश मामलों में, गांव की ही महिलाओं को आशा कार्यकर्ता के रूप में चुना जाता है जो स्थानीय समुदाय के भीतर काम करती हैं।

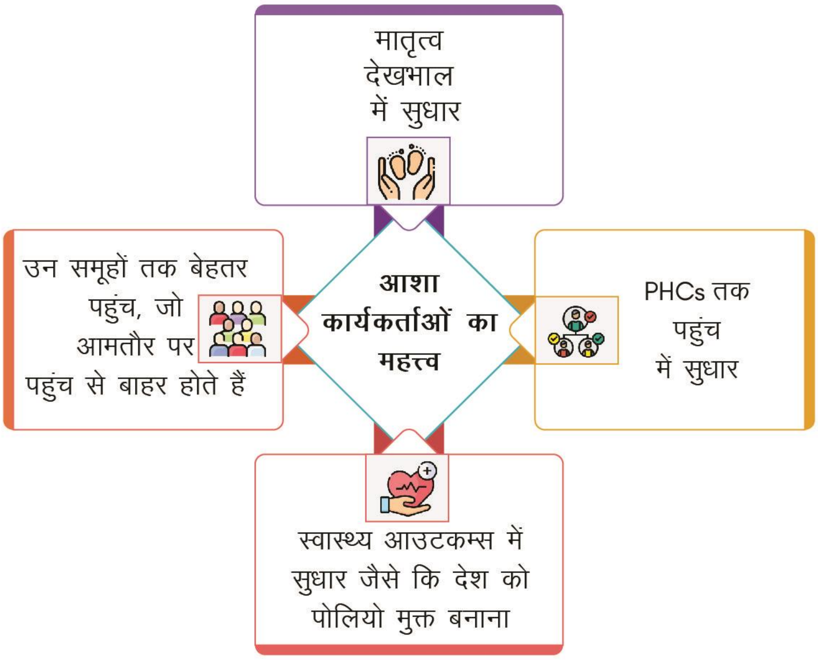

आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं

- **अपर्याप्त प्रोत्साहन राशि:** चूंकि, **आशा कार्यकर्ताओं को "स्वयंसेवक" माना जाता है,** इसलिए सरकारें उन्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए, मासिक वेतन की बजाय, उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है या कार्य-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है (जो अक्सर न्यूनतम मजदूरी से कम होता है)।
- **पितृसत्तात्मक बाधाएं:** ग्राम परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। इस कारण से, ग्राम संबंधी मामलों में निर्णय लेने में उनकी भूमिका बहुत कम होती है। इसलिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामुदायिक कार्रवाई शुरू करना कठिन होता है।
- **खराब बुनियादी ढांचा:** दूरदराज के गांवों की सड़कें खराब होती हैं। अपर्याप्त परिवहन जैसे कारकों के कारण कार्यकर्ताओं को अपने नियमित कार्य करने में कठिनाई होती है।
- **अधिक कार्यभार:** नियमित कार्यों के अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिकाओं के दायरे से बाहर अन्य कार्य (अन्य सरकारी विभागों से) भी करने पड़ते हैं।
- **अन्य हतोत्साहित करने वाले कारक:** इसमें दवाओं और प्रशिक्षण की कमी, पारिवारिक अस्वीकृति, रेफरल केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का व्यवहार तथा सहायक नर्स मिडवाइफ /आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा असहयोग जैसे कारण शामिल हैं।

आगे की राह

- आशा कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित मासिक भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मचारी बनाना चाहिए तथा साथ ही, **समय-समय पर बेहतर प्रोत्साहन के लिए एक तंत्र विकसित** करना चाहिए।
- सभी क्षेत्रों में **आशा का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना** चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से स्लम/ स्लम जैसे क्षेत्रों और सुभेद्य आबादी वाले इलाकों में ही मौजूद हैं।
- आशा के काम को आसान बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी का लाभ** उठाना चाहिए।
- समुदाय को साक्षर बनाकर तथा भौतिक अवसंरचना और जमीनी स्तर पर बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके **सरकार के सभी स्तरों पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।**
- आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर **समुदाय को संवेदनशील बनाने का प्रयास** करना चाहिए।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए।**

5.11. इच्छामृत्यु {Euthanasia}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर अपने नियमों को सरल बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए परिवर्तन

	वर्तमान स्थिति	पहले की स्थिति
लिविंग विल	लिविंग विल के लिए राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापन पर्याप्त होगा।	लिविंग विल का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन या प्रतिहस्ताक्षर (Countersign) आवश्यक था।
लिविंग विल तक पहुंच	लिविंग विल राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भाग होगा, जिसे भारतीय अस्पताल जरुरत पड़ने पर देख सकते हैं।	लिविंग विल को संबंधित जिला अदालत की कस्टडी में रखा जाता था।
रोगी की स्थिति की जांच हेतु प्राथमिक बोर्ड	प्राथमिक बोर्ड में तीन चिकित्सक शामिल होंगे। इसमें उपचार करने वाले चिकित्सक सहित दो अन्य चिकित्सक होंगे, जिन्हें संबंधित विशेषज्ञता में पांच साल का अनुभव होगा।	चिकित्सकों के प्राथमिक बोर्ड में कम–से–कम चार विशेषज्ञों को शामिल करना आवश्यक था। इसमें जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मनश्चिकित्सा या ऑन्कोलॉजी में कम–से–कम 20 वर्षों के समग्र अनुभव वाले चिकित्सकों को ही शामिल करना होता था।
निर्णय लेने में निर्धारित समय	प्राथमिक/ द्वितीयक बोर्ड आगे के उपचार को बंद करने के संबंध में 48 घंटों के भीतर निर्णय करेगा।	वर्ष 2018 के फैसले में उपचार बंद करने की कोई समय–सीमा तय नहीं की गई थी।
द्वितीयक बोर्ड	अस्पताल को तुरंत चिकित्सा विशेषज्ञों का एक द्वितीयक बोर्ड गठित करना होगा।	जिला कलेक्टर को चिकित्सा विशेषज्ञों का दूसरा बोर्ड गठित करना होता था।

पृष्ठभूमि

* **2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद में**, सुप्रीम कोर्ट ने **सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार** (Right To Die With Dignity) को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार के एक अनिवार्य पहलू के रूप में मान्यता दी थी।
    * तदनुसार, न्यायालय ने **निष्क्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार** रखा था।
* तब यह तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की जटिलता के कारण ये निर्देश वास्तव में अप्रवर्तनीय हो गए थे।
    * इस प्रकार, निर्णय को 'व्यावहारिक' बनाने के लिए आवश्यक संशोधन की मांग की गई थी।

निर्णय के अन्य पहलू	**अब**	**पहले**
सरोगेट निर्णयकर्ता	• एक से अधिक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार का नाम लिया जा सकता है। • अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी निर्दिष्ट व्यक्तियों की सहमति ली जाएगी।	• केवल एक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार को नामित किया जा सकता था। अंतिम निर्णय लेने से पहले अभिभावक या करीबी रिश्तेदार की भी सहमति ली जाती थी।
जिला न्यायालय रजिस्ट्री की भूमिका	• यह आवश्यकता अब समाप्त कर दी गई है।	• न्यायिक मजिस्ट्रेट को दस्तावेज़ की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपनी होती थी, जो दस्तावेज को मूल प्रारूप में सुरक्षित रखती थी।
प्रामाणिकता सुनिश्चित करना	• इस मामले में जो निर्णय लेगा उसके डिजिटल रिकॉर्ड के संदर्भ में, या स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा नियुक्त दस्तावेज़ के संरक्षक से इसकी प्रामाणिकता का पता लगाने के बाद अग्रिम निर्देश को चिकित्सक निष्पादित कर सकते हैं।	• उपचार करने वाले चिकित्सक को न्यायिक मजिस्ट्रेट से इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद अग्रिम निर्देश पर अमल करना होता था।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील	• यदि उपचार रोकने की अनुमति से इनकार किया गया है, तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।	• यदि उपचार रोकने की अनुमति से इनकार किया गया है, तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।

इच्छामृत्यु के बारे में

* यह रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने की एक पद्धति है। इसे केवल एक चिकित्सक द्वारा ही संपन्न

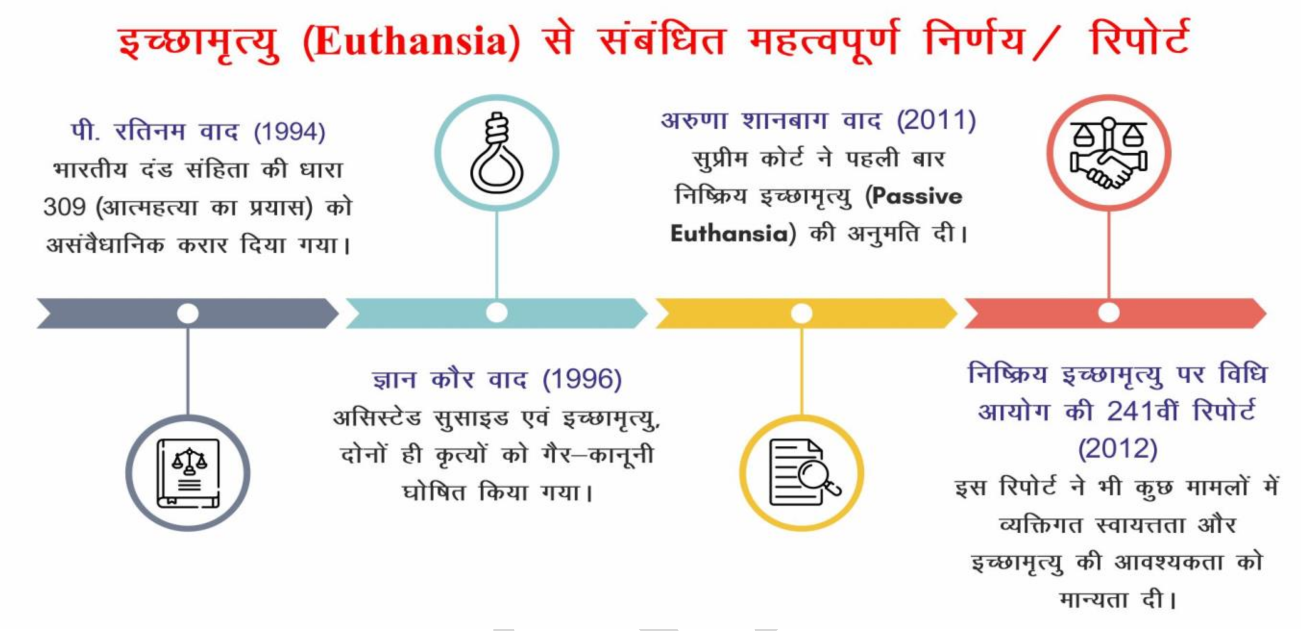

किया जा सकता है।

* **इच्छामृत्यु के दो प्रकार हैं- सक्रिय इच्छामृत्यु और निष्क्रिय इच्छामृत्यु।**
  सक्रिय इच्छामृत्यु में घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप (जैसे कि रोगी को जानलेवा इंजेक्शन देना) शामिल है। **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** के तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार को वापस ले लिया जाता है।
  * **अग्रिम चिकित्सा निर्देश या लिविंग विल:** ये चिकित्सा उपचार, एंड-ऑफ़-लाइफ केयर और देखभाल के अन्य पहलुओं के बारे में प्राथमिकताओं को संप्रेषित करते हैं। साथ ही, ये अक्षम होने से पूर्व समय से पहले एक सरोगेट निर्णयकर्ता को नामित करते हैं।

इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क	इच्छामृत्यु के खिलाफ तर्क
• **आत्मनिर्णय का अधिकार:** मनुष्य अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह स्वतंत्रता विशेष रूप से उस स्थिति में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह किसी लाइलाज बीमारी का सामना कर रहा हो। • **देखभाल करने वाले पर बोझ:** कई बार देखभाल करने वाले लोग वित्तीय, भावनात्मक, समय आदि मामले में बोझ तले दब जाते हैं। • **सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार:** लोगों को 'सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार' की अनुमति देना उन्हें पीड़ा के साथ अपना जीवन जारी रखने के लिए मजबूर करने की तुलना में बेहतर है। • **अंग प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित करना:** यह अंग दान को प्रोत्साहित	• **दुरूपयोग:** इच्छामृत्यु के विरोधियों का तर्क है कि अगर हम 'सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार' को अपनाते हैं, तो यह कदम लाइलाज और निर्बल करने वाली बीमारियों से ग्रस्त लोगों हेतु हमारे सभ्य समाज के लिए पीछा छुड़ाने वाला होगा। • **दुर्भावनापूर्ण कृत्य:** ऐसी संभावना है कि रोगी की संपत्ति विरासत में लेने के लिए परिवार के सदस्य या रिश्तेदार इच्छामृत्यु का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। • **जीवन का अवमूल्यन:** इच्छामृत्यु जीवन की शुचिता के प्रति समाज के सम्मान को कमजोर करती है। • **स्वास्थ्य देखभाल का व्यवसायीकरण:** यदि इच्छामृत्यु को वैध कर

करने का अवसर प्रदान करता है। • **इसे विनियमित किया जा सकता है:** यदि यह कानूनी रूप से मान्य है तो इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है।	दिया जाता है, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य क्षेत्रक भारत के कई दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिकों को अल्प राशि के लिए मौत की सजा दे देगा। • यह **हिप्पोक्रेटिक ओथ** के विरुद्ध है। यह ओथ स्वास्थ्य पेशेवरों को नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध करती है।

निष्कर्ष

इच्छामृत्यु एक ऐसा कदम है जिसे हमेशा तार्किकता के आधार पर नहीं देखा जा सकता है; जब किसी गंभीर प्रकृति की भावना की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का भी अधिकार होता है।

VISION IAS

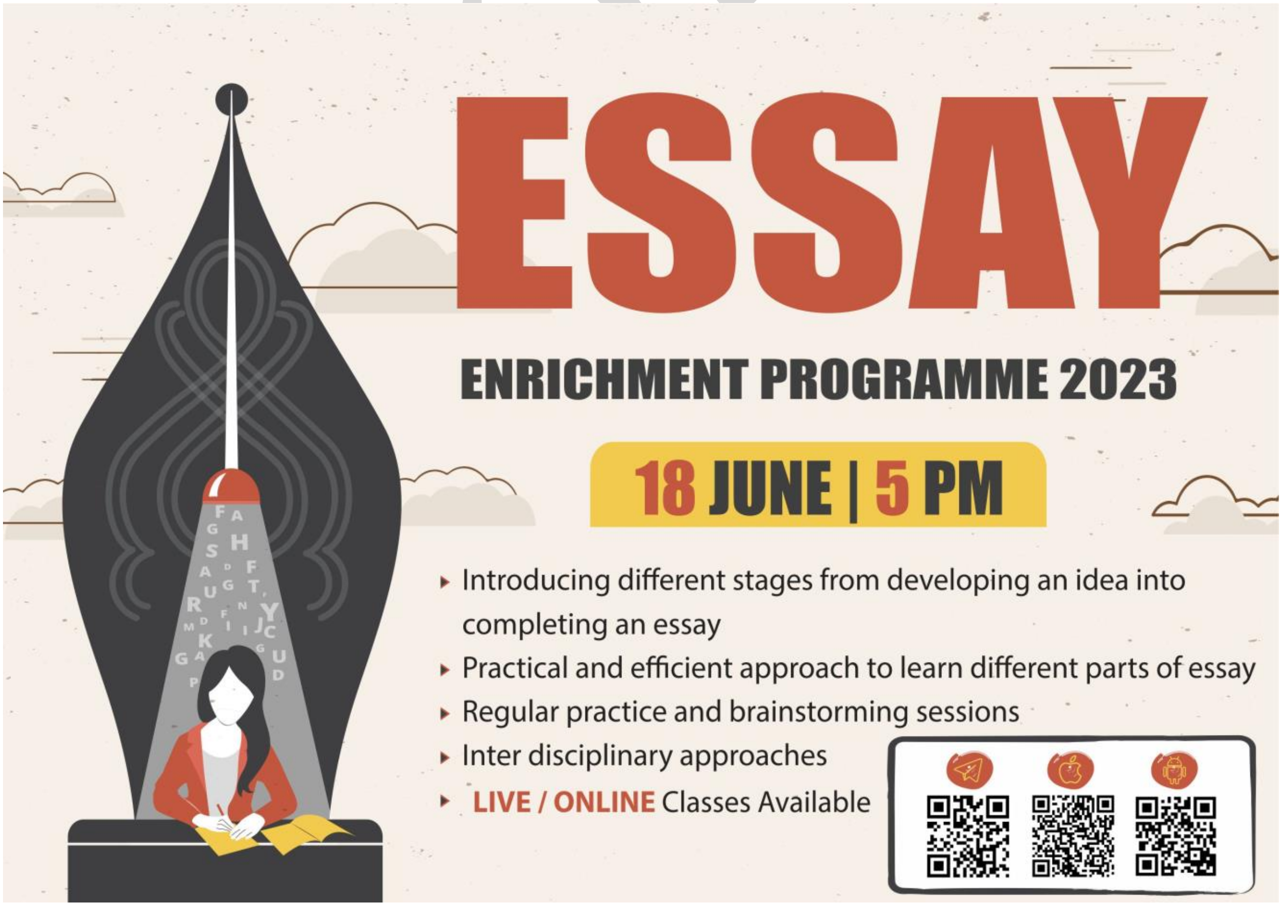

6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition And Sanitation)

6.1. वैश्विक खाद्य संकट (Global Food Crisis)

वैश्विक खाद्य संकट: एक नजर में

- संधारणीय खाद्य प्रणाली एक ऐसी खाद्य प्रणाली है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना **सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान** करती है।
- इसमें उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण, उपभोग आदि में शामिल **अभिकर्ताओं की पूरी श्रृंखला और उनसे जुड़ी मूल्य-वर्धक गतिविधियां** शामिल हैं।

वैश्विक खाद्य प्रणालियों के समक्ष उभरती चुनौतियां

- **जलवायु परिवर्तन:** ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित मौसम, कीटों और बीमारियों का बढ़ता खतरा आदि खाद्य उत्पादन और उत्पादकता को कम करते हैं।
- **वनों की कटाई:** दुनिया भर में 90 प्रतिशत वनों की कटाई के लिए कृषि भूमि का विस्तार जिम्मेदार है। यह मौजूदा कृषि भूमि के खाद्य उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है।
- **हानिकारक कृषि पद्धतियां:** रासायनिक इनपुट्स के अंधाधुंध उपयोग और वनों की कटाई के परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है।
- **तीव्र शहरीकरण:** उपभोग के बदलते पैटर्न, अधिक खपत, अपर्याप्त वितरण और भोजन की बर्बादी ने खाद्य प्रणाली पर दबाव डाला है।
- **अन्य मुद्दे:** जैव ईंधन उत्पादन में वृद्धि, यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण आपूर्ति पक्ष का बाधित होना, आदि।

खाद्य प्रणाली से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):** अनुकूलन और शमन रणनीतियां प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):** गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने हेतु शुरू किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** पात्र परिवारों को लक्षित PDS के माध्यम से सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया है।
- **खाद्य विकिरण केंद्र की स्थापना:** भंडारण और उपयोग होने तक की अवधि में सुधार और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कटौती करने के लिए सरकार के द्वारा खाद्य विकिरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- **खाद्य और भूमि उपयोग गठबंधन:** वैश्विक खाद्य और भूमि उपयोग प्रणालियों को बदलने के लिए 30 से अधिक संगठनों का एक स्वशासित गठबंधन स्थापित किया गया है।
- वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए **वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा पर उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन** किया गया है।
- कृषि क्षेत्र में उपग्रह इमेजरी, ड्रोन जैसी **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिससे फसलों की वृद्धि की निगरानी और उन्हें तैयार करने का कार्य बेहतर तरीके** से किया जा सके।

भविष्य के लिए लचीली खाद्य प्रणाली विकसित करने की दिशा में आगे की राह

- **संधारणीय कृषि:** भोजन की हानि और बर्बादी को कम करना, जिसकी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में हिस्सेदारी 8% की है।
- **ट्रिपल चैलेंज को हल करना:** खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, आय सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।
- **सामान्य खाद्य नीति (CFP):** संपूर्ण कृषि एवं खाद्य बाजार श्रृंखला को नया आकार देना।
- **कृषि समर्थन का पुनर्गठन:** बाजार मूल्य समर्थन से हटकर किसानों को सीधे भुगतान की ओर बढ़ना।
- **प्रौद्योगिकी में निवेश:** लचीली खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत और विकसित करने के उपायों को अपनाकर संधारणीय कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है।
- **समावेशी और समतामूलक भोजन प्रणाली को सुनिश्चित करना:** उत्पादकता और दक्षता में सुधार करके क्षेत्रीय खाद्य प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।

6.2. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI)[25] 2022 में भारत 121 देशों की सूची में 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि 2021 में भारत 101वें स्थान पर था।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में

- इसे **कंसर्न वर्ल्डवाइड[26] और वेल्ट हंगर हिल्फे[27]** द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- इसे पहली बार **2006 में जारी किया गया था।** GHI **2022** इसका **17वां संस्करण है।**
- **इस रिपोर्ट के मुख्य वैश्विक निष्कर्षों पर एक नजर:**
  - भुखमरी के खिलाफ **वैश्विक प्रगति** काफी हद तक रुकी हुई है। यह वैश्विक संकटों, जैसे- **संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट के परिणामस्वरूप और खराब हो** सकती है।
  - वर्ष 2021 में लगभग **828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे।**

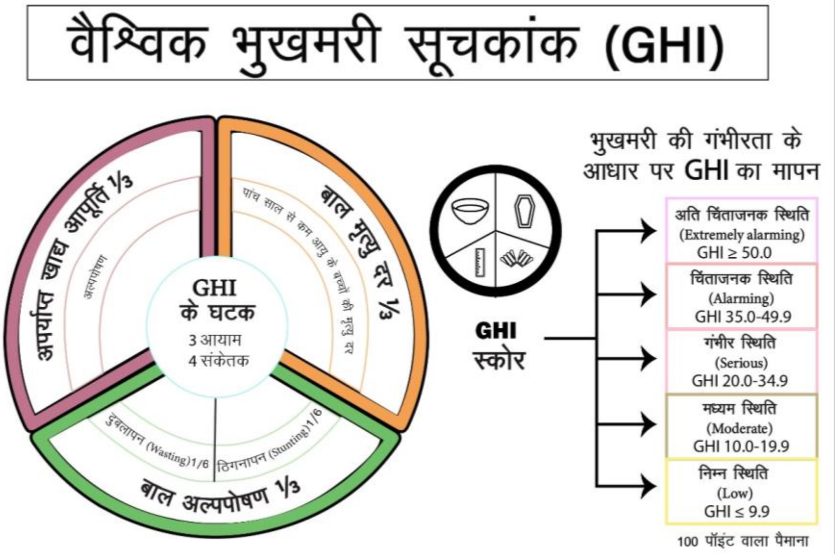

- **भारत से संबंधित निष्कर्षों पर एक नजर**
  - इस वर्ष GHI में भारत का स्कोर 29.1 है। इसके कारण **भारत में भुखमरी की स्थिति "गंभीर (Serious)" है।**
  - भारत की रैंक **अफगानिस्तान** को छोड़कर बाकी **सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है।**
  - **बच्चों में दुबलापन (लंबाई के हिसाब से कम वजन):** इस सूचकांक के अनुसार **बच्चों में दुबलेपन** का प्रतिशत 19.3% है। यह दर्शाता है कि देश में कुपोषण की दर कितनी है। **दुर्भाग्यवश यह प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है।**
  - **हालांकि, भारत में बच्चों में ठिगनेपन** (आयु के हिसाब से कम लंबाई) की समस्या में "काफी कमी (Significant Decrease)" देखी गई है। साथ ही, **बाल मृत्यु दर संकेतकों** में भी सुधार देखा गया है।

भारत सरकार का पक्ष

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह सूचकांक भुखमरी का एक गलत माप है और इसमें कई गंभीर पद्धतिपरक कमियां मौजूद हैं।

- **उपयोग की जाने वाली पद्धति अवैज्ञानिक है।**
- **अल्पपोषित आबादी (PoU)[28] का अनुमान,** "खाद्य असुरक्षा अनुभव पैमाने (FIES)[29]" सर्वेक्षण मॉड्यूल के आधार पर 3000 प्रतिभागियों के बहुत छोटे नमूने पर किए गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित है।
- **दुबलापन और ठिगनापन विविध कारकों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते है।** इनमें भुखमरी के अलावा पेयजल, स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण, भोजन आदि शामिल हैं।

---

[25] Global Hunger Index

[26] Concern Worldwide

[27] Welthungerhilfe

[28] Proportion of Undernourished

[29] Food Insecurity Experience Scale

बढ़ती भुखमरी और कुपोषण के कारण

- **भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति: भुखमरी और उससे संबंधित अल्प-पोषण** (प्रच्छन्न भुखमरी के मुद्दे सहित) **अलग-अलग संबद्ध कारकों का परिणाम है।** इनमें सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, खाद्य पदार्थों तक पहुंच आदि शामिल हैं।
- **चावल गेहूं आधारित नीति:** भारत की खाद्य सुरक्षा नीति में कई दशकों से चावल और गेहूं पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है।
- **क्रय शक्ति में गिरावट:** स्थिर कृषि आय, निम्न रोजगार दर, मंदी, मुद्रास्फीति में वृद्धि और गरीबी (28%) ने क्रय शक्ति क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

भारत में प्रच्छन्न भुखमरी

- यह अल्प-पोषण का एक रूप है। इसमें पर्याप्त कैलोरी प्राप्त करने के बावजूद अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक **विटामिन और खनिजों का सेवन बहुत कम होता है।**
- यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **80% से** अधिक किशोरों में "प्रच्छन्न भुखमरी" है।

- **निधियों का कम उपयोग:** उदाहरण के लिए- 2018-19 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services: ICDS) के लिए आवंटित कुल निधि के 50% से भी कम भाग का इस्तेमाल किया गया था।
- **खाद्य पदार्थों का अपव्यय:** खाद्य और कृषि संगठन (FAO)[30] की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उत्पादित लगभग 40% खाद्य पदार्थ प्रत्येक वर्ष अव्यवस्थित या खंडित खाद्य प्रणालियों और अक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण बर्बाद हो जाते हैं।

आगे की राह

- **समग्र दृष्टिकोण:** सरकारों, नागरिक समाजों और बाजार शक्तियों द्वारा जल, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, पोषण आदि को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।
- **फूड बास्केट में विविधता लाना:** NFSA के तहत मिलेट्स, पत्तेदार सब्जियों, दूध और अंडे जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा वितरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

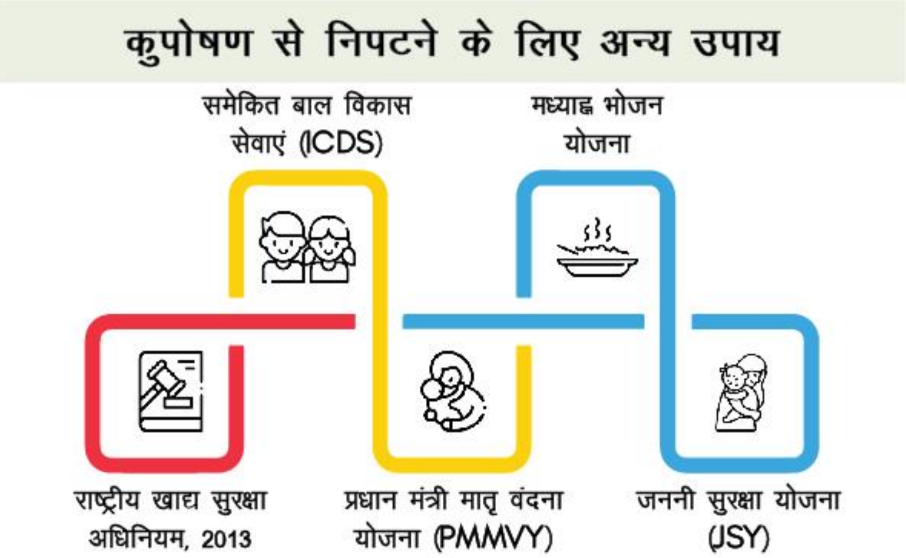

  - **हरियाणा** धान की बजाये दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने के लिए किसानों को ₹7,000/एकड़ का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।
- **उत्पादन में वृद्धि करना:** कृषि को अधिक कुशल, संधारणीय, जलवायु-स्मार्ट और पोषण के प्रति संवेदनशील बनाकर इसमें परिवर्तन लाया जाना चाहिए।
- **नुकसान को कम करना:** मजबूत परिवहन अवसंरचना और कोल्ड स्टोरेज सहित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता:** सरकारों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) आदि सहित विविध हितधारकों को पोषण सुरक्षा और भोजन की बर्बादी पर लोक जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।

6.3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार **NFSA, 2013 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त अनाज** प्रदान करेगी।

[30] Food and Agriculture Organisation

अन्य संबंधित तथ्य

- NFSA की **धारा 3 के तहत सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त** में प्रदान किए जाएंगे। इसे **1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023** तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। पात्र परिवारों में **प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार** शामिल होंगे।
    - अब तक लाभार्थियों को **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)**[31] **के रूप में मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये** का भुगतान करना पड़ता था। CIP सब्सिडी युक्त वह मूल्य है, जिस पर सरकार राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

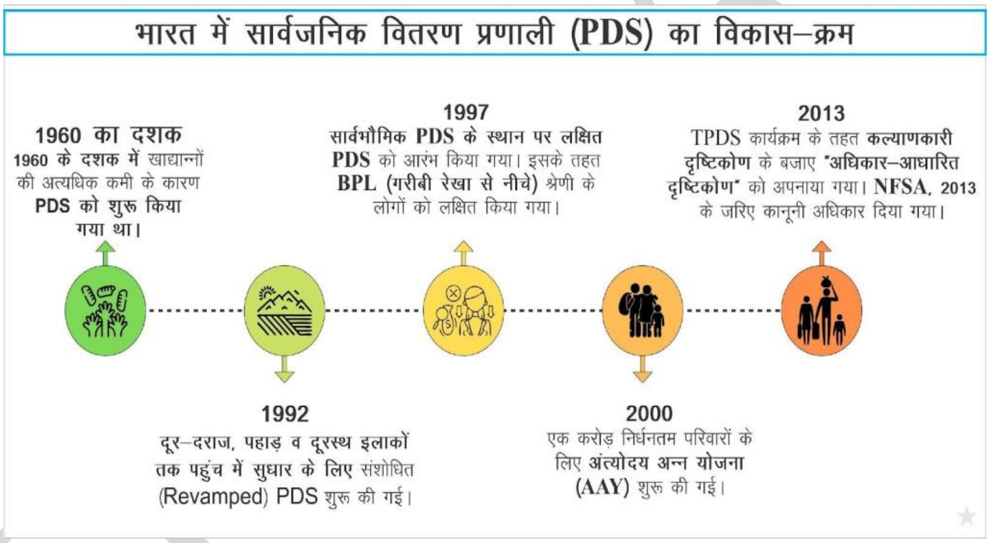

    - **सब्सिडी युक्त मूल्यों** का उल्लेख NFSA, 2013 की अनुसूची-1 में किया गया है। हालांकि, **सरकार इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से परिवर्तित** कर सकती है।
- हालांकि, मध्याह्न भोजन (MDMs)[32] योजना जैसे **अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न के निर्गम मूल्यों (Issue Prices) में कोई परिवर्तन नहीं** किया जाएगा।
- PMGKAY को **NFSA के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान** प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। यह खाद्यान्न **NFSA अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की लाभार्थियों की मासिक पात्रता के अतिरिक्त** था। इस मासिक पात्रता के अंतर्गत **अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज** प्रदान करना शामिल है।
    - अब, **यह योजना बंद** कर दी गई है।

NFSA से संबंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **लाभार्थियों की पहचान:** राज्यों द्वारा अलग-अलग मानदंडों के उपयोग से त्रुटियां पैदा होती हैं।

---

[31] Central Issue Price

[32] Mid Day Meals

- उदाहरण के लिए- **पात्रता के मानदंड के रूप में अभावग्रस्तता को मान्यता दी जा रही है। केवल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही इस मानदंड का** पालन कर रहे हैं।

- **खराब सार्वजनिक खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली:** सरकार 21.4 मिलियन टन के अनिवार्य बफर स्टॉक से अधिक का बफर स्टॉक बनाए रखती है। इससे अनाजों के भंडारण की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति और खाद्यान्न की बर्बादी होती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)[33] में बड़े पैमाने पर रिसाव:** शांता कुमार समिति ने PDS में 40-50% तक रिसाव होने की बात कही थी, जबकि कुछ राज्यों में तो यह 60-70% तक बढ़ जाता है।
- **वित्तीय रूप से अव्यवहार्य:** वर्तमान केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) को शुरू में **तीन साल की अवधि** के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, पिछले दशकों में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि CIPs अपरिवर्तित रहे हैं।
  - 2014-22 की अवधि के दौरान **खाद्य सब्सिडी बिल लगभग दोगुना** हो गया है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** अनाज में केवल चावल-गेहूं की पक्षपातपूर्ण खरीद ने कई राज्यों में **भू-जल स्तर को कम कर दिया है तथा इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में भी कमी हुई है।** साथ ही, इससे फसल विविधीकरण भी बाधित हुआ है।
- **विश्व व्यापार संगठन में चुनौतियां:** भारत की सब्सिडी वाली खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत **'मूल्य विकृतकारी मानदंड' (Price Distorting Norms)** माना जाता है।

सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आगे की राह

- **पहचान:** केंद्र सरकार प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) की पहचान और चयन के लिए मानकीकृत मानदंड अपना सकती है। इससे एकरूपता लाने, सही लाभार्थी तक पहुंचने और डायनामिक डेटाबेस विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **कवरेज को तर्कसंगत बनाना:** लाभार्थियों की संख्या को 67% से घटाकर 40% किया जा सकता है। शांता कुमार समिति ने भी इसी तरह की सिफारिशें की हैं।
- **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) को संशोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 3, 2 और 1 रुपये का मूल्य वैसा नहीं है जैसा कि 2013 में अधिनियम के समय था। साथ ही, अलग-अलग फसलों के MSP में भी वृद्धि हुई है, इसलिए बिक्री मूल्यों को भी संशोधित कर बढ़ाया जाना चाहिए।**
- **प्रभावी बाजार सुनिश्चित करना:** राज्यों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस को रोक दिया जाना चाहिए। साथ ही, निजी क्षेत्रक को भी खाद्यान्न की खरीद और भंडारण की अनुमति देनी चाहिए।

- **डिजिटलीकरण:** डिजिटलीकरण ने PDS के तहत आपूर्ति श्रृंखला तथा वितरण गतिविधियों को और मजबूत किया है।
- हालांकि, आधार से लिंक न होने के कारण खाद्यान्न प्रदान करने की मनाही से संबंधित मुद्दों के तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

शांता कुमार समिति के अनुसार, योजना के पुनर्गठन से सरकार 33,000 करोड़ रुपये बचा सकती है। इस धन का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है, जिनका खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है।

[33] Public Distribution System

6.4. पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) अभियान {Poshan (Prime Minister’s Overarching Scheme For Holistic Nourishment) Abhiyaan}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **‘पोषण’ अभियान** पर चौथी प्रगति रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट में **कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन किया गया** है। इसमें पूरे भारत में **सेवा वितरण बहाली पर सूचनाएं भी** प्रदान की गई हैं।

पोषण अभियान के बारे में

- इसे 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की **निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन करने** के लिए शुरू किया गया था।
- पोषण अभियान का उद्देश्य भारत के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले चिन्हित जिलों में **ठिगनेपन को कम** करना है। यह कार्य **प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार करके** संपन्न किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य **बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण सुनिश्चित** करना है।
- वर्ष 2021 में, केंद्र सरकार ने **आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान जैसी कई योजनाओं का विलय कर दिया** था। पोषण संबंधी परिणामों को अधिकतम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इन्हें 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के रूप में पुनः लागू किया गया है।
- पोषण 2.0 **अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई प्रमुख रणनीतियों को एकीकृत करेगा**, जैसे-
  - सुधारात्मक रणनीतियां,
  - पोषण जागरूकता रणनीतियां,
  - संचार रणनीतियां और
  - हरित पारितंत्र का निर्माण करने संबंधी नीति।

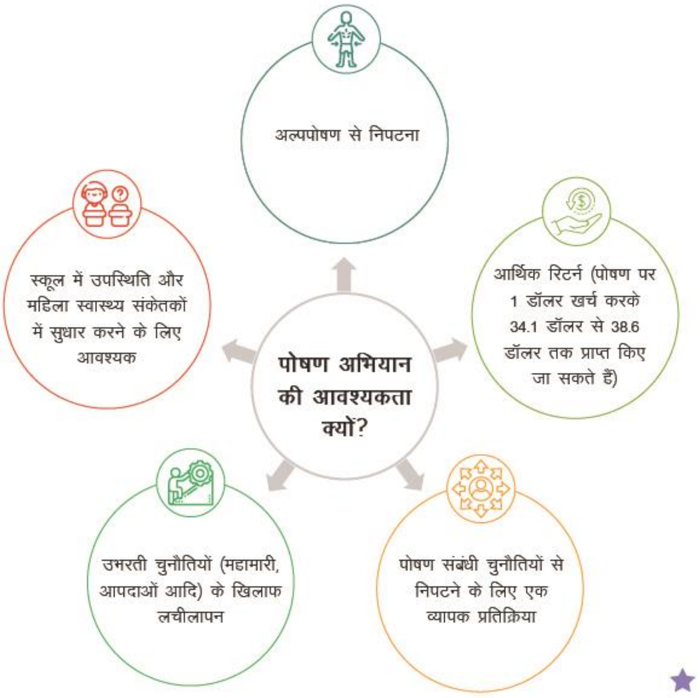

- इसे **‘पोषण ट्रैकर’ द्वारा समर्थित** किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर एक नया, मजबूत सूचना व संचार तकनीक (ICT) केंद्रीकृत डेटा सिस्टम है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (RCH)[34] पोर्टल (अनमोल) से जोड़ा जा रहा है।

[34] Reproductive and Child Health

सक्षम आंगनवाड़ी

- यह आंगनवाड़ी केंद्रों के **सुधार के लिए किया गया एक लक्षित हस्तक्षेप है।** इसके तहत केंद्रों की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें देश भर में मजबूत व अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, उनका कायाकल्प भी किया जाएगा।
- आंगनवाड़ियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अलावा, **सक्षम आंगनवाड़ी के तहत निम्नलिखित पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा-**
  - **आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किशोरियां (14-18 वर्ष)।**
  - **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन/ प्रेरणा (0-3 वर्ष)।**
- इसके तहत, **आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रत्येक वर्ष 40,000) को सशक्त किया जाएगा।**
  - यह निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगा:
    - **स्मार्ट लर्निंग ऐड (Aids), ऑडियो-एंड-वीडियो टूल्स, वाटर प्यूरीफायर और रेन-वाटर हार्वेस्टर** जैसे उपकरण।

पोषण अभियान के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **आंगनबाड़ी केंद्रों (AWCs) के बुनियादी ढांचे का अभाव:** विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंगनवाडी केंद्रों में पेय जल, शौचालय और विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था है।
- **फंड का कम उपयोग:** नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से भी कम फंड का उपयोग किया गया है।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** ऐसी संभावना है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं तथा वर्ष 2020 में जन्में लाखों बच्चे अनेक अनिवार्य हस्तक्षेपों से चूक गए हैं। ये हस्तक्षेप जीवन के प्रारंभिक 1000 दिनों की महत्वपूर्ण अवधि में स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं।
- **रीयल-टाइम डेटा की कमी:** पोषण सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाते हैं, इसलिए देश में बौनेपन (Stunted) और दुबलेपन (Wasted) से ग्रसित बच्चों पर रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध नहीं है। यह अनुपलब्धता उन लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जो निर्णय लेते हुए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं।
- **प्रक्रियात्मक देरी:** पोषण अभियान के लिए कुछ मंत्रालयों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। ऐसा न होने के कारण न केवल मामलों में देरी होती है, बल्कि अनियमितताओं की गुंजाइश भी बढ़ जाती है।

आगे की राह

- नीति आयोग द्वारा सुझाई गई **पोषण-प्लस रणनीति को अपनाना,** जो न केवल पोषण के **मुख्य स्तंभों को मजबूत करने पर, बल्कि** स्वच्छता, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन आदि जैसे अन्य **सामाजिक निर्धारकों पर भी ध्यान केंद्रित करती हो।**
- एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)[35] और स्वास्थ्य प्लेटफार्मों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, इनके **कवरेज का विस्तार एवं आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहिए।**
- **सक्रिय निगरानी, पोषण कार्यक्रम निर्माण हेतु संसाधनों में वृद्धि करना** और सूक्ष्म स्तर की भागीदारी योजना निर्माण के साथ-साथ निरीक्षण भी आवश्यक है।
  - **राज्य और जिला स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए नैदानिक कार्य करने की आवश्यकता है।** इसका उद्देश्य खराब पोषण के निर्धारकों को समझना है।

---

[35] Integrated Child Development Scheme

- ICDS में दिए गए **परामर्श और घर ले जाने वाले राशन के बीच मजबूत संबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए।** साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले सभी घरों तक पहुंचे।
- शहरी संदर्भों में खाद्य और स्वास्थ्य दोनों प्रणालियों में **निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और कई प्रकार के भागीदारों को शामिल करना चाहिए।** ये भागीदार उपभोक्ताओं की एक श्रृंखला के लिए आवश्यक होते जा रहे स्वस्थ भोजन परिवेश का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं।
- सभी हितधारकों के लिए आहार में सुधार करने वाले **पोषण अभियान के मिशन के साथ ईट राइट और फिट इंडिया,** जैसे मौजूदा अभियानों को **मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए।**

6.5. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** (MoWCD)[36] ने संसद को सूचित किया है कि **आंगनवाड़ी प्रणाली को मजबूत करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च** किए गए हैं।

आंगनवाड़ी प्रणाली के बारे में

- आंगनवाड़ी प्रणाली, **आंगनवाड़ी सेवा योजना** के तहत शुरू की गई थी। यह प्रणाली **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS)**[37] योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है (इन्फोग्राफिक देखिए)। ज्ञातव्य है कि **आंगनवाड़ी सेवा योजना को अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** के रूप में नामित किया गया है।
    - आंगनवाड़ी सेवा योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - यह योजना **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास (ECCD)**[38] के लिए **दुनिया के सबसे बड़े तथा अनूठे कार्यक्रमों** में से एक है।
    - **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
        - **बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार** करना, तथा
        - **मृत्यु दर, रुग्णता/ रोगों और कुपोषण की व्यापकता को कम** करना।

[36] Ministry of Women & Child Development

[37] Integrated Child Development Service

[38] Early Childhood Care and Development

- यह प्रणाली निम्नलिखित के माध्यम से **906.17 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान करती है:**
  - **आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs)[39]:** देश भर में लगभग 13.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। ये केंद्र इस योजना के तहत सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं।
  - **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs)[40] और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (AWHs)[41]:** इस प्रणाली के तहत लगभग 13.14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 11.74 लाख आंगनवाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं।
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं ICDS के **मूल कार्मिक** हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करते हैं और ICDS के कार्यान्वयन में मदद करते हैं।
    - **एक गांव/ क्षेत्र** का प्रबंधन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इस कार्यकर्ता को समुदाय में से चुना जाता है। इसे **स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल** जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

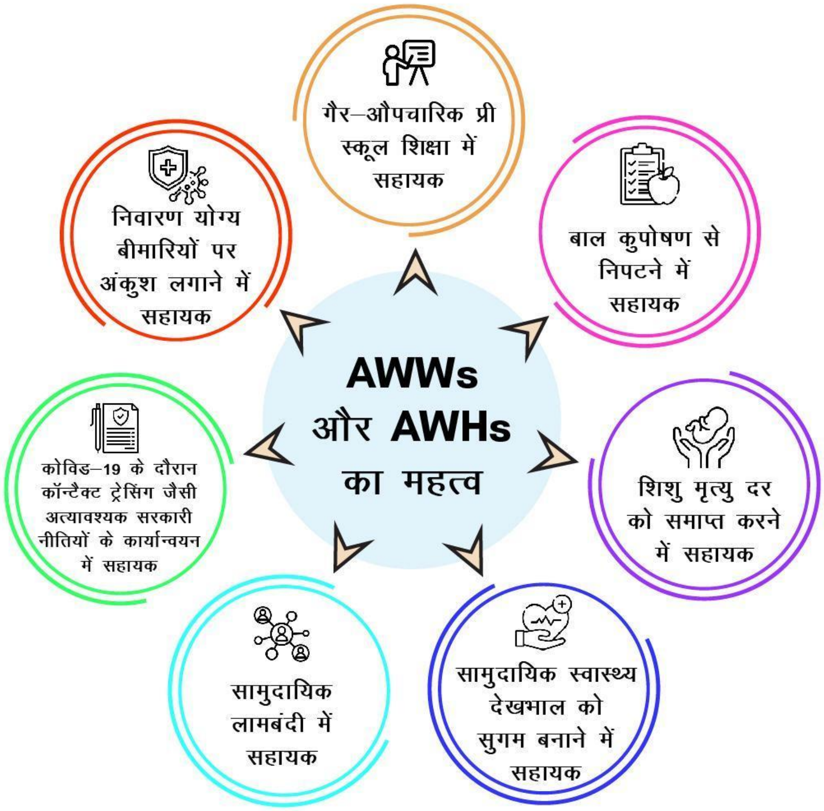

- **आंगनवाड़ी केंद्रों** को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इसमें पोषण (POSHAN) ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुशल सेवा वितरण और उनके कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए **'पोषण ट्रैकर' (Poshan Tracker)** का सहयोग लिया जा रहा है।
  - इस मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का उपयोग बच्चों में **ठिगनेपन (Stunting), दुबलेपन (Wasting) और कम वजन (Underweight) के प्रसार की पहचान करने** के लिए किया जा रहा है। साथ ही, इसका उपयोग पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी किया जा रहा है।
- **पारिश्रमिक**
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा **प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान** किया जाता है। इसे सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है।
    - केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर **3500 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है।
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को **पोषण अभियान के तहत ICDS-CAS** का उपयोग करने के लिए **प्रति माह 500 रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन** भी दिया जाता है।
    - ICDS- CAS[42] **अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को डेटा एकत्र करने की सुविधा** प्रदान करता है।

---

39 Anganwadi Centres

40 Anganwadi Workers

41 Anganwadi Helpers

42 कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ Common Application Software

  - यह एक छह-स्तरीय **डैशबोर्ड** है, जो रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन के उपयोग को सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा, अधिकांश राज्य/ संघ शासित प्रदेश **अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान** कर रहे हैं।
- **बीमा कवरेज:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित योजनाओं के तहत कवर किया गया है:
  - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY);
  - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY); तथा
  - आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना (AKBY)।
- **अन्य लाभ:** सवेतन अवकाश, पदोन्नति में आरक्षण, वर्दी और अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्रोत्साहन एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता			
विशिष्टता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife: ANM)	आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ Accredited Social Health Activist: ASHA)
योजना	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ICDS	• राष्ट्रीय ग्रामीण/ शहरी स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	
नियुक्ति का स्थान	• आंगनवाड़ी केंद्र	• **स्वास्थ्य उप-केंद्र** और अतिरिक्त रूप से गांवों का दौरा करना।	• **ग्राम स्तर पर**
प्रमुख भूमिकाएं	• **लाभार्थियों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास प्रदान करना।**	• स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने वाले कारकों पर **जागरूकता पैदा करना।** • प्रसव के संबंध में **महिलाओं, परिवारों और किशोरियों को परामर्श देना।** • **उपचारात्मक देखभाल और आपूर्ति करना।**	• टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के साथ-साथ **मातृ तथा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने** पर ध्यान देना।
प्रोत्साहन	• केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय और प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन।**	• केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय।**	• **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त होता है।**

आंगनवाड़ी प्रणाली में चुनौतियां

- **वित्तीय:** वर्षों से इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया जा रहा है।
  - साथ ही, इसमें **अनुचित नियोजन और कार्यान्वयन तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के गैर-अनुपालन** से संबंधित समस्याएं भी मौजूद हैं।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों की अपर्याप्त संख्या:** अलग-अलग राज्यों में स्वीकृत और परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या के मध्य अंतर है। यह अंतर लगभग 2% - 8.37% तक है।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं:** कई परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
  - उदाहरण के लिए- मेघालय में केवल 30.85% आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** हालांकि, ICDS-CAS के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है।
- **अपर्याप्त मानव पूंजी:** तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक जैसे अलग-अलग राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं।
- **पारिश्रमिक:** अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक विशेष रूप से दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में **उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की तुलना में बहुत कम** है।

आगे की राह

- **कवरेज का विस्तार:** संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों/ लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में आने वाली **बाधाओं को दूर** करने की सिफारिश की है।

- **बुनियादी सुविधाएं:** यदि लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करनी हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **सेवा शर्तों में सुधार:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं के **पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करना और बेहतर सेवा शर्तें निर्धारित करना** अत्यंत आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग:** कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर लंबाई और वजन मापने के उपकरण मौजूद नहीं हैं। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सरकार कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं की सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना चाहती है। आंगनवाड़ी प्रणाली सरकार की इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हालांकि, इस प्रणाली की समग्र समीक्षा की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए।

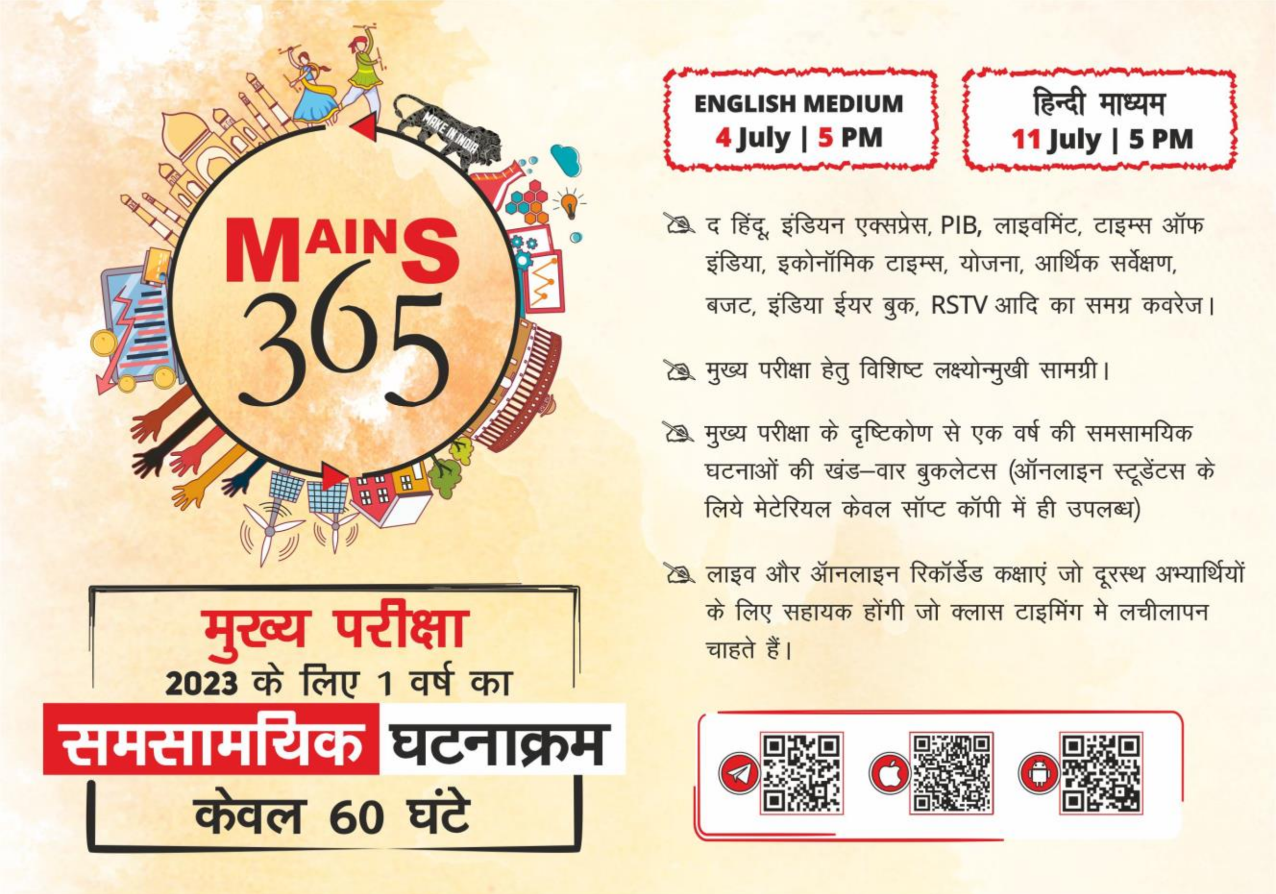

7. गरीबी एवं विकास से संबंधित मुद्दे (Poverty And Development Issues)

7.1. हाथ से मैला उठाना (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केरल अपने **सभी अधिकृत मैनहोल्स को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक** का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सीवेज की सफाई करने वाला **रोबोटिक सफाईकर्मी 'बैंडिकूट (Bandicoot)'** एक व्यक्ति की तरह ही कार्य करता है।
- यह मैनहोल में प्रवेश करता है, रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटाता है और उसे निर्दिष्ट स्थान पर छोड़ देता है।
- इसके अलावा, इसमें **वाटरप्रूफ एचडी विजन कैमरे और सेंसर लगे होते हैं,** जो मैनहोल्स के भीतर **हानिकारक गैसों का पता लगा सकते हैं।**

हाथ से मैला उठाने के बारे में

- 'हाथ से मैला उठाना' एक **अमानवीय (Dehumanising) कुप्रथा** है। इसमें शुष्क शौचालयों, सीवरों, सेप्टिक टैंकों, रेलवे लाइनों आदि से मानव मल की हाथ से सफाई एवं प्रबंधन किया जाता है। इसके लिए **झाड़ू** जैसे सामान्य साधनों का उपयोग किया जाता है।
- भारत में यह **जाति आधारित बलात् पेशा (Caste-based-forced occupation)** है।
- वर्तमान में देश भर में **"अभिनिर्धारित मैला उठाने वाले लोगों (Eligible manual scavengers)"** की संख्या लगभग 58,098 है।
- हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा का उन्मूलन अलग-अलग **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह न केवल अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों बल्कि **भारत के विधायी एवं संवैधानिक अधिदेश** के भी खिलाफ है। (इन्फोग्राफिक देखें)

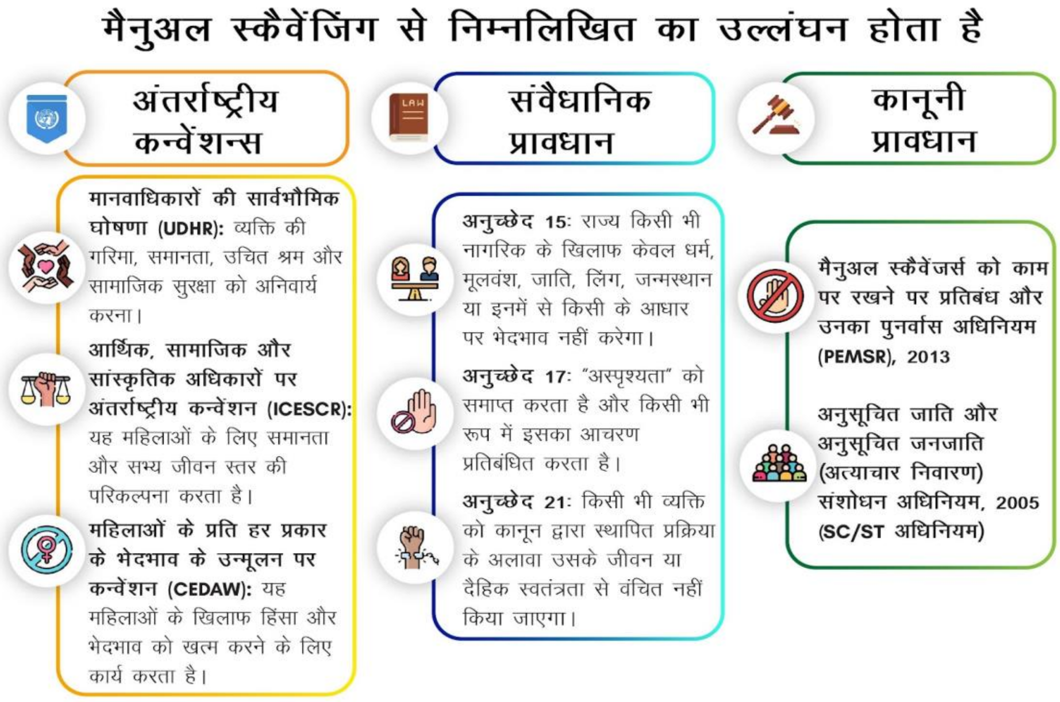

मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा के बने रहने के मूलभूत कारण

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** यह उनकी पहचान करने और उन्हें संबंधित अधिकार प्रदान करने को कठिन बनाता है।
- **कठोर कानून का न होना:** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून, 2013) के तहत सुरक्षात्मक उपकरणों की सहायता से मानव मल की सफाई को हाथ से मैला उठाना नहीं माना जाता है।
- **अप्रभावी कार्यान्वयन:** हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर 1993 में ही रोक लगा दी गई थी। हालांकि, कानून के शिथिल कार्यान्वयन के कारण यह प्रथा अभी भी जारी है।
- **जल की कमी:** भारत में कुछ ग्रामीण बस्तियों में उचित जल आपूर्ति की कमी है। इसके कारण लोगों को शौचालयों से हाथ से मलमूत्र हटाने के लिए विवश होना पड़ता है।
- **पुनर्स्थापन और पुनर्वास:** नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSKFDC) की विविध योजनाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में अनेक जटिलताएं विद्यमान हैं। ये जटिलताएं पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

- **प्रभावी संगठन का अभाव:** हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल लोग ट्रेड यूनियनों जैसे कुछ प्रभावी समूहों में संगठित नहीं होते हैं।
  - इसके अलावा, ये समाज के अत्यधिक वंचित वर्ग से आते हैं, जिससे उनका शोषण निरंतर जारी रहता है।
- **मशीनीकरण का अभाव:** सेप्टिक टैंक इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि उन्हें केवल हाथ से ही साफ किया जा सकता है।

हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए आगे की राह

मांग को समाप्त करना

- **अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान:** लोग शौचालय में बोतलें और अलग-अलग प्रकार के अपशिष्ट फेंक देते हैं, जो सीवर लाइन को अवरोधित करते हैं। इस तरह के कार्यों के खिलाफ जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
- **केरल मॉडल को उपयोग में लाना:** इसे मैनहोल की सफाई के लिए तकनीक आधारित समाधानों के उपयोग की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- **व्यवहारिक बदलाव:** कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) इस कुप्रथा के खिलाफ लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।
  - ऐसे व्यावहारिक बदलावों के लिए जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH) की दिशा में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

हाथ से मैला उठाना बनाम सीवरों की जोखिमपूर्ण सफाई

- सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। हालांकि, यह हाथ से मैला उठाने के कार्य से अलग है। वर्तमान में **मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम[43], 2013"** के तहत प्रतिबंधित है।
  - सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के जोखिमपूर्ण कार्य से **वर्ष 2017 से अब तक कम-से-कम 351 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।** हालांकि, अब देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा अस्तित्व में नहीं है।
  - हाथ से मैला उठाने वाले सभी लोगों की गणना की गई है और पुनर्वास योजना के लिए उनका नामांकन भी किया गया है।
  - **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS) का 'नमस्ते' योजना में विलय किया जाएगा।** ज्ञातव्य है कि SRMS योजना हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करती है।

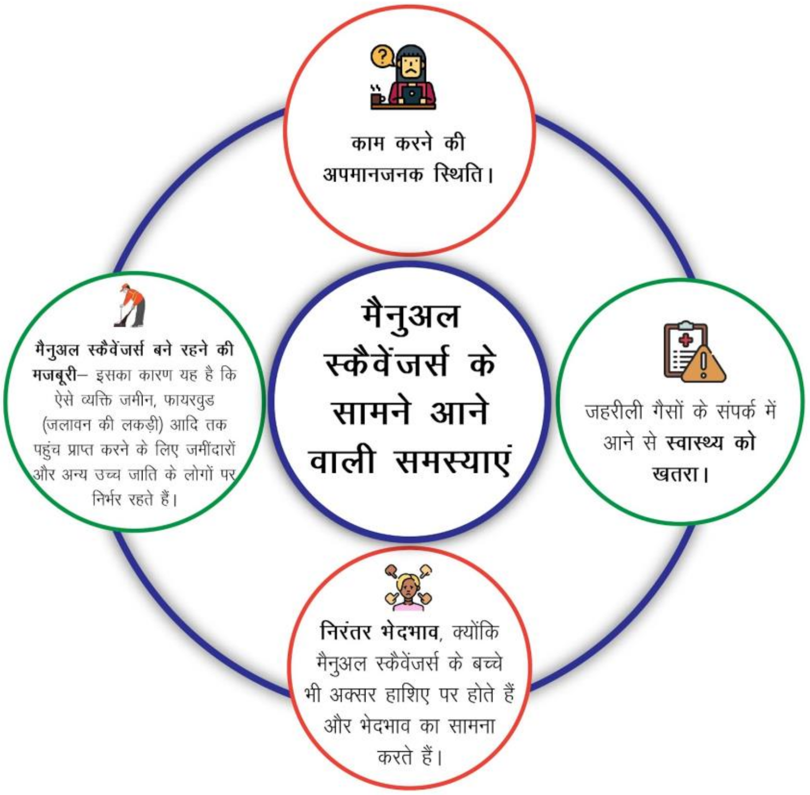

आपूर्ति को समाप्त करना:

- **पहचान:** इस कार्य में शामिल लोगों के बारे में सरकार के सर्वेक्षणों और अन्य रिपोर्टों में डेटा संबंधी विरोधाभास पाया जाता है।
  - इसलिए, समस्या की गंभीरता का निवारण करने के लिए ऐसे लोगों की समुचित पहचान करना आवश्यक है।
- **महिला सशक्तीकरण:** इस कुप्रथा में शामिल लोगों के पुनर्वास और सहायता के लिए प्रयास करने के दौरान, इसमें संलग्न महिलाओं की पहचान करना तथा उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना पहला कदम होना चाहिए।
- **पुनर्वास में सुगमता:** ऋण और कौशल विकास के प्रावधान आसानी से सुलभ होने चाहिए। साथ ही, मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून, 2013 के उल्लंघन के मामले में आसान कानूनी सहायता के लिए एक उचित तंत्र भी उपलब्ध होना चाहिए।
- **प्रतिनिधित्व प्रदान करना:** इस कुप्रथा में शामिल लोगों के हितों की सुरक्षा हेतु उन्हें ट्रेड यूनियनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और दबाव समूहों में संगठित किया जाना चाहिए।
- **समावेशी नीति निर्माण:** प्रणाली में विद्यमान कमियों को इस कुप्रथा में शामिल लोग अधिक स्पष्ट रूप से उजागर कर सकते हैं। इसलिए, हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल लोगों को नीति निर्माण में सक्रिय हितधारक बनाया जाना चाहिए।

---

[43]Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013

7.2. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)**[44] ने **आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC)**[45] के सहयोग से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **"टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट: ए डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस"** है।

जबरन विस्थापन के बारे में

- जबरन विस्थापन तब होता है, जब लोगों को **अपनी इच्छाओं के विरुद्ध अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।** यह मुख्यतः **सशस्त्र संघर्ष, सामान्य हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, आपदाओं आदि** जैसी घटनाओं या स्थितियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप होता है।
- **जबरन विस्थापन के प्रकार:** शरणार्थी; आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs); जलवायु शरणार्थी आदि।
- **जबरन विस्थापन के प्रभाव**
  - **मूल देश:** यदि जबरन विस्थापित लोग संघर्ष में ही फंसे रहे तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा पूंजीगत व मानव संसाधन की हानि भी होती है।
  - **मेजबान देश:** जनसांख्यिकीय दबाव, अवसंरचना पर बोझ, सुरक्षा संबंधी जोखिम, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि आदि मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा, मेजबान देश की वृद्ध होती आबादी के लिए जनसांख्यिकीय समाधान भी प्राप्त होता है।
- **विस्थापन के प्रभावों को कम करने के उपाय**
  - **वर्ष 1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय और 1967 का इसका उत्तरवर्ती प्रोटोकॉल:** ये शरणार्थी को परिभाषित करते हैं और इस मामले में सरकारों की जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करते हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR), 1950:** यह अपने मूल देश में स्वैच्छिक रूप से लौटने या स्थानीय स्तर पर एकीकरण और पुनर्वास को बढ़ावा देने आदि के लिए सहायता करता है।
  - **प्रथम वैश्विक शरणार्थी मंच, 2019:** यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करता है।
- **भारत** संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी यह लाखों शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करता है।

आंतरिक विस्थापन के बारे में

UNFCCC[46] के अनुसार, **"विस्थापन" प्रवासन का एक विशेष रूप है,** जिसमें व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है।

- **आंतरिक विस्थापन:** एक देश के भीतर नागरिकों की जबरन (इच्छा के विरुद्ध) आवाजाही को आंतरिक विस्थापन कहा जाता है।
- **आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs):** IDPs ऐसे व्यक्ति हैं, जो निम्नलिखित स्थितियों से बचने हेतु अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं:
  - सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव;
  - सामान्य हिंसा की स्थितियां;
  - मानवाधिकारों का उल्लंघन या प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाएं।

IDPs एवं अन्य आंतरिक प्रवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **अपर्याप्त डेटा:** यह सूचित निर्णय लेने में बाधा डालता है।

[44] United Nation Development Programme

[45] Internal Displacement Monitoring Centre

[46] संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय/ United Nations Framework Convention on Climate Change

VISION

- **श्रम बाजार का कमजोर होना:** लगभग 60% प्रवासी सुभेद्य श्रमिक (कृषि के बाहर) हैं, जो कम वेतन, उच्च जोखिम वाली नौकरियों और नौकरी से निकाले जाने के डर जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** लगभग सभी राज्य प्रवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे वे कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- **खराब शिक्षा:** 2011 की जनगणना के अनुसार **57.8% प्रवासी महिलाएं और 25.8% प्रवासी पुरुष निरक्षर** हैं। प्रवास के प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को कार्यस्थल के समीप शिक्षा सुलभ नहीं होती है।
- **स्वास्थ्य:** निम्न आय वाले अधिकांश आंतरिक प्रवासी मलिन-बस्तियों में रहते हैं। यहां पर उन्हें स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** अंतर्राज्यीय प्रवासी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतदान करने के लिए स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नामावली में उनका नाम होना चाहिए।

आगे की राह

- **अनुसंधान अंतराल को कम करना:** प्रवासन पर महिला और पुरुष से संबंधित डेटा को पर्याप्त रूप से दर्ज करने के लिए जनगणना के डिजाइन को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- **लक्षित नीतिगत ढांचा:** लोक सेवाओं एवं सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रवासियों के लिए लक्षित घटकों और विशेष पहुंच वाली रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है।
- **संस्थागत सुधार करना:** प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करना तथा प्रत्येक राज्य में 'प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ' की स्थापना करने की आवश्यकता है। साथ ही, सेवा वितरण में सुधार के लिए अंतर-जनपदीय तथा अंतर्राज्यीय समन्वय समिति का गठन करना भी आवश्यक है।

- **अनौपचारिक/ असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना:** इस योजना की सिफारिश असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) द्वारा की गई थी।
- **विकास प्रेरित विस्थापन को कम करने के लिए निम्नलिखित का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
  - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996;
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; तथा
  - अनुसूची V (जनजातीय) क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण विनियम।
- **संवेदीकरण:** प्रवासियों की लोक सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं के संदर्भ में नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना चाहिए।

7.3. वैश्विक जनसंख्या वृद्धि (World Population Growth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हाल ही में विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। साथ ही, यह **2080 और 2100 के बीच 10.4 अरब** तक पहुंच जाएगी।

वैश्विक जनसंख्या वृद्धि

- विश्व की जनसंख्या **1950 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़** रही है।
- जनसंख्या में होने वाली वृद्धि मुख्य रूप से **निम्न आय वाले देशों (LICs) में** होगी।
  - वर्ष 2022 और 2050 के बीच **दुनिया की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ आठ देशों में केंद्रित होगा। ये देश हैं- अफ्रीका** में कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया और तंजानिया तथा **एशिया** में भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस।
- वर्तमान समय में, **भारत चीन से आगे निकल कर** दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत 2100 तक शीर्ष स्थान पर बना रह सकता है।

जनसांख्यिकीय गिरावट

- **वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आ रही है।** 1963 में कुल जनसंख्या में **2.3 प्रतिशत की वृद्धि** हुई थी, जबकि 2022 में इसमें **केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि** हुई थी। यह **1950 के बाद से सबसे कम वृद्धि दर** है।
  - वैश्विक TFR वर्ष **1990 के 3.3 से कम होकर अब 2.3** हो गई है, जो "प्रतिस्थापन दर (2.1)" से थोड़ा अधिक है।
- वर्ष 2022 और 2050 के बीच, 61 देशों की जनसंख्या में **1 प्रतिशत से अधिक की कमी आने की उम्मीद** है।
- यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि **अब शून्य के करीब** है। 1960 के दशक में यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक थी।
- **जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशिया के कुछ देशों** में भी जनसांख्यिकीय गिरावट आ रही है।
- **जनसांख्यिकीय गिरावट के लिए उत्तरदायी कारण:**
  - बेहतर पोषण,
  - स्वास्थ्य देखभाल,
  - रहने की स्थिति और शिक्षा में सुधार,
  - महिलाओं के लिए विकल्पों में वृद्धि के कारण बाल मृत्यु दर में कमी,
  - लंबा जीवन काल और प्रति महिला कम बच्चों का जन्म।

घटती जनसांख्यिकी के परिणाम

- **राजकोषीय बाधाएं:** वृद्ध आबादी बचत और निवेश दोनों में कमी लाएगी। इसके परिणामस्वरूप वृद्धों पर कर का बोझ अधिक पड़ेगा अथवा उन पर खर्च में भी कमी होगी।
- **घटती चिंतन क्षमता:** युवा लोगों में चिंतन या विचार करने की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि उनमें रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता (fluid intelligence) होती है, जिससे वे समस्या को पूरी तरह से नए तरीके से हल कर सकते हैं।
  - वृद्ध लोगों के पास **'क्रिष्टलाइज़्ड इंटेलिजेंस'** अधिक होती है। इसमें वह ज्ञान शामिल होता है जो प्रायर लर्निंग और पिछले अनुभवों से आता है।
- **शून्य उद्यमिता (इंटरप्रेन्यूरिअल वैक्यूम):** अधिक वृद्ध आबादी वाले देश और उनके युवा कम उद्यमशील होते हैं तथा वे जोखिम लेने से बचते हैं।

भारत और चीन में जनसंख्या वृद्धि

- सन 1950 से विश्व की जनसंख्या वृद्धि में **भारत और चीन की 35% हिस्सेदारी** रही थी।
- हालांकि, 1980 से चीन ने एक-बच्चा नीति (One Child policy) को सख्ती से लागू किया था। इसके कारण चीन की जन्म दर में भारी कमी आई है थी और अब चीन की जनसंख्या में गिरावट आ सकती है।
  - वर्ष 2016 में चीन ने अपनी एक-बच्चा नीति को बदलकर 2 बच्चों की नीति कर दिया था। **चीन ने 2021 में 3 बच्चों की नीति को लागू कर दिया है।**

* इस अवधि में, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तथा **2064 में यह अपने शीर्ष पर अर्थात् 1.7 अरब तक पहुंच सकती है।**
    * हालांकि, भारत ने 'प्रतिस्थापन स्तर' की कुल प्रजनन दर (TFR) प्राप्त कर ली है, जो वर्तमान में 2.0 है।

भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

* **मृत्यु दर में आने वाली गिरावट:** शिशु मृत्यु दर (IMR) 2015-16 के 40.7 से घटकर 2019-21 में 35.3 हो गई थी।
* **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** यह 1947 के 31 से बढ़कर 2015-19 के दौरान 69.7 वर्ष तक पहुंच गई थी।
* **अनपेक्षित गर्भधारण:** विश्व में होने वाले प्रत्येक 7 अनपेक्षित गर्भधारण में से 1 भारत में होता है।
* **महिला शिक्षा का अभाव,** बाल विवाह और कम उम्र में विवाह होना आदि।

बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

* **संसाधनों पर दबाव:** भारत के पास वैश्विक स्थलखंड का केवल 2.45% और जल संसाधन का 4% ही मौजूद है।
* **महामारी का प्रकोप:** बढ़ते शहरीकरण और वन्य पर्यावासों में मनुष्यों के अतिक्रमण के कारण इसमें वृद्धि हुई है।
* **विघटन और संघर्ष:** सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष में वृद्धि के कारण इसे बढ़ावा मिलेगा।
* **सामाजिक संकेतकों में गिरावट:** सार्वजनिक व्यय का इष्टतम उपयोग न होने के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा पर पर्याप्त व्यय संभव नहीं हो पाता है।
* **अर्थव्यवस्था पर दबाव:** कम कुशल कार्यबल, गतिहीन अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आदि के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा।
* **लैंगिक अंतराल में वृद्धि:** यदि स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में कमी की जाती है, तो इससे महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान होगा।

जनसंख्या वृद्धि के लाभों का दोहन करने के लिए आगे की राह

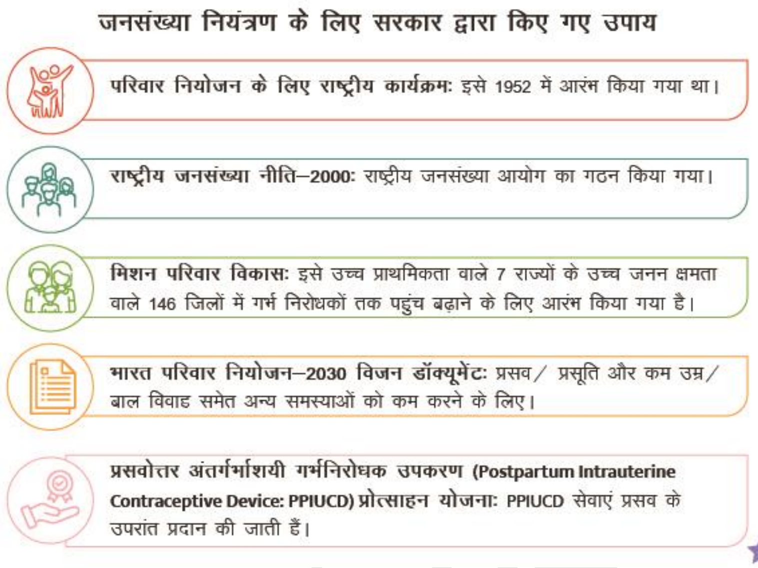

- **रीप्रोडक्टिव जस्टिस का समर्थन:** यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए प्रजनन के उपयुक्त विकल्प का चयन करने की स्वायत्तता प्रदान कर सकता है। परिवार नियोजन के सुरक्षित और प्रभावी समाधान वाले उपायों की मदद से प्रजनन क्षमता को कम किया जा सकता है।
- **सभी के लिए शिक्षा:** शैक्षिक उपलब्धियों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह मानव पूंजी के अंतर-पीढ़ीगत विकास को बढ़ाता है। साथ ही यह विवाह, प्रजनन क्षमता, स्वास्थ्य आदि के संबंध में जनसांख्यिकीय व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास और सुशासन की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। यह समाज में समानता को बढ़ावा देगा।
- कार्यबल की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए **प्रवासन की सुविधा** प्रदान करनी चाहिए।
- जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलित होने तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए **हरित प्रौद्योगिकी व सामाजिक नवाचारों में निवेश** करने की आवश्यकता है।
- 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए **बेहतर वृद्धावस्था देखभाल, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।**

8. विविध (Miscellaneous)

8.1. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (World Happiness Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR), 2023 में **137 देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान** प्राप्त हुआ है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- WHR को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) ने जारी किया है।
- यह रिपोर्ट **6 प्रमुख घटकों के आधार पर खुशहाली (हैप्पीनेस) के स्तर का मूल्यांकन करती है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- इस रिपोर्ट का लक्ष्य **कल्याण (Well-being) के प्रमुख निर्धारक तत्वों** की पहचान करना है।
- **प्रमुख देशों की रैंकिंग**
    - शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले तीन देश हैं- **क्रमश: फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड।**
    - **अफगानिस्तान, लेबनान, सिएरा लियोन** तीन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं।
    - भारत का स्थान **यूक्रेन, रूस और अपने पड़ोसी देशों** (जैसे- चीन, नेपाल, श्रीलंका तथा बांग्लादेश) से भी नीचे है।
    - उभरती अर्थव्यवस्थाओं में **भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे कम उपयोग (31%)** होता है। यह देश में निवासियों के मध्य आपसी संवाद व अंतर्क्रिया के निम्न स्तर का संकेत देता है। इसके **परिणामस्वरूप खुशहाली के स्तर में गिरावट** आती है।
    - **भूटान** को WHR 2023 में **सूचीबद्ध नहीं किया गया** है।

खुशहाली क्या है और खुशहाली कैसे प्राप्त होती है?

- खुशी को मन की एक स्थायी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें न केवल खुशहाली अपितु संतुष्टि और अन्य सकारात्मक भावनाएं भी शामिल होती हैं। इसके साथ ही, इसमें यह भावना भी शामिल होती है कि **व्यक्ति (स्वयं के चिंतन में) का जीवन सार्थक और मूल्यवान है।**
    - अरस्तू ने इसे एक **अच्छे या समृद्ध जीवन** के रूप में वर्णित किया है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि **"संतोषं परम् सुखम्"** अर्थात् **संतुष्ट रहना ही खुशहाली है।**
    - महात्मा गांधी का मानना है कि **"खुशी तब मिलती है जब आपकी सोच, आपके वक्तव्य और आप के कार्यों में सामंजस्य होता है।"**
- खुशहाली **आय, सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक रिश्तों और सकारात्मक भावनाओं आदि** से प्राप्त की जा सकती है।

खुशहाली क्यों मायने रखती है?

खुशी वह चीज है जिसे हम उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिनसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। इसलिए, यह इतना अधिक मायने रखती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि खुशी सिर्फ हमें अच्छा महसूस नहीं कराती है, बल्कि इसके कई अन्य सकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जैसे:

- **बेहतर निर्णयन क्षमता:** खुश रहने वाले लोगों को **निर्णय लेने में कम समय लगता है।** साथ ही, खुशी **जोखिम लेने के हमारे व्यवहार को प्रभावित भी नहीं** करती है।
- **सफलता की कुंजी:** जो स्कूल **बच्चों के भावनात्मक कल्याण** पर अधिक ध्यान देते हैं, वे **बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों और व्यवहार कुशलता में महत्वपूर्ण सुधार लाने में सफल** हो पाते हैं।
- **समाज के लिए लाभ:** खुश रहने वाले लोगों का **समग्र स्वास्थ्य बेहतर** होता है तथा वे **लंबे समय तक जीवित रहते** हैं। ऐसे लोग स्वैच्छिक सेवाओं तथा सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। साथ ही, उनके मादक पदार्थों के सेवन जैसे जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना भी कम होती है।
    - **एक खुशहाल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति** को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार खुश रहने वाले लोग अपने आस-पास के लोगों को भी खुश रहने में मदद करते हैं।

- **अर्थव्यवस्था को लाभ:** खुश लोग आर्थिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार होते हैं। उनमें ज्यादा बचत करने की प्रवृत्ति होती है तथा वे अपने खर्चों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना:** खुशहाल लोगों के मतदान करने की संभावना अधिक होती है। वे कानून और व्यवस्था का सम्मान करते हैं तथा दूसरों की सहायता भी अधिक करते हैं।

WHI में भारत का स्थान इतना नीचे क्यों है और इस पर भारत का क्या रुख है?

भारत के विदेश मंत्री ने भारत के संबंध में इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ मुद्दों को रेखांकित किया है। **इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:**

- उच्च रैंक प्राप्त करने वाले कई देशों में मौजूद तथा **लगातार बने रहने वाले मुद्दों** की अनदेखी करना, जैसे- स्कूलों से लेकर सड़कों तक होने वाली बंदूक से संबंधित हिंसा; पेंशन और नौकरियों को लेकर नागरिक अशांति आदि।
- **'खुशहाली व्यक्तिपरक होती है'** तथा अलग-अलग देशों में नागरिक एक ही तरह से और एक ही अनुपात में खुशहाली का अनुभव नहीं कर सकते हैं।
  - **सामाजिक विज्ञान और विकास से जुड़े** प्रत्येक क्षेत्रक में हमेशा **देश-विशिष्ट मानदंड** होते हैं। खुशहाली का मापन इसका अपवाद नहीं हो सकता है।
- **सामाजिक रिश्ते** खुशहाली के उच्च स्तर से सबसे अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। भारत में यह दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत व्यापक और परोपकारी है।

निष्कर्ष

वास्तविक ख़ुशहाली पाने के लिए दुनिया भर के लोग पीढ़ियों से भारत आते रहे हैं। इस देश में प्रचलित आध्यात्मिकता और कुछ नहीं बल्कि वह विज्ञान है जो खुशहाली को बढ़ावा देने से संबंधित ज्ञान, तकनीकों तथा प्रक्रियाओं को दर्शाता है। एक ऐसे प्रभावी तंत्र की जरूरत है, जो लोगों तक खुशहाली के कौशल को पहुंचा सके।

8.2. सोशल मीडिया और समाज (Social Media and Society)

सोशल मीडिया और समाज - एक नज़र में

सोशल मीडिया: वेब 2.0 वस्तुतः इंटरएक्टिव इंटरनेट–आधारित एप्लीकेशंस का समूह होता है। यह आभासी नेटवर्कों और समुदायों के माध्यम से लोगों को अपने विचार, सोच और जानकारी को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए– विकिपीडिया जैसी संयुक्त परियोजना, ट्विटर जैसे ब्लॉग, यूट्यूब जैसे कंटेंट समुदाय, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आदि।

समाज के लिए सोशल मीडिया के फायदे

- युवाओं का राजनीतिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- शिक्षा के लिए रूपांतरकारी साधन।
- वंचित समुदायों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है।
- महिला सशक्तीकरण में सहायता और लैंगिक विभाजन को कम करने में सहायक है।
- बुजुर्गों के लिए एक सामाजिक सहयोग प्रणाली प्रदान करता है।
- सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए एक मंच प्रदान करता है और सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- बेहतर अभिशासन एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन की सुविधा प्रदान कराता है।

सोशल मीडिया विनियमन की आवश्यकता क्यों?

- **समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण: सोशल मीडिया लोगों को उनके दृष्टिकोण के आधार पर बांटता है।** इसके फलस्वरूप, लोग मुद्दों पर हठधर्मी राय बना लेते हैं और विश्व के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं।
- **नैतिक एवं निजता संबंधी चिंताएं जैसे कि वित्तीय धोखाधड़ी, मानवाधिकार हनन, ऑनलाइन दुर्व्यवहार आदि।**
- मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, मानव व्यवहार में बदलाव और समाज–विरोधी व्यवहार को नियंत्रित करके समाज की अक्षमता के रूप में सामाजिक क्षति।
- गलत सूचना और फेक न्यूज की बढ़ती घटनाएं, जिसके कारण दंगा फसाद, जान से मारने की धमकी से लेकर हत्या तक आदि परिणाम हो सकते हैं।
- सोशल मीडिया पर गैर–कानूनी एवं आतंकवादी गतिविधियों के कारण **लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा और सुरक्षा संबंधी जोखिम।**

सोशल मीडिया विनियमन के समक्ष चुनौतियां

- **गलत सूचनाओं से निपटना:** यह निर्णय करने में कठिनाई कि कौन–सा कंटेंट फेक है और कौन–सा नहीं।
- **नफरत फैलाने वाले भाषण का विनियमन करना:** स्वीकृत और प्रतिबंधित भाषण के बीच आधिकारिक रेखा खींचना एक कठिन कार्य है।
- **संसाधनों की कमी** और त्वरित गति से आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट का पता लगाने एवं उसे हटाने से संबंधित कार्य प्रणाली का अभाव।
- **जवाबदेही निर्धारित करने से संबंधित मुद्दे,** क्योंकि कंटेंट उपयोगकर्ता द्वारा सृजित किए जाते हैं न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा।
- सरकारी विनियमों का अनुपालन काफी खर्चीला होता है, **जो प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार को बाधित करता है। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है।**
- कंटेंट का विनियमन **वाक् स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है और असहमति को दबा सकता है।** इससे देश की लोकतांत्रिक संरचना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।

वर्तमान उभरते युग में सोशल मीडिया को मजबूत करने के उपाय

- निम्नलिखित कदमों को उठाकर लोगों द्वारा गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्व–विनियमन करना:
  - कंटेंट में संतुलन लाने के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन करना।
  - कंटेंट की समीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मॉडरेटर की संख्या और प्रयासों का विस्तार करना।
- निम्नलिखित के माध्यम से सरकार की भूमिका को फिर से निर्धारित करना:
  - कंटेंट मानक और प्रवर्तन संबंधी दिशा–निर्देशों को समय–समय पर अपडेट करना और निर्धारित करना।
  - ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने के लिए सकारात्मक उपायों का समर्थन करना।
  - सभी प्लेटफॉर्म्स के बुनियादी कार्यों में पारदर्शिता संबंधी अनिवार्यताओं को निर्धारित करना।
- समाज के वंचित वर्गों के लिए सोशल मीडिया की पहुँच में वृद्धि करके सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल के लिए सामाजिक क्षमता का निर्माण करना।

8.3. भारत में खेल (Sports in India)

भारत में खेल: एक नज़र में

व्यक्ति के जीवन और समाज में खेलों का महत्व

स्पोर्ट्स वस्तुतः टीम भावना, निष्पक्ष खेल की भावना, धैर्य, लचीलापन और कड़ी मेहनत, जैसे– **चरित्र एवं सत्यनिष्ठा संबंधी मूल्यों को विकसित** करते हैं।

ये कार्यक्रमों, भागीदारी और प्रतियोगिताओं के रूप में लोगों को एक साथ लाकर एक **सक्रिय समाज का निर्माण करते हैं।**

खेल **समानता और समावेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म** तैयार करता है। साथ ही, सामूहिक स्मृति के लिए घटनाओं, प्रतीकों और किंवदंतियों को अंकित करके **संस्कृति और विरासत का निर्माण करता है।**

भारत की खेल यात्रा का विकास–क्रम

- 1900 के पेरिस ओलंपिक में **भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश के तौर पर ओलंपिक में भाग लिया था।**
- 1980 के मास्को ओलंपिक तक भारत का **हॉकी में प्रभुत्व** था।
- 1956 से 2004 तक भारत **केवल एक पदक जीत पाया और इसके प्रदर्शन में कोई ठोस बदलाव नहीं आया।**
- पदकों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मामले में **बीजिंग ओलंपिक एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।** इसके साथ ही पदक तालिका में भी भारत की स्थिति में सुधार देखने को मिला।
- ओलंपिक के अलावा, भारत **क्रिकेट और कबड्डी** में एक प्रमुख भागीदार रहा है। **इसके अलावा, यह हाल के दिनों में शतरंज और बैडमिंटन में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है।**

भारत के खराब प्रदर्शन के कारण

- **खेलों में रुचि पैदा करने में बाधा:** शिक्षा व्यवस्था में कमी, भेदभाव, कुपोषण, गरीबी आदि के चलते कई लोग खेलों में रुचि नहीं दिखाते हैं।
- **खेल को अपना पेशा बनाने में बाधा:** "हीरो या जीरो" सिंड्रोम की व्यापकता के चलते भविष्य की संभावनाओं के बारे में अनिश्चितता, अवसंरचनात्मक कमियां आदि।
- **खिलाड़ियों के समक्ष आने वाली बाधाएं:** गुणवत्तायुक्त कोचिंग स्टाफ की कमी, खेल अवसंरचना का सही उपयोग नहीं करना, आदि।
- **अन्य समस्याएं:** वित्त–पोषण का अभाव, खेल संघों का राजनीतिकरण, आदि।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- समग्र शिक्षा अभियान के भाग के रूप में **स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देना।**
- **राष्ट्रीय खेल विकास निधि** और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS)।
- भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से **विशेष क्षेत्र खेल योजना।**
- **खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE)।**
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय,** खेलो इंडिया योजना, मिशन ओलंपिक सेल (MOC), टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS)।
- **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सूची में खेलों** को शामिल करना।
- कुछ राज्यों द्वारा **उद्योग के रूप में खेलों से संबंधित घोषणा–पत्र जारी करना।**

भारतीय संस्कृति के ताने–बाने में खेलों को समाहित करने के लिए आगे की राह

- **खेलने के लिए प्रोत्साहित करना:** स्कूली शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में खेल को अपनाना; खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना; करियर के रूप में खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाना; पारंपरिक खेलों का समर्थन करना आदि।
- **मनोरंजन के लिए खेलों में भाग लेना:** सभी स्तरों पर सभी प्रमुख खेलों के लिए व्यवस्थित प्रतियोगिताओं और लीगों को संगठित करना; सामुदायिक बातचीत में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना; खेल की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए मीडिया का उपयोग करना आदि।
- **जीतने हेतु समर्थन करना:** सही समय पर सही खिलाड़ी को समर्थन देना; टेस्टिंग टाइम के दौरान सहायता प्रदान करना; अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना; खेल संघों को मजबूत करना; निजी प्रायोजन की संस्कृति का निर्माण करना आदि।

9. परिशिष्ट

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

केयर इकोनॉमी

- **भारत की GDP का 1%** हिस्सा **केयर इकोनॉमी** पर खर्च होता है। **भारत में महिलाओं के अवैतनिक कार्य का मूल्य GDP का 3.1%** है। इसके अलावा, महिलाएं भावनात्मक कार्य के बोझ तले भी दबी हुई हैं।
- **महिलाओं पर प्रभावः** समय का अभाव, अवसर लागत, कार्यस्थल पर भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा, जलवायु से संबंधित आघातों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि आदि।
- **आगे की राहः** अवैतनिक काम का मापन और उसका आकलन, देखभाल नीतियों तक सार्वभौमिक पहुंच, जेंडर–न्यूट्रल तथा सार्वजनिक रूप से वित्त–पोषित अवकाश नीतियां।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

- POSH अधिनियम, 2013 **"विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (1997)** पर आधारित है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकना, प्रतिबंधित करना और उनका निवारण करना है।
- यह कानून 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** के गठन का प्रावधान करता है।
- **चुनौतियांः** कानून के प्रति संगठनों का उपेक्षापूर्ण रवैया, रिपोर्टिंग संबंधी बाधाएं आदि। साथ ही, यह कानून केवल महिलाओं को ही सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि, वास्तव में किसी भी जेंडर का व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है।
- **आगे की राहः** जीरो टॉलरेंस नीति, सभी संगठनों में ICC की स्थापना, कानून को जेंडर–न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए।

निर्भया कोष

- 2012 में 'निर्भया कोष' की स्थापना की गई थी। यह देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित एक गैर–व्यपगत निधि है।
- इसकी प्रमुख पहलों में अग्रलिखित शामिल हैं: **वन स्टॉप सेंटर की स्थापना; सुरक्षा उपकरणों का विनिर्माण; फास्ट–ट्रैक कोर्ट की स्थापना; आदि।**
- **चुनौतियांः** अपर्याप्त निधि, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रोपोजल का अभाव, आवश्यकता से कम आवंटन (मिशन शक्ति के लिए आवंटन इसके घटक से 10% कम है), सामान्य अवसंरचना के निर्माण पर अधिक बल, पारदर्शिता का अभाव आदि।
- **आगे की राहः** कोष में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाना;स्थानीय समुदायों, पुलिस, NCRB, मनोवैज्ञानिकों आदि को शामिल करके सभी प्रमुख शहरों से फीडबैक लेना चाहिए; **शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता** आदि क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

महिलाओं के विवाह की आयु

- **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है।**
- **लाभः** विवाह के मामले में लैंगिक तटस्थता सुनिश्चित होगा, बाल विवाह में कमी आएगी, महिलाओं को शिक्षा का अधिक अवसर मिलेगा और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी आदि।
- **आगे की राहः** व्यापक लोक जागरूकता अभियान चलाना; बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण; स्कूलों और महाविद्यालयों तक पहुंच को सुगम बनाकर महिला सशक्तीकरण करना।

सरोगेसी

- सरोगेसी का विनियमन **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021** के तहत किया जाता है।
- **अधिनियम से संबंधित मुद्देः अपवर्जन प्रवृत्ति** (यह अधिनियम केवल कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष को ही सरोगेसी सेवाएं लेने की अनुमति देता है); 'बंध्यता' के अर्थ को केवल गर्भ धारण करने की असमर्थता (बांझपन) तक ही सीमित रखा गया है; **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध** से सरोगेट मदर की आय के एक स्रोत पर रोक लग गया है।
- **आगे की राहः** मातृत्व लाभ दोनों माताओं को दिया जाना चाहिए; सरकार को लोगों को सरोगेसी का सहारा लेने की अनुमति देने से पहले आई.वी.एफ. उपचार के लिए निर्धारित समय को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए; व्यावसायिक सरोगेसी को शामिल करने के लिए सरोगेसी के विकल्प का समय से परे विस्तार करना चाहिए।

भारत में गर्भपात कानून

- गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 सभी **महिलाओं को गर्भधारण अवधि के 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति** देता है। गौरतलब है कि 24 सप्ताह से अधिक के इस अवधि का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय द्वारा किया गया है।
- **MTP अधिनियम को लागू करने में चुनौतियांः** योग्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव, धार्मिक बाधाएं, सामाजिक कलंक, कानून के बारे में जागरूकता की कमी आदि।
- **आगे की राहः** महिलाओं को शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता देना, सामाजिक कलंक का समापन करना, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि करना, धार्मिक गुरुओं की सहायता लेना।

WASH तथा लैंगिक असमानता

- WASH' जल **(Water)**, **सैनिटेशन / स्वच्छता (Sanitation) और साफ–सफाई (Hygiene)** के लिए एक सामूहिक शब्द है।
- यह **SDG 3** (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) तथा **SDG 6** (सभी के लिए स्वच्छ जल और सैनिटेशन) से संबंधित है।
- भारत में **एक चौथाई ग्रामीण घरों की महिलाएं और लड़कियां** प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय पानी इकट्ठा करने में लगाती हैं।
- **WASH में लैंगिक असमानता के कारणः** ज्ञान का अंतर, पहुंच में कमी, वहनीयता अंतराल, भेदभावपूर्ण कानून, कम बजटीय आवंटन।
- **आगे की राहः** सुरक्षित एवं स्वच्छ पीरियड्स सामग्री, पहुंच, लैंगिक रूप से संवेदनशील भवन संहिता, WASH के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनी गारंटी, स्थानीय सरकारों की क्षमता का निर्माण।

शहरीकरण और महिलाएं

- **शहरी क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियांः** प्रायः शहरी नियोजन में महिला सुरक्षा आदि का ध्यान नहीं रखा जाता; शहरों में वीरांगनाओं की मूर्तियों का अभाव; ज्यादातर सड़क पुरुषों के नाम पर हैं; शहरी महिलाओं के बीच अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, अवैतनिक देखभाल संबंधी काम–काज, यौन हिंसा, जलवायु परिवर्तन का अनुपातहीन बोझ आदि।
- **आगे की राहः** महिला अनुकूल शहरों का निर्माण और सभी स्तरों पर गवर्नेंस; सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से स्थानों को डिजाइन करना; सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था में सुधार करना; स्वच्छ जल और सैनिटेशन सुविधाएं; जलवायु कार्रवाई में महिला नेतृत्व आदि।

'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO)' अधिनियम, 2012

- POCSO अधिनियम **बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति) को लैंगिक हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों** से बचाने वाला एक विशेष कानून है।
- इसमें **बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों के मामले में कठोर सजा देने के लिए वर्ष 2019** में संशोधन किया गया था।
- इसमें **मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान** किया गया है।
- POCSO अधिनियम के तहत **प्रत्येक चार केस में से एक केस** रोमैन्टिक केस या प्रेम संबंध से जुड़ा होता है और **93.8% मामलों में आरोपियों** को निर्दोष पाया गया है।

भारत में बच्चों को गोद लेना (Child Adoption in India)

- भारत में लगभग **29.6 मिलियन बच्चे असहाय, अनाथ और परित्यक्त** हैं, लेकिन हर साल केवल 3,000–4,000 बच्चों को ही गोद लिया जाता है।
- दत्तक–ग्रहण का काम **JJ अधिनियम और दत्तक ग्रहण नियम, 2017** द्वारा प्रशासित होता है।
- **दत्तक–ग्रहण में चुनौतियांः** बच्चों को संस्थागत देखभाल में नहीं रखा जाता है, केंद्रीकृत देखभाल प्रणाली, दत्तक–ग्रहण में रुकावट के अधिक मामले, अन्य कानूनी विकल्पों का होना।
- **आगे की राहः** परामर्श देना और संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना, बाल देखभाल केंद्रों (CCCs) का अनिवार्य पंजीकरण, गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना।

ट्रांसजेंडर्स

- अनुच्छेद 14,15, 16, 19 और 21 के तहत प्राप्त **संवैधानिक अधिकार।**
- **NALSA बनाम भारत संघ, 2014** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को मान्यता दी है।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 2018** मामले में समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** ट्रांसजेंडर्स को परिभाषित करता है और उनके अधिकारों को सूचीबद्ध करता है।
- **ट्रांसजेंडर्स के सामने आने वाली चुनौतियांः** हाशियाकरण और सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच, ट्रांसफोबिया।
- **आगे की राहः** नीति निर्माण में बदलाव, बुनियादी जरूरतों का समाधान करना, स्कॉलरशिप, जेंडर–न्यूट्रल यौन उत्पीड़न तंत्र।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- PVTGs ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या स्थिर या घट रही है, जिनमें साक्षरता का स्तर निम्न है, जो कृषि–पूर्व (Pre-agriculture) युग की तकनीक अपनाते हैं, और जो आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े हैं। वर्तमान में 75 PVTGs को मान्यता दी गई है।
- **चुनौतियां:** निम्न साक्षरता दर (10% से 44% के बीच), अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित होना, घटती जनसंख्या, वनों की कटाई से आजीविका के सामने खतरा, समय के साथ विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का क्षीण होना।
- **आगे की राह:** सोच–विचार कर नीति निर्माण के लिए सटीक जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करना, PVTGs सूची को अपडेट करना, इनकी भूमि और परंपरागत अनुष्ठानों से संबंधित अधिकारों को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है, सरकार पर विश्वास करना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल

- FLN से तात्पर्य **पढ़ने, लिखने और गणित में बुनियादी कौशल** से है। यह **कक्षा 3 के अंत तक** मूल पाठ को पढ़ने और समझने तथा साधारण गणितीय गणना करने की क्षमता है।
- **FLN प्राप्त करने में चुनौतियां:** अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता, **भारत में शिक्षकों के 19% पद रिक्त हैं, कुपोषण, खराब अवसंरचना** जैसे कि पेयजल, शौचालय इत्यादि।
- **आगे की राह:** शिक्षा के माध्यम के रूप में परिचित भाषा का प्रयोग, शिक्षक और बच्चों के बीच सार्थक परस्पर अंतःक्रिया, प्रत्येक समुदाय से भाषा में निपुण शिक्षकों की नियुक्ति करना, **घर में शिक्षा।**

प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा

- भारत में 3–8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए।
- **मुख्य विशेषताएं:** 8 वर्ष की आयु तक छात्रों को केवल उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में नैतिकता संबंधी घटक को शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है, शिक्षा के लिए पंचकोश प्रणाली।
- **महत्व:** लर्निंग (सीखने) के लिए महत्वपूर्ण आयु, आजीवन सीखने का आधार, शिक्षाशास्त्र में सुधार, राष्ट्र के लिए बेहतर मानव संसाधन।

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

- प्रस्तावित NCFSE **3 से 18 वर्ष की आयु** वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है।
- **मुख्य विशेषताएं:** कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं किया जाएगा, कक्षावार अध्यापन विषयक (Pedagogical) दृष्टिकोण, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं के एकीकरण का प्रस्ताव है।
- **महत्त्व:** अलग–अलग विषयों को पढने का अवसर प्रदान करता है, छात्रों को अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, समानता प्रदान करता है, सीखने के स्तर में सुधार करता है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता

- **कई एजेंसियों को आवधिक स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा** गया है।
- **चुनौतियां:** दोहराव और ओवरलैपिंग, केंद्रीकृत प्रणाली, कम भागीदारी (देश भर में 1,113 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से केवल 418 विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं), भ्रष्टाचार।
- **आगे की राह:** सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम के लिए समग्र मूल्यांकन प्रणाली, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, HEIs को उनके काम करने के तरीके/ विज़न और विरासत/ परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना।

राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (NDU)

- NDU को ऑनलाइन उच्चतर शिक्षा कोर्स प्रदान करने के लिए अलग–अलग उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **चुनौतियां:** इस बात पर अस्पष्टता है कि क्या उद्योग पारंपरिक डिग्री कार्यक्रमों और डिजिटल डिग्री कार्यक्रमों के बीच समानता को मान्यता देंगे अथवा नहीं, मानकीकृत मूल्यांकन में कठिनाइयां, शिक्षा की गुणवत्ता से संभावित समझौता, कौशल विकास की कमी और डिजिटल विभाजन।
- **आगे की राह:** उद्योग–अकादमिक संबंधों को मजबूत करना, सहपाठी के साथ सीखने के लिए समूहों का गठन किया जा सकता है, उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करना, छात्रों व परामर्शदाताओं/ फैकल्टी/ पेशेवरों के बीच संचार नेटवर्क और जुड़ाव तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान

- **FHEIs से जुड़ी चिंताएं:** उच्चतर शिक्षा का वस्तुकरण, सीखने की उच्च लागत के कारण कमजोर वर्गों का प्रवेश कठिन होगा, यह भाषा–समावेशी उच्चतर शिक्षा के लिए नुकसानदायक होगा, भारत से अर्जित लाभ का उनके घरेलू देशों में विप्रेषण, पश्चिमी प्रभाव।
- **आगे की राह:** भारतीय विश्वविद्यालयों और FHEIs के बीच सहयोगात्मक संरचना का निर्माण, भारतीय HEIs के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, सरकार पिछड़े वर्गों और हाशिए पर रहे वर्गों के छात्रों को FHEIs के भारतीय परिसरों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर सकती है।

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- ऐसा अनुमान है कि भारत में **AI का बाजार 20.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ते हुए वर्ष 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो जाएगा।
- **चुनौतियां:** व्यापक नीति का अभाव, राज्यों के पास अपर्याप्त क्षमता, शिक्षा पर घटता व्यय (सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% से भी कम), डिजिटल डिवाइड।
- **आगे की राह:** व्यापक योजना तैयार करना, इंटेलीजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स, डेटा अनामिकता और एल्गोरिदम संबंधी निष्पक्षता को बढ़ावा देना, AIED में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान।

सार्वभौमिक टीकाकरण

- टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को आमतौर पर टीका देकर संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरक्षित या प्रतिरोधी बनाया जाता है।
- **चुनौतियां:** महंगे टीके, इबोला और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए टीकों की अनुपलब्धता, टीके को लेकर झिझक, महामारी, युद्ध या आपदाओं के कारण टीका वितरण की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।
- **आगे की राह:** वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए **सरकार, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच प्रभावी** साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। भय के निवारण और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करके **टीके से संबंधित संशय को दूर करने के लिए जागरूकता** कार्यक्रम चलाने चाहिए। कमजोर वर्गों जैसे **प्रवासी कामगारों लक्षित** किया जाना चाहिए।

आयुष्मान भारत योजना

- इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा के तहत वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- **2 घटक:** स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM–JAY)।
- **PM–JAY से संबंधित समस्याएं:** निजी अस्पतालों में भ्रष्टाचार, आवंटित बजट से भी कम खर्च, डिस्चार्ज के बाद केवल 15 दिनों की दवाएं, गरीब राज्यों के प्रति पक्षपात।
- **आगे की राह:** सरकार को **PMJAY की श्रेणी से सरकारी अस्पतालों को हटा देना चाहिए, अनैतिक कार्यों में लिप्त अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, PM–JAY** नेटवर्क अस्पतालों में लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, **वास्तविक समय आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए** ताकि अनुसंधानकर्ता विश्लेषण कर सकें।

छात्र आत्महत्या

- NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2020 तक **18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या से होने वाली मौतों में 18.5% की वृद्धि हुई है।**
- **छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने में चुनौतियां:** मामलों की कम रिपोर्टिंग, तथ्यों को दबाना, किशोरावस्था वाला फेज, शिक्षण संस्थानों में जीवन के नए तरीके के साथ समायोजन, समाधान के लिए 'वन–साइज़–फिट्स–ऑल' दृष्टिकोण।
- **आगे की राह:** 'उम्मीदों के पूरा न होने की स्थिति' को कम–से–कम करना; माता–पिता तथा बच्चे के मध्य संचार में सुधार करना; साथ में रहने वाले मित्र के व्यवहार में आए बदलाव की सहपाठियों द्वारा शीघ्र पहचान किया जाना और सतर्क करना; उपचारात्मक शिक्षण और धीमी गति से सीखने वालों के लिए सरल निकासी या अगली कक्षा में प्रमोट करना, कल्याण और जीवन कौशल को बढ़ावा देना।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)

- आशा कार्यकर्ता **महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता** होती हैं। ये वर्ष 2005 में शुरू किए गए **'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)'** के अंतर्गत आती हैं।
- **आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं:** अपर्याप्त प्रोत्साहन राशि, पितृसत्तात्मक बाधाएं, खराब बुनियादी ढांचा, अधिक कार्यभार।
- **आगे की राह:** समय–समय पर उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन देना, आशा कार्यकर्ताओं के काम को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, सामुदायिक संवेदीकरण आदि।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स

- भारत 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में 121 देशों में से 107वें स्थान पर है, जबकि इसका 2021 में 101वां स्थान था।
- **चुनौतियां:** भूख की बहुआयामी प्रकृति, चावल और गेहूं पर अत्यधिक ध्यान, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति में गिरावट, अनाज की बर्बादी आदि।
- **आगे की राह:** खाद्य सामग्री की विविधता, जलवायु–स्मार्ट और पोषण–संवेदनशील उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार, पोषण सुरक्षा के लिए जागरूकता और अनाज की बर्बादी पर रोक।

पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) अभियान

- इसे 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की **निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन करने** के लिए शुरू किया गया था।
- **पोषण अभियान के कार्यान्वयन में चुनौतियां:** आंगनबाड़ी केंद्रों (AWCs) के बुनियादी ढांचे का अभाव, **फंड का कम उपयोग, कुपोषण** से ग्रसित बच्चों पर रीयल–टाइम डेटा अनु**पलब्ध।**
- **आगे की राह: पोषण–प्लस रणनीति** जो स्वच्छता, शिक्षा जैसे अन्य सामाजिक निर्धारकों पर भी ध्यान केंद्रित करती हो, ICDS और हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना, ईट राइट और फिट इंडिया अभियान।

हाथ से मैला उठाना

- हाथ से मैला उठाना' एक अमानवीय (Dehumanising) कुप्रथा है। **इसमें मानव मल की हाथ से सफाई एवं प्रबंधन किया जाता है। इसके लिए झाड़ू जैसे सामान्य साधनों का उपयोग किया जाता है।**
- भारत में यह **जाति आधारित बलात् पेशा** है।
- **मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा के उन्मूलन में चुनौतियां:** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था; स्कैवेंजिंग अधिनियम, 2013 में व्याप्त कमियां; अप्रभावी कार्यान्वयन; जल की कमी; पुनर्स्थापन और पुनर्वास की जटिल प्रक्रिया।
- **आगे की राह:** अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, तकनीक आधारित समाधानों के उपयोग करना (केरल मॉडल), हाथ से मैला ढोने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना, मैला ढोने वालों को ट्रेड यूनियनों में शामिल करना और उन्हें नीति निर्माण में हितधारक बनाना।

आंतरिक विस्थापन

- **आंतरिक रूप से विस्थापित** व्यक्ति (IDPs) वे लोग हैं, जो कई कारणों से अपने घरों से पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने देश के भीतर ही रहते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापितों की संख्या 5.9 करोड़ से अधिक हो गई है (2021)।
- **चुनौतियां: अपर्याप्त डेटा,** ज्यादातर विस्थापित प्रवासी कम मजदूरी पर उच्च जोखिम वाली नौकरियां करते हैं, **सामाजिक सुरक्षा का अभाव, निम्न स्तर की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं,** सीमित राजनीतिक भागीदारी।
- **आगे की राह:** डेटा संग्रह; सुसंगत नीतिगत ढांचा; अनौपचारिक/ असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना; PESA, 1996 और FRA, 2006 का पालन करना; **नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना आदि।**

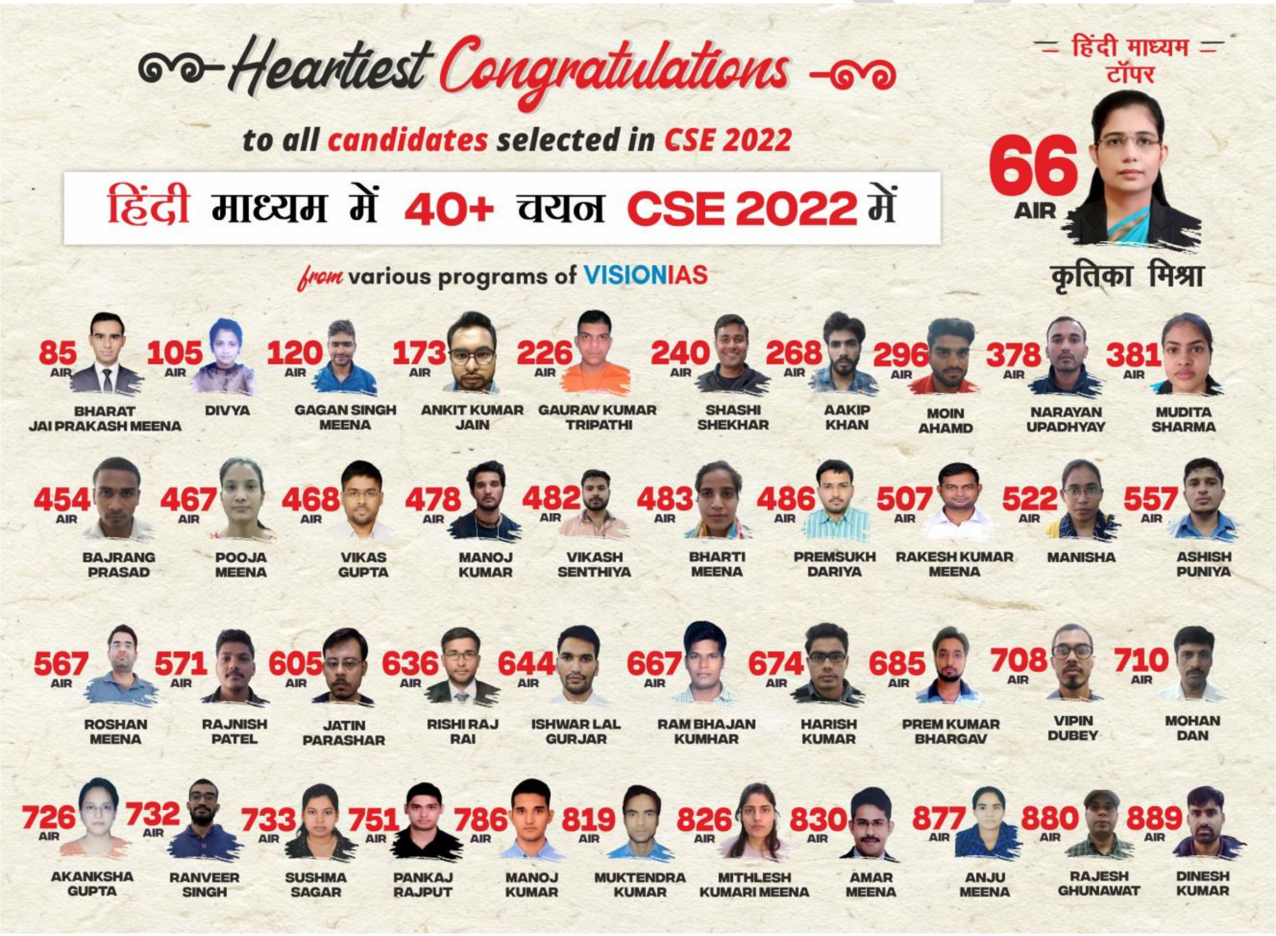

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

वीकली फोकसः सामाजिक मुद्दे

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	सोशल मीडिया और समाज	
2.	अवैतनिक कार्यः महिलाओं की जिम्मेदारी या एक आर्थिक गतिविधि	
3.	भारत का टीकाकरण अभियानः रणनीति, बाधाएं और अवसर	
4.	सार्वभौमिक टीकाकरणः एक स्वस्थ और सुरक्षित विश्व की ओर एक कदम	
5.	भारत में नागरिक समाजः विकास प्रक्रिया का आवश्यक घटक या एक विवादित विचार	
6.	महिलाओं के विरुद्ध हिंसाः समझना, प्रतिक्रिया, रोकथाम और बदलाव	
7.	जबरन विस्थापनः एक मानवीय त्रासदी और विकास संबंधी चुनौती	
8.	शिक्षा का दार्शनिक आधार	
9.	स्कूली शिक्षाः मस्तिष्क एक कोरा कागज है	
10.	भारत में उच्चतर शिक्षाः हमारे भविष्य की आधारशिला	
11.	भारत में खेलः ओलंपिक और अन्य	
12.	बाल अधिकारों का संरक्षणः एक अधूरा एजेंडा?	
13.	भारत में जनजातियां – एक विकास पथ का निर्माण	
14.	भारत में थर्ड जेंडरः पहचान से लेकर मुख्यधारा में उन्हें शामिल करने तक	
15.	भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण	
16.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेजः क्या, क्यों और कैसे?	
17.	लैंगिक और जनन स्वास्थ्यः सभी के लिए वास्तविकता	

LAKSHYA
Mains Mentoring Programme 2023

Lakshya Mains Mentoring Program 2023

Lakshya Mains Mentoring Program 2023 is a targeted revision, practice, and enrichment Program that aids students in achieving excellence in the UPSC Mains Examination 2023. The Program adopts a strategic approach by providing smart preparation strategies, developing critical thinking and analytical skills, and advanced answer-writing abilities.

Scan the QR code to Register

Features of the Program

Dedicated Senior Mentor

A Senior Mentor is assigned to each student to provide personalized guidance in each aspect of the Mains examination preparation and assist students in consolidating their strengths maximizing their performance by identifying and improving upon student weaknesses.

Emphasis on High-Scoring Potential Subjects

The Program lays special emphasis on subjects like Ethics and Essay and provides ample opportunity for students to inculcate the learnings and effect their implementation in the answer writing.

Regular Group Sessions

Aspirants engage in interactive sessions conducted by experienced mentors which provide subject-specific strategies, insights from toppers, advanced-level answer-writing skills, etc.

Answer Enrichment

Aspirants gain insights from institutional experience and the answer scripts of previous toppers to enhance the content and presentation of their answers, making them impactful and effective.

Live Practice Sessions

Through these practice sessions, aspirants can implement session learnings and receive immediate feedback from their mentors to refine their approach and boost their confidence.

Lakshya Mains Practice Test (LMPT)

Aspirants can undertake the scheduled LMPTs in online/Offline modes to put their knowledge and skills to the test and validate their preparation strategies.

Expert Evaluation

The LMPT is evaluated by the expert team at VisionIAS through an Innovative Assessment System to provide detailed feedback for further improvement.

Feedback Session with Assigned Mentor

In this session, students can discuss the feedback received on their LMPT performance and their Answer Scripts to address any doubts or concerns in a personalized setting with their Mentor.

Peer Interaction and Motivation

Aspirants participate in constructive discussions, share their experiences, insights, and motivation with fellow aspirants facilitating co-learning and development.

Multi-platform Support

Aspirants can benefit from a comprehensive support system in the form of online/offline Groups and One-to-One sessions, telephonic support, and a dedicated Telegram platform for immediate assistance whenever needed.

With its intelligent design, effective implementation, dedication from Senior Mentors, and active participation of Students, the Program has achieved tremendous success in a short period of time with **Waseem Ahmad Bhat** securing an impressive All India Rank (AIR) of 7, **Siddharth Shukla AIR 18**, and **Anoushka Sharma** securing AIR 20.

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selection in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

हिंदी माध्यम टॉपर

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selection in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1 Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची